खण्ड-146, अंक-4
गुरूवार, 25 अग्रहायण, शक संवत् 1876
(16 दिसम्बर, 1954 ई0)

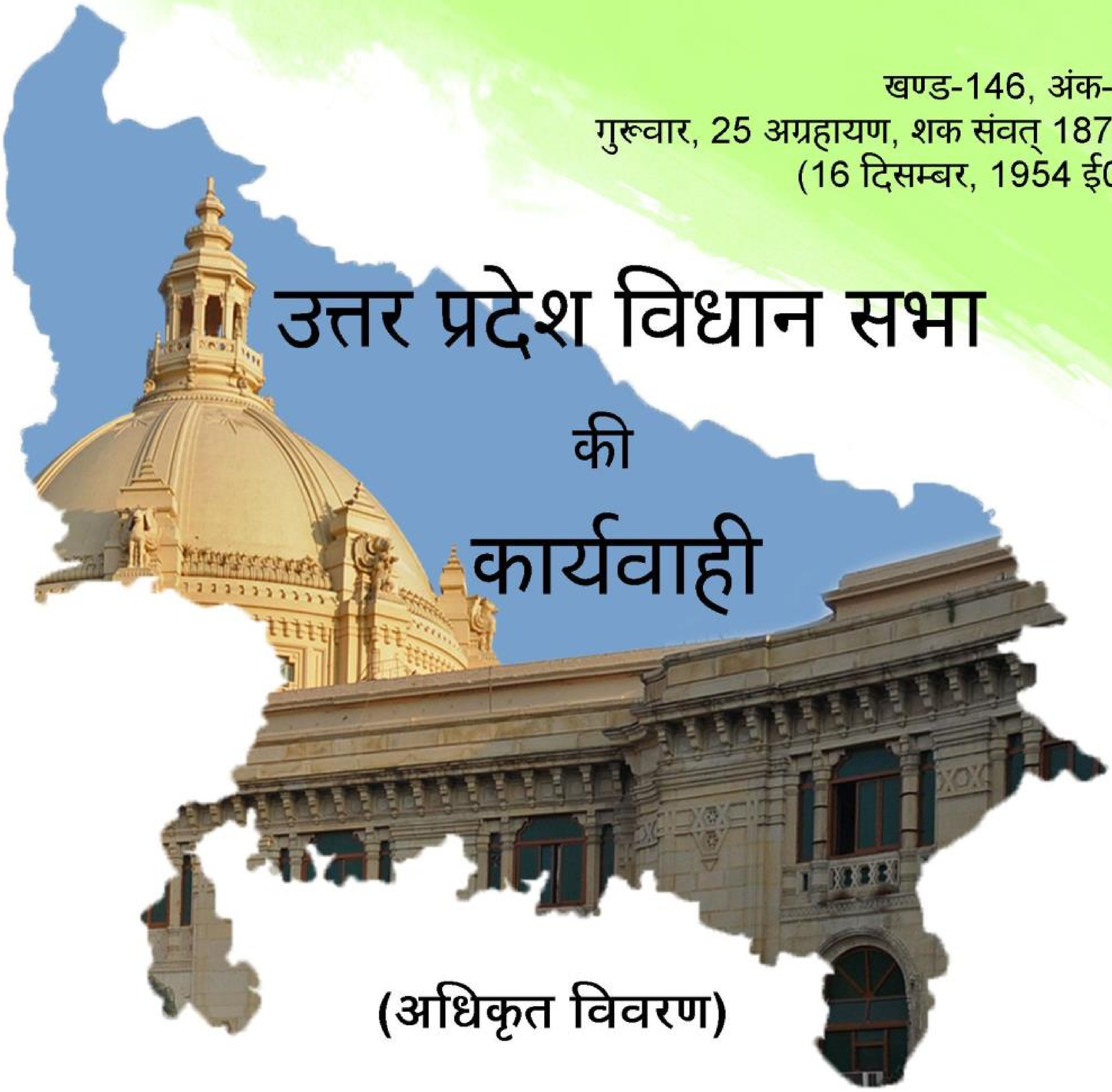

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 146 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विधान पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार १६ दिसम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोबिन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाँडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, श्री
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री

चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूदअलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीरसिंह,श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नीलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताकअली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुबीरसिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणरावकदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामा चरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

एन्क्लेव्ज ऐक्ट के अधीन विन्ध्य प्रदेश के परिवर्तित कर्मचारी

*१—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन्क्लेव्ज ऐक्ट (Enclaves Act) १९५० के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में विन्ध्य प्रदेश के कुल कितने कर्मचारी परिवर्तित होकर उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में आये ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविंदवल्लभ पंत)—४०४ ।

*२—श्री जोरावर वर्मा—क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उन कर्मचारियों में कितने गजटेड आफीसर्स थे और कितने नान-गजटेड ?

श्री गोविंदवल्लभ पंत—७ गजटेड और ३९७ नान गजटेड ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो आफिसर्स गजटेड और नान-गजटेड हैं इनमें से सभी परमानेंट हैं या कुछ अस्थायी भी हैं ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत—कुछ स्थायी थे और कुछ अस्थायी थे ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र मिला है कि बहुत से कर्मचारी रिवर्ट कर दिये गये हैं और बहुतों को सर्विस से अलग कर दिया गया है ?

श्री गोविंदवल्लभ पंत—सात में से ६ को रख लिया गया था सरकारी मुलाजमत में और ३९७ में से २७७ को रख लिया गया । इससे स्पष्ट है कि बहुत ज्यादा तादाद को सरकारी मुलाजमत में रख दिया गया और जो लोग सर्विस स्टैंडर्ड से गिरे हुये थे उनको पेंशन, ग्रेचुएटी या मुआवजा देकर रिटायर कर दिया गया ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सत्य है कि एन्क्लेव्ज ऐक्ट के अनुसार उनको सर्विस की गारंटी दी गई थी ?

श्री गोविंदवल्लभ पंत—ऐंक्लेव्ज ऐक्ट तो कोई नहीं है लेकिन कुछ ऐंक्लेव्ज मर्ज हुये ज्यादातर बुंदेलखंड जिले में और जो स्टेट्स मर्ज हुई, उसके लिये जो कायदे थे वही उनके लिये भी थे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या इन लोगों के लिये वही रूल्स और रेग्यूलेशन्स लागू हैं जो प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिये लागू हैं ?

श्री गोविंदवल्लभ पंत—जो लोग यहां सरकारी मुलाजमत में ले लिये गये हैं उनके लिये वही लागू हैं जो यहां के कर्मचारियों के लिय लागू हैं ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पद और वेतन वही हैं जो विन्ध्य प्रदेश में थे या उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है ?

श्री गोविंदवल्लभ पंत—मैं समझता हूं कि काफी ऐसे केसेज हैं जिनमें उनकी तनख्वाह बढ़ गई क्योंकि वहां वेतन का रेट कम था ।

हल्द्वानी नगरपालिका में गौला नहर को ढकने की आवश्यकता

*३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि हल्द्वानी नगरपालिका सीमा के अन्दर गौला नहर के ढके न होने के कारण नहर में पड़ने वाली गन्दी से भावर के किसानों में बीमारी बढ़ रही है ?

नियोजन उप-मंत्री (श्री फूलसिंह)—सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है परन्तु ढके न होने के कारण बीमारी के बढने की संभावना है।

*४—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इस संबंध में जिला प्लानिंग कमेटी, नैनीताल ने कोई प्रस्ताव पास किया है? अगर हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री फूलसिंह—जी हां। प्रस्ताव नगर पालिका, हल्द्वानी के विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इस बात का पता लगाने का कष्ट करेगी कि नहर के न ढके होने के कारण हल्द्वानी तहसील में सैकड़ों आदमी टाईफाइड के शिकार हुये और मर भी गये?

श्री फूलसिंह—माननीय मेम्बर की ऐसी ख्वाहिश है तो जरूर मालूम करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने इसको ढंकने के लिये हल्द्वानी म्युनिसिपैलिटी को कोई अनुदान दिया है?

श्री फूलसिंह—हल्द्वानी म्युनिसिपैलिटी से अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

सीतापुर जिले में कुटीर उद्योगों पर व्यय

*५—श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह सीतापुर जिले में कौन-कौन कुटीर उद्योग बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है और उस पर सालाना कितना व्यय कर रही है?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—सीतापुर जिले में हैन्डलूम योजना के अन्तर्गत सहकारी बुनकर समितियों तथा उत्पादन समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है। १९५३-१९५४ में उत्पादन केन्द्रों को ३५,००० रु० का ऋण नकद दिया गया और ५,७७७५ रु० का ऋण सूत के रूप में दिया गया। हैन्डलूम के माल की बिक्री के प्रबन्ध के लिये एक बिक्री केन्द्र स्थापित किया गया है और उसके लिये १,२७५ रु० जिला बुनकर सहकारी संघ लि०, सीतापुर को दिये गये हैं। दो रंगाईशालाओं की स्थापना भी की गई है, जिनके द्वारा सस्ते दामों पर सूत की रंगाई की व्यवस्था की गई है। इस हेतु उक्त संघ को ४,००० रु० का अनुदान दिया गया है। इस योजना पर सरकार लगभग ३,००० रु० सालाना व्यय कर रही है।

श्री गंगाधर शर्मा—क्या सरकार सीतापुर जिले में हैन्डलूम योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों, उत्पादन समितियों और रंगशालाओं पर लगाये गये रुपये के खर्च का पूरा विवरण मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष—इस वक्त मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। क्या आप आगे के लिये पूछ रहे हैं?

श्री गंगाधर शर्मा—जी हां।

श्री हुकुमसिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी, लेकिन वैसे तो मोटी-मोटी रकमें मैंने बता दीं सब।

श्री गंगाधर शर्मा—क्या सरकार सीतापुर जिले में सूत कताई और खादी उत्पादन और चमड़ा टैनरी उद्योग की योजना पर विचार करने की कृपा करेगी?

श्री हुकुम सिंह—अवश्य सोचेगी।

हाथियों द्वारा हल चलाने की योजना

*६--श्री जोरावर वर्मा--क्या यह सत्य है कि सरकार ने हाथियों से ट्रैक्टर चलवाने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो यह कब से लागू होगी ?

वन उप-मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--अभी तक हाथियों से ट्रैक्टर चलवाने की कोई योजना नहीं बानई गई है। परन्तु ट्रैक्टर के स्थान पर हाथियों द्वारा हल चलाने व भूमि बराबर करने के बारे में अनुभव प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह अनुभव प्राप्त करने का प्रोसीजर प्रारम्भ हो गया है या होने जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह एक वर्ष पूर्व लाल कुआं में इंजन को छोड़ कर ट्रैक्टर के बाकी भाग को हाथी द्वारा चलवाया गया और उसने अच्छी तरह से खींचा और उसमें कुछ सफलता भी मिली। मगर चूंकि अभी तक हाथी के लिये कोई हारनेस या जिसे जीन कहते हैं वह नहीं था, और साथ ही साथ कोई खास किस्म का हल भी उसके लिये नहीं था तो हमने उसके लिये एक जीन, जिसे उसका हारनेस कहना चाहिये वह भी तैयार करा लिया है। वह उपयुक्त साबित हुआ और साथ ही साथ एक नये किस्म का हल नीलगांव फार्म में ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग से बनवाया है और करीब-करीब उसमें काफी सफलता मिल रही है और एक डिमांस्ट्रेशन, जैसा पहले हुआ था अब फाइनल रूप में कुछ दिनों के बाद करने की इच्छा है और मुझ विश्वास है कि उसमें पूरी सफलता मिलेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उन्होंने अपने विभाग के बजट में यह ट्रैक्टर हाथियों द्वारा चलवाने की योजना के संबंध में कितना रुपया निर्धारित किया है ?

श्री अध्यक्ष--यह जवाब से नहीं निकलता। ट्रैक्टर चलाने के लिये तो कोई योजना नहीं है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस काम में कितने हाथी राज्य सरकार की ओर से इस्तेमाल किये जा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--हां, जंगलात विभाग के हाथी इस्तेमाल किये जा रहे हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार के पास ऐसे भी ट्रैक्टर हैं जो खुद न चल कर उनको हाथियों द्वारा चलवाया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--यह तो उन्होंने कहा है कि इंजन छोड़ बाकी ट्रैक्टर को बतौर नमने के हाथियों से चलाया गया है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ट्रैक्टर द्वारा भूमि समतल कराने का अनुभव है और यह जो हाथियों द्वारा भूमि समतल करायी जा रही है इनमें से कौन सस्ती है और उसका क्या अनुभव अभी तक प्राप्त हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--वैसे तो मैंने अखबारों में देखा था कि सौराष्ट्र में एक अनुभव तो पहले किया गया था। उसमें लगभग एक दिन में ६ एकड़ भूमि हाथी ने जोती थी। यहां पर भी हमने थोड़े से समय में जो अनुभव प्राप्त किया है उसमें करीब दो एकड़ के कुछ घंटे काम करके जोता। लेकिन ट्रैक्टर का पिछला हिस्सा, जो हल होता है वह काफी भारी होता है और बेकार का बोझा हाथी पर पड़ता है। अगर उस पर कोई हल्का हल जो कि उसके उपयुक्त हो, क्योंकि उसकी ताकत तीस हार्स पावर की मानी ही जाती है--मैंने हिसाब लगवा कर देखा तो तीस हार्स पावर मानी गयी--इस हिसाब को देखते हुए दिन में तीन चार एकड़ वह जोत ले और उस पर खर्चा जो वन विभाग का होता है वह २४ सौ रुपये के करीब

साल भर का होता है । और ट्रैक्टर की जुतवाई १५–२० रुपये फी एकड़ मामूली बात है । तो उस हिसाब से हाथी की जुतवाई जो छोटे फार्म हैं, जैसे १०० एकड़ के फार्म उनमें ज्यादा उपयुक्त होगी। यह अनुमान है ।

*७—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—[३० दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

*८—९—श्री महमूदअली खां (जिला रामपुर)—[२८ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४६–४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१०—श्री राजाराम किसान (जिला प्रतापगढ़)—[१३ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

हरचन्द्रपुर, जिला रायबरेली में नेशनल एक्सटेंशन ब्लाक खोलने की तजवीज

*११—श्री रामप्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में दूसरा नेशनल एक्सटेन्शन ब्लाक, जिला प्लानिंग कमेटी तथा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने किस स्थान पर खोलने की तजवीज की है तथा उस तजवीज की सूचना सरकार को किस तारीख को दी गयी ?

श्री फूलसिंह—जिला रायबरेली में दूसरा नेशनल एक्सटेन्शन ब्लाक, जिला प्लानिंग कमेटी तथा डिस्ट्रिक्ट मैजिट्रेट ने हरचन्द्रपुर में खोलने की तजवीज की है । इस तजवीज की सूचना सरकार को जिला मैजिस्ट्रेट ने अपने ५ अगस्त, १९५४ के पत्र में दी थी ।

*१२—श्री रामप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह दूसरा ब्लाक कब तक खुल जायेगा ?

श्री फूलसिंह—इसे निकट भविष्य में खोलने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री रामप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस ब्लाक के खोलने में इतनी देरी क्यों हुयी है ?

श्री फूलसिंह—अगले ब्लाक २६ जनवरी के मौके पर खोले जायेंगे तब तक स्टाफ ट्रेन्ड हो सकेगा ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सत्य है कि इस ब्लाक को जनवरी में खुल जाना है ?

श्री फूलसिंह—गालिबन ।

*१३—श्री जोरावर वर्मा—[३० दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लिए ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स का चुनाव

*१४—श्री राजनारायण (जिला बनारस) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक कितने (B. D. Os.) (ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स) (N. E. S.) (राष्ट्रीय विस्तार सेवा) के अन्तर्गत चुने गये ?

श्री फूलसिंह—राष्ट्रीय विस्तार सेवा के ५६ केन्द्रों के लिये २ अक्तूबर, १९५४ तक ५६ ब्लाक डेवलपमेंट अफसर चुने जा चुके हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जगहें स्थायी हैं या अस्थायी हैं ?

श्री फूलसिंह—यह सारा मुहकमा ही अस्थायी है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—ये जितने बी०डी०ओज़० रखे गये क्या सरकार उनका ग्रेड बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह—शालिबन २२० रु० से शुरू होता है ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जितने एन०ई०एस० के अन्तर्गत काम करते हैं उनमें से किसी जगह पर कोई अनट्रेंड बी०डी०ओ० भी हैं?

श्री फूलसिंह—जी नहीं ।

गढ़वाल जिले के राजकीय फल-उद्यान

*१५—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गढ़वाल में राजकीय फल-उद्यान कितने कहां-कहां हैं ?

श्री हुकुमसिंह—गढ़वाल जिले में छः राजकीय फल-उद्यान हैं और वे कोटद्वार, पडौली (पौड़ी) श्रीनगर, गुरानी (गुप्तकाशी) जोशीमठ और ग्वालदम में हैं।

*१६—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि ब्लाक नियोजन समिति, ऊखीमठ और काशी (गढ़वाल) ने फल-संरक्षण व्यवस्था की मांग सरकार से की है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह—जी हां, सभापति, ब्लाक नियोजन समिति, गुप्तकाशी ने संचालक, फल उपयोग विभाग, उत्तर प्रदेश को गुप्तकाशी में एक ठंढे गोदाम के बनाने के विषय में लिखा था । उनको सूचित कर दिया गया है कि फूड टेक्नॉलाजिस्ट एफ़० ए० ओ० से इस सम्बन्ध में परामर्श करने और स्थान का निरीक्षण करने के पश्चात् उचित कार्यवाही की जावेगी ।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन उद्यानों में फल तैयार किये जाते ह या पौधे ?

श्री हुकुमसिंह—दोनों ।

श्री धर्मसिंह—(जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल में राजकीय फल उद्यान में सरकार का कितना खर्चा होता है ?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इन फल उद्यानों से सरकार को कितनी आमदनी होती है ?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार बतलायेगी कि वहां कितनी नर्सरीज़ हैं और कितने उद्यान हैं ?

श्री हुकुमसिंह—६ स्थानों पर उद्यान हैं । नर्सरीज़ की तादाद मुझे नहीं मालूम ।

जगदीश शुगर मिल, कठकुइयां पर बकाया मजदूरी

*१७—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया की जगदीश शुगर मिल, कठकुइयां सन् १९५३-५४ में कब से चालू की गयी थी और उसमें कितने मजदूर काम करते थे ?

श्री हुकुमसिंह—सन् १९५३-५४ में जगदीश शुगर मिल्स, कठकुइयां २७ दिसम्बर, १९५३ को चालू हुयी थी और उसमें १,०४२ मजदूर काम करते थे।

*१८—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार यह बतायेगी कि उस मिल में कुल कितने गन्ने की पेराई हुयी और कितनी चीनी तैयार हुयी ?

श्री हुकुमसिंह—सन् १९५३-५४ में कठकुइयां मिल में ९,९३,५०० मन गन्ने की पेराई हुयी थी और उसमें ९७,४०० मन चीनी तैयार हुयी थी ।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन १,०४२ मजदूरों में से कुछ मजदूर निकाल भी दिये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह—इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जगदीश कठकुइयां शुगर मिल के मजदूरों को मजदूरी नहीं दी गयी है । यदि हां, तो कितने दिनों की और क्यों ?

श्री हुकुमसिंह—बाकी अवश्य है । पे के सम्बन्ध में १.७१ लाख, रिटेल में .४२ और बोनस में .०१ ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे मजदूरों और किसानों के जो गन्ने के दाम बकाया हैं, वे उनको दिलवा दिये जायं और केन सेस की रकम कुछ दिनों के लिये मुल्तवी कर दी जाय ?

श्री अध्यक्ष—इन दोनों सवालों का एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं है । आप अलग-अलग सवाल करें ।

श्री गेंदासिंह—जो मजदूरों और किसानों के गन्ने के दाम बकाया हैं उसको जल्दी दिलवाने का प्रयत्न उद्योग मंत्री करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह—अवश्य करेंगे ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार को पता है कि मिल मालिकों ने पिछले बकाया में से १ महीने की मजदूरी देने का वायदा किया था, लेकिन जिलाधीश ने चीनी को ज़ब्त करके उस मजदूरी को देने से रोक दिया है ?

श्री हुकुमसिंह—नहीं पता है ।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि कठकुइंया शुगर मिल जिले की अन्य चीनी मिलों से बाद में चली, यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह—मैं यह नहीं कह सकता कि बहुत बाद को चली । किसी के लिये कोई तारीख निर्धारित नहीं है । जब सामान मुहैया हो जाता है तो मिल चलती है ।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या यह सही है कि जगदीश शुगर मिल, कठकुइयां मजदूरों को मजदूरी और किसानों को गन्ने की कीमत नहीं दे रही है ?

श्री हुकुमसिंह—मैं पता लगाऊंगा । अगर ऐसा है तो गड़बड़ है ।

श्री रामेश्वर लाल—क्या यह सही है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी भी चीनी मिल के लिये समय निर्धारित नहीं है, यदि ऐसा है तो क्या कोई मिल वाला अपनी फैक्ट्री को जून या जुलाई में भी चला सकता है ?

श्री हुकुमसिंह—ऐसा कोई फैक्ट्री वाला बेवकूफ मुझे दिखायी नहीं पड़ता ।

*१९—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[३१ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बस्ती जिले में टेक्निकल स्कूल खोलने की योजना

*२०—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार बस्ती जिले में भी टेक्निकल स्कूल खोलने की कोई योजना बना रही है ?

श्री हुकुमसिंह—जी हां ।

श्री राजाराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि वह स्कूल कहां पर खोला जा रहा है और अगले वित्तीय वर्ष में कितना रुपया उस पर खर्च होगा ?

श्री हुकुमसिंह—अभी तो सोचा जा रहा है कि खोलें ।

*२१-२२—श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—[६ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

इलाहाबाद में शरणार्थी क्वार्टरों पर व्यय

*२३—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद शहर में शरणार्थियों के लिये कितने क्वार्टर अब तक बनवाये गये और उसमें कितना व्यय हुआ ?

श्री हुकुमसिंह—इलाहाबाद शहर में सरकार ने शरणार्थियों के लिये ३३२ क्वार्टर लगभग ११.६६ लाख रुपये की लागत से बनवाये हैं । भारत सरकार के मूल्य निर्धारण अधिकारी (Valuation Officer) द्वारा इनका मूल्य अभी निश्चित नहीं हुआ है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मकान तैयार हुये हैं उनमें शरणार्थी लोग रहने भी लगे हैं ?

श्री हुकुमसिंह—जी हां ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—इन मकानों में रहने वाले शरणार्थियों से क्या कोई किराया भी लिया जाता है? यदि लिया जाता है, तो कितना ?

श्री हुकुमसिंह—जो इकनामिक किराया है वह लिया जाता है,इस वक्त में तादाद नहीं बतला सकता हूं ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि यह ३३२ क्वार्टर्स जो बने हैं, उनमें से अभी करीब आधे के खाली पड़े हैं ?

श्री हुकुमसिंह—मैं ऐसा नहीं समझता ।

मिर्जापुर जिले की राबर्ट्सगंज तहसील में शेरों का उत्पात

*२४—श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले में तहसील राबर्ट्सगंज के अगोरी परगने के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों हिस्सों के वनों में शेरों का उत्पात बहुत बढ़ा हुआ है और वहां के निवासियों के पशुधन को गहरी क्षति हो रही है ?

नोट—तारांकित प्रश्न २३ श्री राम सुभग वर्मा ने पूछा ।

श्री गोविंदवल्लभ पंत—प्रश्न में बतायी गयी स्थिति कुछ समय पहिले थी किन्तु अब वह स्थिति नहीं है ।

*२५—श्री रामस्वरूप (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस क्षति को रोकने के लिये उसने क्या प्रबन्ध किया है या करने जा रही है ?

श्री गोविंदवल्लभ पंत—इन जंगलों में शेरों के पीछे कई हांके किये गये, जिसके फलस्वरूप अब वहां पर इन जानवरों का कोई उत्पात नहीं है ।

हलिया, जिला मिर्जापुर में राष्ट्रीय प्रसार योजना केन्द्र खोलने का विचार

*२६—श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मर्जापुर)—क्या यह सही है कि सरकार २६ जनवरी, १९५५ से मिर्जापुर के हलिया और मड़िहान क्षेत्रों में सामूहिक विकास योजना खोलने जा रही है ?

श्री फूलसिंह—हलिया में एक राष्ट्रीय प्रसार योजना का केन्द्र खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह प्रश्न कब तक सरकार के विचाराधीन रहेगा ?

श्री फूलसिंह—ब्लाक खुलने तक ।

श्री गेंदासिंह—क्या मिर्जापुर में नेशनल एक्सटेंशन ब्लाक खोलने के प्रश्न में सरकार उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है जो अभावग्रस्त हैं ?

श्री फूलसिंह—जिले की प्लानिंग कमेटी को यह अधिकार रहता है कि वह अपने जिले में ब्लाक के लिये सिफारिश करे, वही इन बातों का ध्यान रखती है ।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार की ओर से जिला प्लानिंग कमेटी को इस तरह का कोई आदेश ऐसी नीति निर्धारित करने के लिये भेजा गया ?

श्री फूलसिंह—कई कंडीशन उसमें दर्ज हैं, उन सब बातों को ध्यान में रखकर उसको तय करना पड़ता है ।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी के लिए बोरियों की खरीद

*२७—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी के लिये बोरियों की खरीद के आर्डर्स किस मात्रा में, किस भाव में और किस फर्म को दिये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह—सार्वजनिक हित में यह सूचना देना उचित नहीं है। सीमेंट फैक्टरी एक (commercial undertaking) वाणिज्य संस्था है।

गोरखपुर और देवरिया जिलों की चीनी मिलों पर सरकारी पावना

*२८—श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर और देवरिया जिले के निम्नलिखित चीनी मिलों में से किन-किन मिलों पर कितना-कितना सरकारी पावना बाकी है ?

देवरिया—

(१) राम कोला चीनी मिल,
(२) लक्ष्मीगंज चीनी मिल,
(३) पडरौना चीनी मिल,
(४) छितौनी चीनी मिल,
(५) कठकुइयां चीनी मिल,
(६) गौरी चीनी मिल ।

गोरखपुर:—

(१) पिपराइच चीनी मिल, (३) घुघुली चीनी मिल,
(२) सरैया चीनी मिल, (४) आनन्दनगर चीनी मिल।

श्री हुकुमसिंह—निम्नलिखित चीनी मिलों पर २२ नवम्बर, १९५४ को उनके सामने लिखी गयी धनराशि सरकारी अबवाब (सेस) की शेष थी :—

देवरिया

	लाख रुपया
१—रामकोला पंजाबी	१.८१
२—रामकोला खेतान	२.४०
३—लक्ष्मीगंज	०.५५
४—पड़रौना	२.५३
५—कठकुंइयां	५.७३

गोरखपुर

१—पिपराइच	२.१७
२—सरैया	७.१६

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा दी गयी तालिका के अनुसार मिलों पर जो धनराशि शेष है वह समय पर क्यों नहीं वसूल की गयी ?

श्री हुकुमसिंह—मिल मालिकों के रास्ते में कुछ धन की कठिनाई थी।

श्री गेंदासिंह—क्या जो बक़ाया रक़म माननीय मंत्री जी ने सुनाई है उसमें केवल गन्ने का ही दाम है या सरकारी ड्यूज भी हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल सेस के बारे में है केवल। आप का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री गेंदासिंह—क्या सरैया फ़ैक्ट्री ने सरकार से कोई इस तरह की इस्तदुआ की थी कि उसकी आर्थिक हालत ख़राब है, इसलिये उसे मुल्तवी किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह—सेस बक़ाया है और जब उनसे वसूलयाबी की जाती है तो वह दिक़्क़त बतलाते हैं, जिसकी तफ़सील इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री गेंदासिंह—इन कारख़ानों के ख़िलाफ ख़ास कर सरैया के ख़िलाफ़ कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह—कलेक्टर को हिदायत की गई है कि उनसे फ़ौरन वसूल किया जाय।

गोंडा ज़िले के मनकापुर में राष्ट्रीय प्रसार सेवा ब्लाक खोलने का आयोजन

*२९—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जिला नियोजन समिति, गोंडा ने विगत १२ सितम्बर, १९५४ की बैठक में सर्वसम्मति से पास किया कि उत्तर राप्ती भाग में महाराजगंज को केन्द्र मान कर एक राष्ट्रीय प्रसार सेवा ब्लाक खोलने को प्राथमिकता दी जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री फूलसिंह—इस विषय में जिला नियोजन समिति, गोंडा का कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि १२ सितम्बर को जिला नियोजन समिति की कोई बैठक हुई थी और उसमें इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पास हुआ था ?

श्री फूलसिंह—अगर हुआ होगा तो वह हमारे पास नहीं आया है। जिला प्लानिंग कमेटी को अप्रैल में लिखा गया था कि एक ब्लाक की सिफारिश करें। चुनांचे गोंडा जिला प्लानिंग कमेटी ने मनकापुर ब्लाक की सिफारिश की थी और वह विचाराधीन है।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिले के हेडक्वार्टर से नयी खबर आई है ?

श्री फूलसिंह—यही कि मनकानपुर में ब्लाक खोला जाय।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मेरा यह था कि १२ सितम्बर को जिला नियोजन समिति ने इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया है और उसका जवाब हमें संक्षेप में नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप शिकायत कर रहे हैं। आप सवाल पूछें तो स्पष्टीकरण मिल जायगा। प्रस्ताव के लिये तो वह कह चुके हैं कि अगर पास हुआ है तो वह उनके पास नहीं आया है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किस तारीख को मनकापुर में वह ब्लाक खुल रहा है ?

श्री फूलसिंह—२६ जनवरी को।

*३०-३१—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—[३० दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

गढ़वाल जिले में कोयले की खान की खोज

*३२—श्री राजाराम किसान (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने गढ़वाल जिले में कोयले की खान के बारे में कोई खोज करवाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में पूर्ण विवरण देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह—गढ़वाल जिला के लालढंग क्षेत्र में कोयले के कुछ टुकड़े पाये गये थे जिनको विश्लेषण तथा संबंधित क्षेत्र में खोज कराने के लिये जियालाजिकल सर्वे आफ़ इंडिया, कलकता के पास भेजा गया है।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि कुछ कम्पनियों ने भारत सरकार को इस स्थान से कोयला निकालने की इजाजत के लिये प्रार्थनापत्र भेजा है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न भारत सरकार से हो सकता है। इसकी मैं इजाजत नहीं देता।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जियालाजिकल सर्वे आफ इंडिया विभाग को उत्तर प्रदेशीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कब पत्र लिखा था ?

श्री हुकुम सिंह—इसकी तारीख मुझे याद नहीं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—तो क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या वह जियालाजिकल सर्वे आफ इंडिया विभाग से इस सम्बन्ध में विशेष तौर से जल्दी करके बातचीत करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह—यह ऐसा काम है जिसमें उजलत से काम नहीं लेना चाहिये ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—यह कोयले की खान लम्बाई चौड़ाई में कितनी दूर तक है ?

श्री हुकुमसिंह—यह तो सर्वे के बाद ही बताया जा सकता है ।

ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स में हरिजन

*३३—श्री धर्मसिंह—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियोजन विभाग में कितने ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स इस वक्त नियुक्त किये गये हैं और उनमें से कितने हरिजन हैं ?

श्री फूलसिंह—इस वर्ष कुल २६ ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स नियुक्त किये गये हैं। उनमें से एक हरिजन है ।

*३४—श्री धर्मसिंह—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक डेवलपमेंट आफिसरों के चुनाव के समय हरिजनों के कितने प्रार्थना-पत्र आये हैं और उनमें से कितने चुनाव में बुलाये गये ?

श्री फूलसिंह—कुल ७१ प्रार्थना-पत्र आये और उनमें से सभी चुनाव में बुलाये गये ।

श्री धर्मसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब चुनाव में ७१ व्यक्ति उम्मीदवार बुलाये गये तो केवल एक ही हरिजन उम्मीदवार किस आधार पर लिया गया ?

श्री फूलसिंह—७१ के नाम जेरेतजवीज हैं, जिनमें से ५ छांटे गये थे, और ३ को एप्वाइंट कर दिया गया है। १ हाल में एप्वायंट होने जा रहा है और आशा है कि २६ जनवरी तक पांचों एप्वायंट हो जावेंगे । तमाम ३६ एप्वायंटमेंट होने वाले थे जिनमें से ५ हरिजन हैं।

श्री धर्मसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बी० डी० ओज० की वेटिंग लिस्ट भी बनायी गयी है ?

श्री फूलसिंह—जी हां, वेटिंग लिस्ट है। उस वेटिंग लिस्ट में हरिजनों का नम्बर बहुत नीचे है। एक का नम्बर दूसरा है एक का तिरेपनवां, तीसरे का छियासठवां चौथे का ७०वां और पांचवें का ८८वां है। तब भी उनको औरों से पहले नियुक्त कर दिया जायगा ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ब्लाक डेवलपमेंट आफीसर्स को चुनते समय क्या ऐसे लोगों को भी चुन लिया गया है जो ग्रामीण परिस्थितियों से पूर्णतया परिचित नहीं हैं ?

श्री फूलसिंह—जो लोग ग्रामीण बातों को जानते हैं उसके लिये उनको अलेहदा से नम्बर मिलते हैं ।

इलाहाबाद जिले में कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य

*३५—श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में कम्युनिटी प्रोजेक्ट की योजना में क्या क्या काम हो चुका है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३५ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछा ।

श्री फूलसिंह—इलाहाबाद के फूलपुर क्षेत्र में कम्युनिटी प्रोजेक्ट के कार्यों की सूची माननीय सदस्यों की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २९०–२९१ पर।)

राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम

*३६—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम से उत्तर देने की सुविधा प्रदान की है ?

श्री गोविंदवल्लभ पंत—परीक्षार्थी प्रत्येक विषय में, चाहे वे अनिवार्य हों या ऐच्छिक, अंग्रेजी या हिन्दी के माध्यम से उत्तर दे सकते हैं। केवल प्रतिबन्ध यह है कि अंग्रेजी और हिन्दी साहित्य संबंधी विषय (अनिवार्य या ऐच्छिक) के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में ही, जैसी कि परिस्थिति हो दिये जाने चाहियें। प्राचीन भाषाओं (classical languages) के विषयों वाले प्रश्नों के उत्तर प्रश्न-पत्र में दिये हुये आदेशों के अनुसार देना होता है।

गुड़-विकास योजना पर व्यय

*३७—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गुड़-विकास योजना, पंचवर्षीय योजना में शामिल है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फूलसिंह—जी हां, शामिल है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गुड़ विकास योजना के लिये प्लानिंग कमीशन या प्लानिंग कमेटी की तरफ से क्या-क्या सुविधायें दी गयी हैं ?

श्री फूलसिंह—गुड़ विकास योजना में तीन तरह की चीजें रखी गयी हैं (१) अच्छे प्रकार के कोल्हू, (२) अच्छी फरनेस, (३) क्लीसिंग एजेंट। इन तीनों कामों के लिये पंचवर्षीय योजना में ८ लाख रुपया रक्खा गया है।

अस्थायी स्थानों को स्थायी करने के लिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिश

*३८—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनक्वायरी कमेटी की यह सिफारिश कि ऐसी सब जगहें, जो अस्थायी हैं और तीन वर्ष से ऊपर से चली आ रही हैं उन्हें स्थायी कर दिया जाय, सरकार ने स्वीकार कर ली है ?

श्री गोविंदवल्लभ पंत—सरकार ने यह निश्चय किया है कि अस्थायी जगहों को स्थायी करने की समस्या पर छानबीन की जाय और इस विषय में उपयुक्त निर्णय जल्दी से जल्दी लिये जायं।

*३९—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रादेशिक सचिवालय में ऐसी कितनी जगहें हैं जिन्हें स्थायी करना है और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री गोविंदवल्लभ पंत—इसकी सूचना जमा की जा रही है और इस विषय में जरूरी कार्यवाही जल्द की जायगी।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह छानबीन किसके द्वारा करायी जा रही है और कब तक हो जायगी ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत—जहां तक सेक्रेटेरियट का ताल्लुक़ है उसकी जांच सेक्रेटरीज द्वारा की जा रही है कि कितने टेम्पोरेरीज हैं और कितने परमानेंट हैं, और जो टेम्पोरेरी लोग हैं उनमें से कितनों को परमानेंट किया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने स्थान अस्थायी हैं ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत—जो स्थान अब तक स्थायी नहीं हैं वे अस्थायी हैं।

श्री सुरेन्द्रदत वाजपेयी—यह सूचना कब तक जमा हो जायगी ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत—जल्दी हो जायगी। मेरी ख्वाहिश है कि इसके ऊपर जल्दी ही फैसला हो जाय।

मेरठ ज़िले में लोनी विकास क्षेत्र के अंतर्गत कार्य

*४०—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि विकास सेवा क्षेत्र, लोनी (मेरठ) कब से प्रारम्भ हुआ ?

श्री फूलसिंह—२ अक्तूबर, १९५३ से विकास सेवा क्षेत्र, चिरोरी (मेरठ) में प्रारम्भ हुआ परन्तु ब्लाक ऐडवाइजरी कमेटी तथा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की सिफारिश पर यह ब्लाक लोनी (जो चिरोरी से ३ मील पर है) में स्थापित किया गया।

*१—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार बतायेगी कि लोनी विकास सेवा क्षेत्र में अब तक क्या क्या कार्य हुये हैं ?

श्री फूलसिंह—इस क्षेत्र में अब तक जो विकास कार्य हुये हैं उनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २९२–२९३ पर।)

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्लानिंग कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ने चिरोरी से लोनी गांव को, जो बिलकुल किनारे का गाँव है, स्थान बदलने का क्या मुख्य कारण बतलाया है ?

श्री फूलसिंह—उन्होंने उसे मुनासिब स्थान समझा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि लोनी ले जाने में क्या-क्या मुख्य बातें उन्होंने समझी हैं ?

श्री फूलसिंह—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—जो सूची दी गयी है उसमें लिखा है कि कुछ सड़कें पक्की बनीं दो फर्लांग तक और कुछ कच्ची बनीं तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये सड़कें कहां बनीं, और इनके ऊपर कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री फूलसिंह—ये सड़कें इस ब्लाक के अन्दर बनीं। अब ये सड़कें किस स्थान पर बनीं इसके लिये नोटिस चाहिये और तभी मैं रुपये के आंकड़े दे सकता हूं।

श्री रामचन्द्र विकल—सूची नं० २४ में जैसा है, जनता द्वारा जो मकान बनाये गये हैं उनमें सरकार का आर्थिक या शारीरिक क्या सहयोग रहा है इसे माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री फूलसिंह--यह तो प्रश्न इसमें लिखा नहीं था इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सूची नं० ३४ के अनुसार जो पुस्तकालय और वाचनालय खोले गये हैं वे कहां-कहां खोले गये हैं और उनमें सरकार द्वारा किस रूप में सहायता मिली ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि उनका पहला जवाब इस प्रश्न के लिये भी लागू होता है।

*४२-४३--श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)--[३१ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

१--श्री जोरावर वर्मा--[१३ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

२--श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल--[३१ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

चुर्क सीमेंट फैक्टरी की मशीनें

३--श्री रामस्वरूप--क्या यह सही है कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी के अन्दर केवल तीन मास में कई मशीनें जल गईं ?

श्री हुकुम सिंह--जी नहीं, चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी की कोई भी मशीन नहीं जली है।

डोईवाला चीनी मिल में मजदूरों के अनशन से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री झारखंडे राय ने भेजा है जो डोईवाला चीनी मिल के मालिकों और मिल मजदूरों में कुछ झगड़ा होने के कारण, वहां पर फाटक के सामने जो मजदूर भूख हड़ताल कर रहे हैं और उनकी दशा से जो परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है उस विषय में विचार करने के लिये वह चाहते हैं कि इस सदन का आज का काम रोका जाय। तो यह एक अनिश्चित सा विषय है और इससे सरकार का सम्बन्ध नहीं दीखता। यह मिलों के अंतरंग प्रबंध के बारे में है। मैं इसे इसलिये अवैध करार देता हूं।

उत्तर प्रदेश सिविल लाज़ (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि सन् १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश सिविल लॉज़ (सुधार तथा संशोधन) विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २६ अप्रैल, १९५४ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३ सितम्बर सन् १९५४ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २२ नवम्बर सन् १९५४ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश का २४वां अधिनियम बन गया।

*उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १९५४

खंड ९ (पुनरागत)

श्री अध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

---

*विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक २ दिसम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

†१५ दिसम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, आपका मैं ज्यादा समय तो नहीं लेना चाहता लेकिन मैं अवश्य एक तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कल जिस समय आपने सवा बजे के लगभग इस सदन को स्थगित किया उस समय आपको याद होगा कि मैं अपने प्रस्ताव पर बोला था कि खंड ९ निकाल दिया जाय और आपने मुझे आज्ञा भी दी थी कि खंड ९ को निकालने के सम्बन्ध में मैं अपना वक्तव्य दे दूं। उसके पेश्तर कि मेरा वह प्रस्ताव समाप्त हो माननीय उपाध्यक्ष जी की रूलिंग के अनुसार माननीय ब्रज बिहारी जी को एक संशोधन प्रस्तुत करने का मौका मिला। तो मैं आज देखता हूं कि खंड ९ निकाल दिया जाय और जो मेरा संशोधन था वह कार्यसूची में छापा भी नहीं गया है। मैं इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि जो मेरा प्रस्ताव सदन में पहले विचारार्थ था उसके बाद चलते हुये माननीय उपाध्यक्ष जी की रूलिंग के अनुसार दूसरा संशोधन आ सका। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप स्पष्टोक्ति इस सम्बन्ध में कर दें तो सदन को अपनी परम्पराओं को निश्चित करने में सुविधा होगी। मैंने उस समय तो माननीय उपाध्यक्ष जी की रूलिंग को शिरोधार्य कर लिया था, लेकिन उस सम्बन्ध में यहां पर स्पष्टोक्ति हो जानी चाहिये कि किस हालत में संशोधन आ सकता है। जब सारे खंडों पर विचार समाप्त हो गया हो तब संशोधन आ सकता है या नहीं इस सम्बन्ध में आप कोई निश्चित व्यवस्था कर दें तो यह सदन की परम्परा के अनुकूल होगा।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो जब एक बार चेयर से तय हो चुका तो उसके लिये ज्यादा अच्छा यही है कि आप चेम्बर में बुलाकर डिसकस कर लें और डिप्टी स्पीकर साहब को भी बुला लें कि क्यों उन्होंने वैसी रूलिंग दी। उसके बारे में वहां बातें कर लेना मुनासिब होगा। मैं नहीं जानता कि इस वक्त इस सवाल पर तमाम बातें करना उचित है या नहीं कि क्यों उन्होंने रूलिंग दी?

श्री अध्यक्ष---यह तो प्रश्न नहीं उठ सकता कि क्यों रूलिंग दी। उनका कहना यह है कि कल के कार्यक्रम में उनका विरोध छापा गया था जिसका कोई जिक्र आज के कार्यक्रम म नहीं है और उसके ऊपर यह दूसरा संशोधन आ गया। तो मैं परिस्थिति यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके ऊपर कोई राय ली गयी थी जो नारायण दत्त जी ने इस खंड का विरोध किया था उसके बारे में?

श्री मोहनलाल गौतम---उस पर कोई राय नहीं ली गयी थी। वह सारा मामला मुल्तवी हो गया और विरोध अब भी हो सकता है। वह अगर नहीं भी इंक्ल्यूडेड है तो भी विरोध में तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष---तो मैं समझता हूं कि किसी खंड के विरोध का प्रश्न सदैव आखीर में ही आना चाहिये यह तरीका आइन्दा के लिये होगा, यानी सारे संशोधन समाप्त हो जाने के बाद। (श्री नारायणदत्त तिवारी के खड़े होने पर) मैं फैसला दे रहा हूं आपके आपत्ति के बारे में। भविष्य के लिये यह निर्णय मैं करता हूं कि जब पूरे खंड का विरोध हो तो उसके पहले ही सारे संशोधन ले लिये जाने चाहिये और जब पूरे खंड पर विरोध शुरू हो जाय तो उसके बाद कोई संशोधन न लाया जाय। जो फैसला हो चुका वह तो हो चुका। क्योंकि यह चेअर के डिस्कशन की बात है कि अगर सदन ने विरोध नहीं किया और सदन चाहता है कि कोई संशोधन ले लिया जाय तो साधारण नियम में यह रख दिया है कि अगर विरोध शुरू हो गया और फिर भी अगर सर्वसम्मति है कि कोई संशोधन लिया जाय तो उसको ले लिया जाता है। लेकिन अगर सर्वसम्मति नहीं है तो फिर नियमों के अनुसार, इस तरीके में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये, ऐसी मेरी राय है। तो अब चूंकि यह फैसला हो गया है और क्योंकि इस विषय में डिस्क्रिशन चेयर का रहता है तो ऐसी अवस्था में पूर्व फैसले के बारे में तो चर्चा होगी नहीं। अब प्रस्तुत समस्या के लिये यह तरीका हो सकता

[श्री अध्यक्ष]

है कि अंत में श्री नारायणदत्त तिवारी का जो विरोध है उसके ऊपर वोट ले लिया जायगा। अब तो चूंकि संशोधन ले लिया गया था और इस बिना पर कई खंड स्थगित कर दिये गये थे कि चूंकि उसके ऊपर फैसला होना बाकी है, तो जब इस संशोधन पर विचार हो जायगा तो अंत में उस सदन का फैसला हो जाने के बाद, विरोध के ऊपर सदन की राय ली जायगी। (श्री व्रज बिहारी मिश्र से) आप तो संशोधन पेश कर चुके हैं।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--जी हां।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--आपने जो फैसला दे दिया वह तो ठीक है लेकिन मुझे अर्ज यह करना है कि हम खंड ९ का विरोध कर सकेंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष--आप उसके स्वीकृत होने के खिलाफ राय दे सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, समय बढ़ाने का प्रस्ताव हो सकता है या नहीं?

श्री अध्यक्ष--इसके ऊपर विचार पहले हो चुका है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के नियमों के अनुसार, उसके आखिर का कोई एक नियम है, इस समय माननीय मंत्री जी सदन के नेता हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस बिल की महत्ता को देखते हुये दो घंटे, ढाई घंटे या तीन घंटे, कम से कम दो घंटे और ज्यादा से ज्यादा ३ घंटे के लिये आज सदन का समय बढ़ा दिया जाय ताकि इस म्युनिसिपैलिटी (संशोधन) विधेयक पर पूरी तरह से विवाद हो सके।

श्री अध्यक्ष--नियम में यह दिया हुआ है जिसे मैं पढ़ कर सुनाता हूं--

"कोई टाइम सदन निश्चित करे उसमें तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि सदन के नेता सदन में यह राय व्यक्त न कर दें कि उनके प्रस्ताव के लिये सर्वसम्मति है और उन्होंने पूछ लिया है और दलों से भी, सर्वसम्मति से वह यह चाहते हैं कि इतना समय बढ़ा दिया जाय या कम कर दिया जाय।"

तो इसलिये जो माननीय नारायण दत्त जी ने अभी प्रश्न उपस्थित किया है उस सम्बन्ध में मैं नेता सदन से पूछूंगा और चूंकि वह यहां मौजूद नहीं हैं तो ऐसी अवस्था में मैं स्वशासन मंत्री जी से कहूंगा कि वह अगर इस पर राजी हों कि कोई समय बढ़ा दिया जाय तो वह अपनी राय यहां पर कृपा करके व्यक्त करें।

श्री मोहन लाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, अगर आप आज्ञा दें तो यह अधिक अच्छा होगा कि जो नवां क्लाज है उसके बारे में मेरा तो सुझाव यह है कि श्री व्रजबिहारी मिश्र इसको वापस ले लें क्योंकि जो उनका अमेंडमेंट है वह इनकम्पलीट है और उसको कम्पलीट करने के लिये मैं खुद एक अमेंडमेंट देना चाहता था। लेकिन चूंकि वह छपा नहीं है इसलिये सभी सदस्यों को आपत्ति हो सकती है। तो ऐसी हालत में मैं यह नहीं चाहूंगा कि खामख्वाह लोगों का विरोध होते हुये इस समय में और अमेंडमेंट करूं। इसलिये अगर व्रजबिहारी मिश्र जी इसे वापस ले लें तो अच्छा है। नाइन्थ क्लाज पर डिस्कशन हो चुका है, जनरल डिस्कशन में भी काफी बहस हो चुकी है और उसके बाद जितनी भी बातें हैं वह कांसीक्वेन्शियल हैं और जितने अमेंडमेंट हैं वह सब गिर जाते हैं। और जो ओरिजिनल तस्वीर है, ड्राफ्ट है, वही रह जाता है। इसलिये ज्यादा समय की जरूरत नहीं होगी और सवा बजे तक इसको कर दें। अगर व्रजबिहारी जी इसको वापस ले लें और अगर न लें तो समय की जरूरत अवश्य होगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, स्वशासन मंत्री जी ने जो सुझाव रखा वह एक प्रकार से तो सही है। लेकिन उन्होंने जो समय केवल आधा घंटा ही बढ़ाया और उस पर यह संशोधन हमारे सामने आ चुका है और शायद श्री व्रजबिहारी मिश्र के वापस लेने से कुछ लोग कहना

चाहें, और जैसा ऐजाज रसूल साहब ने रखा है वह तो वापस नहीं हुआ है । माननीय मंत्री जी उसको भी वापस लेंगे ?

श्री अध्यक्ष---(स्वशासन मंत्री जी को संबोधित करते हुए) नवाब साहब वाला जो संशोधन है आप उसको भी वापस चाहते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---उस पर तो वादविवाद हो चुका है । सवा घंटा अभी है और जितना वक्त इसमें लगा था उसके ख्याल से काफी वक्त और मिल गया । और इधर क्वेश्चन आवर में से भी १५ मिनट मिल गये हैं तीन दिन के अलावा जो समय इसके लिये था ।

श्री अध्यक्ष---तीन हिस्से उसके कर लें । (१) यदि व्रज विहारी मिश्र और ऐजाज रसूल साहब यह दोनों अपने २ संशोधन वापस लेते हैं तो सवा बजे तक खत्म करना चाहिये (२) अगर एजाज रसूल साहब वापस नहीं लते हैं और श्री व्रज विहारी वापस लेते हैं तो तीन बजे तक, और (३) अगर दोनों वापस नहीं लेते तो चार बजे तक समाप्त कर देना चाहिये । यानी आपको पौने दो घंटे मिल जायंगे और नहीं तो अभी ऐजाज रसूल साहब अगर अपना संशोधन रखते हैं तो मैं उचित समझता हूं कि, चूंकि नये सिद्धांत का भी विषय उसमें सम्मिलित होगा इसलिये अगर तीन बजे तक खत्म कर दें तो ठीक होगा और इसमें पौन घंटा ही ज्यादा बढ़ता है जैसा माननीय स्वशासन मंत्री जी ने सुझाव दिया है । तो मैं सदन से पूछता हूं कि क्या तीन बजे तक इस पर विवाद हो ।

तो सर्व सम्मति से समय का निर्धारण स्वीकृत हुआ ।

(माननीय व्रजविहारी मिश्र को सम्बोधित करते हुये) आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं या कायम रखेंगे ?

श्री व्रजविहारी मिश्र---अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय मंत्री जी का यह आग्रह है इसलिये मैं वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष---(श्री ऐजाज रसूल से) आप वापस ले रहे हैं ?

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)---जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष---तो इसका मतलब यह हुआ कि तीन बजे यह समाप्त होगा ।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो प्रसन्न हो रहा था कि ऐजाज रसूल साहब भी वापस ले लेंगे जैसा कि माननीय व्रज विहारी मिश्र जी ने किया ।

श्री अध्यक्ष---आप किस संशोधन पर बोल रहे हैं ।

श्री रामेश्वर लाल---माननीय ऐजाज रसूल साहब के संशोधन पर ।

श्री अध्यक्ष---अगर सदन उचित समझे, एक सिद्धांत का प्रश्न उठा था कि अगर प्रेसीडेंट का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है तो उसे बोर्ड को डिजाल्व करने का मौका दिया जाना चाहिये । अब चूंकि कोई संशोधन ९ के ऊपर बाकी नहीं रहा, केवल विरोध ही बाकी रहता है तो मैं समझता हूं कि अगर सदन इसका निर्णय पहले करा ले कि प्रेसीडेन्ट का निर्वाचन किस तरह होने वाला है, तो ठीक होगा, मैं इसलिये खंड ९ को पहले लेता हूं । माननीय स्वशासन मंत्री जी को तो कोई आपत्ति है नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, और फिर उसके बाद सीरिअल नम्बर से चलेगा ।

श्री अध्यक्ष---ठीक है । उसके बाद फिर सीरियल नम्बर से शुरू होगा ।

राजा वीरेन्द्रशाह---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह खंड ९ है इसके विरोध में मुझे यह कहना है कि जनरल डिस्कशन के समय इस बिल के बारे में कहते हुए जो यह इन्डाइरेक्ट

[राजा वीरेन्द्रशाह]

चुनाव म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन का करने जा रहे हैं, इसके विरोध में मैंने तमाम दलीलें दीं और सरकार से यह प्रार्थना की थी कि सरकार इस सिद्धांत को न बदले जो कि इस समय है। लेकिन माननीय मंत्री जी इस ९ खंड के द्वारा अमेंडमेंट करके यह चाहते हैं कि वही पुराना तरीका जो कि अंग्रेज का चलाया हुआ है, उसी को वह फिर लायें और फिर उसी पुरानी प्रथा से उनका चुनाव हो। उन्हीं दलीलों को मैं बार-बार फिर दोहराना नहीं चाहता लेकिन एक दफा फिर सरकार से यह कहना चाहता हूं कि उनको एक बार पुनः इस पर विचार करना चाहिये और सोचना चाहिये कि इस सिद्धांत को हटाकर दूसरा सिद्धांत जो लाने जा रहे हैं उससे हमको भय यह है कि आगे चलकर जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव होंगे या पंचायत राज की कमेटियों का चुनाव होगा उसमें भी शायद इसका प्रभाव पड़े और उसी भय से मैं यहां कहना चाहता हूं कि म्युनिसिपल बोर्डों के कुल आठ महीने की गड़बड़ी से या वहां राजनीतिक दलों की गुटबंदियों की वजह से एक दम आप एक सिद्धांत को छोड़ने के लिये तैयार हो गये हैं और उसके लिये हमने जो प्रार्थना की उस पर भी माननीय मंत्री जी ने कुछ गौर नहीं किया और न माननीय मंत्री जी ने कोई ऐसे सुझाव ही दिये जिनसे कि हमें संतोष होता। मुझे केवल यह कहना है कि केवल इस आधार पर आप संशोधन करने जा रहे हैं कि चूंकि जनरल एलेक्शन आने वाला है और उसमें म्युनिसिपैलिटियों का भी असर पड़ेगा और आज चूंकि म्युनिसिपल बोर्ड्स में इंडिपेंडेंट्स ज्यादा हैं, वहां आपके राजनैतिक दल ज्यादा नहीं पहुंच सके हैं इसलिये आप यह संशोधन करके पुराने तरीके को फिर से लाने की बात सोच रहे हैं। जितनी भी कमेटियां सरकार ने बिठायीं, उन सबने, खर कमेटी ने भी और और तमाम लोगों ने भी आपको बतलाया कि यह तरीका कितना खराब है लेकिन फिर भी आप उसी को रखने जा रहे हैं। मुझे यह आपसे कहना है कि अब भी मौका है एक बार फिर विचार कर लीजिये, और अगर यह करना ही है तो सरकार यह अश्वासन दे कि साल भर के लिये या दो साल के लिये या जनरल एलेक्शन तक के लिये हम इस चीज को लाते हैं और इसके बाद हम फिर वही चीज ला देंगे और जो ऐक्ट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह का हैं उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हम सभी चाहते हैं कि गड़बड़ियां न हों लेकिन ऐसी कोई बात सरकार कहे कि आज प्रांत में यह हो रहा है इसलिये हम इसे बदलने के लिये उत्सुक हैं और फिर आगे यह ऐसा ही रहेगा, तब तो कुछ बात सोची जा सकती है। तो श्रीमन् मैं आपके जरिये से सरकार से कहना चाहता हूं कि इतनी छानबीन के बाद जिस सिद्धांत पर आये हैं तो सरकार को दोबारा उस पर छानबीन करनी चाहिये और यदि कोई माकूल दलील हो तो वह सामने आनी चाहिये जिसकी बिना पर आप आज उसे बदलने जा रहे हैं। या तो सरकार यह कहे कि हम टेम्पोरेरी मेजर्स इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ हम यह चाहते हैं कि इस गड़बड़ी को दूर करने के लिये यह तरीका रखते हैं और अगले चुनाव में फिर वही तरीका रखेंगे और जो जनता स्वतंत्र हो गयी तो उसको सीखना पड़ेगा और वह सीख रही है। तो फिर क्या वजह है कि जनता पर अविश्वास किया जाय और यह समझा जाय कि वह गड़बड़ी करेगी और चुनाव में गड़बड़ी रहेगी?

मैं इन शब्दों के साथ इस खंड का विरोध करता हूं और मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह हमें आश्वासन दें कि यह अमेंडमेंट दो साल के लिये ही रखा जायगा और बाद में मैं सरकार की तरफ से फिर अमेंडमेंट आयेगा और जो पुरानी प्रथा है उसी पर फिर काम होगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खंड ९ का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से इस गुत्थी को सुलझाने का भार जनता पर छोड़ा जाना चाहिये था। जनता में विश्वास करके ही कोई जनतंत्रवाद किसी भी देश में पनप और फल-फूल तथा विकसित हो सकता है। अगर इस बात का एहसास माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, या अन्य सदस्य इस माननीय सदन के कर रहे हैं कि आज इस विरोधाभास के कारण

म्युनिसिपल बोर्डों का साधारण काम चलना मुश्किल हो गया है, तो निस्संदेह उन म्युनिसिपल बोर्डों की जनता भी इस बात को समझती है और जरूर समझती है कि उनके यहां इस विरोधाभास के कारण अर्थात् इस कारण कि एक पार्टी का चेयरमैन है और दूसरी पार्टी का वहां बहुमत है ऐसा हो जाने से काम चलना मुश्किल हो रहा है । तो ऐसी हालत में अगर सरकार और माननीय मंत्री जी इस बात के निर्णय का भार जनता के ऊपर छोड़े और दूसरे चुनाव तक इस बात की बाट देखें और देखें कि जनता इसमें क्या फैसला करती है, तो मेरा विश्वास है कि उस कठिनाई को महसूस करके जनता के लोग जरूर ऐसी पार्टी को म्युनिसिपल बोर्ड में चुनेंगे, चाहे वह किसी पार्टी को चुनें कि उसका बहुमत भी हो और चेयरमैन भी उसी का हो । मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा सुझाव है और उपाय है जिससे जनतंत्रवादी प्रणाली की रक्षा भी होती है, इसके प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास है वह भी सुरक्षित रहता है और किसी प्रकार से ऐसी जतंत्रवादी प्रणाली के अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जोकि सरकार अपनाने जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय,माननीय मंत्री जी ने मेरी बात का जवाब देते हुए यह बात कही थी कि जब सारे देश की जनता देश की सरकार को चुनने का मौका आया तो देश ने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस सत्तारूढ़ हुयी । जब प्रदेश की हुकूमत बनाने का मौका आया तो हमारे प्रदेश की आम जनता ने कांग्रेस को सत्तारूढ़ कराया । लेकिन जब झाड़ू लगाने और नालियां साफ कराने का मौका आया तो जनता ने चाहा कि छोटे-मोटे काम अन्य लोगों के जरिये कराये जायं । मैं समझता हूं कि गत चुनावों के परिणामों के ये नतीजे एवं प्रयोगात्मक हैं । अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि एक चिड़िया शुतुर्गमुर्ग है और जब कोई आफत उसके ऊपर आती है या कोई दुश्मन उसका पीछा करता है तो भाग करके वह बालू में मुंह छिपा लेता है और समझता है कि अब वह सुरक्षित हो गया। लेकिन आज तक कोई भी शुतुर्गमुर्ग इस तरह से मुंह छुपा कर सुरक्षित नहीं रह सका इसी प्रकार पिछले ३ साल की घटनाएं मंत्री जी के लिये चेतावनी हैं कि मंत्री जी और उनकी सरकार को सन् १९४६ में जितने प्रतिशत वोट आम सीटों पर मिले थे उसके आधे वोट सन् १९५२ में मिले और हमारे सूबे की शहरी जनता को जब फिर एक बार मत व्यक्त करने का मौका मिला वह चाहे वह म्युनिसिपल बोर्ड के क्षेत्र में ही सही तो एक तिहाई वोट पर उन्होंने कांग्रेस को जिताया । सारे देश में जो उपचुनाव हुये उनका भी नतीजा हमारे सामने है । हमारे सूबे में जो उप-चुनाव हुये हैं वह भी एक खास तरफ इशारा करते हैं । दक्षिण भारत के मलाबार क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी जो नम्बर १ थी वह नम्बर दो हो गयी । इधर त्रावनकोर कोचीन और आंध्र में सरकार की बड़ी मुश्किल हो रही है.....

श्री अध्यक्ष ---आप जरा खंड पर आ जायं । पार्टी पर न जायं ।

श्री झारखंडे राय---अध्यक्ष महोदय, मैं यह बतला रहा था कि यह झाड़ू लगाने की बात नहीं है बल्कि जनता की आस्था और श्रद्धा का सरकार के प्रति दिनोदिन कम होने का प्रमाण है । मैं यह कह रहा था कि सरकार को मौका देना चाहिये कि जनता आगे आने वाले चुनाव में अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करके ऐसी पार्टी के अधिकांश मम्बरों को चुने और इसी दल के चेयरमैन को भी चुनें जिससे म्युनिसिपैलिटी के शासन में दिक्कत पैदा न हो । एक ही दिक्कत बतलायी जाती है और वह हम सब मानते हैं और हर एक आदमी उसको महसूस कर रहा है तो क्या जनता की इस नयी अनुभूति का परिणाम नहीं निकलेगा ?

मैं समझता हूं कि यदि सारी बुद्धि की ठेकेदारी मौजूदा हुकूमत ले ले तो काम नहीं चल सकता है । जिस सद्बुद्धि का इस्तेमाल किया जा रहा है वह कल से दिखायी पड़ रहा है । संशोधन लाये जा रहे हैं और वापस लिये जा रहे हैं और न जाने क्या क्या किया जा रहा है । ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि प्रदेश की विशाल जनता की सद्बुद्धि के ऊपर और उसकी सामूहिक बुद्धिमत्ता पर ही हमें विश्वास करना चाहिये और उसे एक मौका देना चाहिये कि आगे आने वाले चुनाव में ऐसी पार्टी को चुने और उसी पार्टी का चेयरमैन चुने जिससे म्युनिसिपैलिटी के कार्य में कोई भी दिक्कत पैदा न हो । इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार से चुनाव करने

[श्री झारखंडे राय]

की जगह पर जनता क ऊपर विश्वास करना अधिक श्रेयस्कर होगा और उस उसूल की रक्षा भी होगी जिसको मानने का मंत्रिगण दावा करते हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस खंड का विरोध करना चाहता हूं। अगर यह कहा जाय कि इस विधेयक में सबसे खतरनाक खंड यह है तो यह अतियुक्ति नहीं होगी और सम्भवतः इसी खंड को ले आने के लिये इतने बड़े विधेयक को लाने की आवश्यकता पड़ गयी। और यह कहना हमारे लिये एक तरह से गुस्ताखी होगी कि मेरे कहने का बहुत ज्यादा असर स्वशासन मंत्री जी पर पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बहुत सोच विचार कर उपाय की शकल में इस विधेयक को रखा है। अगर राजा वीरेन्द्रशाह, झारखंडे राय, मेरे कहने और जो भाई कहेंगे, उनके कहने से अगर इस खंड को मंत्री जी ने निकाल दिया तो इस विधेयक के प्राण ही निकल जायंगे। मैं मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि वह वीरेन्द्रशाह, झारखंडे राय, मेरे आगे और जो लोग कहने जा रहे हैं, उस पर इस दृष्टि से विचार करें। हम यह भी मानते हैं कि इसमें उनका चिंतित होना स्वाभाविक है। इसलिये कि आखिर म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बरों द्वारा या सभापतियों द्वारा उनका सम्मिलित वोट से विधान परिषद् में भी कुछ सदस्य जायंगे। विधान परिषद् में जो सदस्य जाते हैं उनके लिये चिन्ता अगर कांग्रेस करे कि उनके ही नुमायन्दे जायं तो यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। मैं समझता हूं कि यह चिन्ता ही उनको सताये जरूर होगी कि विधान परिषद् में जिस दल का बहुमत यहां है उसी दल का बहुमत वहां भी रहे, और अजेय बहुमत रहे तो मुनासिब होगा। मैं उससे कुछ दूसरी बात सोचता हूं। मैं यह सोचता हूं कि अगर विधान सभा में हमारा बहुमत हो और विधान परिषद् में किसी दूसरे दल का या स्वतंत्र लोगों का बहुमत हो जाय तो वह कोई चिन्ता की बात नहीं है बल्कि स्वतंत्र लोग कुछ इस प्रकार के होते हैं जो कि सभी एक साथ हो नहीं सकते। भिन्न भिन्न विचारों के लोग आते हैं, भिन्न भिन्न विचार हमको सुनने को मिल सकते हैं वहां से। विधान सभा से कोई कानून जब हम पास करते हैं तो उसको विधान परिषद् के सामने हम भेजते हैं और वह हमारी कमियों को बतलाने के लिये है। हमारी चीज को दूसरे दृष्टिकोण से देख कर फिर हमारे सामने उस चीज को ले आये इसलिये विधान परिषद् की आवश्यकता है, नहीं तो विधान परिषद् पर व्यर्थ में पैसा खर्च करने की आवश्यकता क्या है? तो जिस चिन्ता से स्वशासन मंत्री जी चिन्तित हैं उस चिन्ता से मैं भी चिन्तित हूं। वह दूसरे दृष्टिकोण से सोचते हैं मैं दूसरे दृष्टिकोण से सोचता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह तो आप नियत की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा ही नहीं कि वह इससे चिन्तित हैं। आप चिन्ता उनके ऊपर लाद रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

श्री गेंदासिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब उनकी नियत पर हमला करने का या उनके ऊपर चिन्ता लादने का नहीं है। मैं जरूर चिन्तित हूं इसलिये कि विधान परिषद् को हमको उस दल के हाथ का शिकार नहीं होने देना चाहिये जिस दल का अजेय बहुमत इस विधान सभा में हो। वहां पर ऐसे लोगों को आने का अवसर देना चाहिये जो हमारी कमियों को बतला सकें, क्योंकि जो कानून हम बनाते हैं उसके अमल में आने से पहले अगर हमारी कमी विरोधियों द्वारा मालूम हो जाय या मित्रों द्वारा मालूम हो जाय या बराबर वालों से मालूम हो जाय तो मैं समझता हूं कि जो किसी कानून के अमल में आने के बाद रोज-रोज जनता द्वारा शिकायतें की जाती हैं और फिर अमेंडमेंट करना पड़ता है वह नौबत उतनी जल्दी नहीं आयेगी, ऐसा मैं सोचता हूं। माननीय स्वशासन मंत्री जी से मैं अपील करूंगा कि इस दृष्टि से वह भी सोचें।

दूसरी बात यह कि जैसा कि माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि सार्वभौम सत्ता जनता के हाथ में है इससे मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी भी इन्कार नहीं करेंगे। लेकिन उस जनता को यह महसूस करने का मौका माननीय स्वशासन मंत्री जी नहीं देना चाहते हैं कि वह जो चुनाव करती है उसमें उसको अपने पूरे होश हवास से काम करना चाहिये। वह पूरी तरह से उसका एक नक्शा अपने दिमाग में रखे और उस नक्शे को दिमाग़ में रखकर हर निर्वाचक अपने मेम्बर को चुने। हर आदमी अपने स्वार्थ को, और ऐसे स्वार्थ को जो इर्रेकंसाइलेबिल है दूसरे के स्वार्थ से इस तरह के स्वार्थ को लेकर म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरों को चुनता है और उसके बाद वह उम्मीद करता है कि हमारा स्वार्थ जो है, जो दूसरों के स्वार्थ से भिन्न है, उसकी पूर्ति हमारा मेम्बर जरूर करेगा। इसका परिणाम यह होता है कि वह मेम्बर एक आदमी के स्वार्थ के लिये जो दूसरों के स्वार्थ से भिन्न है, कोशिश करता है कि वह स्वार्थ जरूर पूरा होना चाहिये और फिर उसका परिणाम यह होता है जिसको हम भी भुगत रहे हैं और सारा सदन भुगत रहा है। और उस स्वार्थ को पूरा करने के लिये अगर वह अध्यक्ष का भी चुनाव करेगा तो वही स्वार्थ जो उसके सामने है और जो दूसरे के स्वार्थों से टक्कर खाता है, उस स्वार्थ को दृष्टि में रखकर वह सभापति चुनने का प्रयास करेगा। और उसका परिणाम अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं, जो कुछ होगा बहुत स्पष्ट है। उसमें बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिये मैं कहता हूं कि यह सार्वभौम सत्ता जो है वह जनता के हाथ में रहे और माननीय स्वशासन मंत्री जी स्वयं इस बात को कबूल कर रहे हैं कि इस काम में कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं होने जा रही है जो कि बिल्कुल झाड़ू लगाने का काम है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह गुस्ताखी नहीं करूंगा कि मैं झाड़ू लगाने के काम को महत्व न दूं। क्योंकि हमारे देश का जो राजनीतिक गुरु था उसने कहा था कि झाड़ू लगाने का काम सबसे बड़ा काम है। अब उस शिक्षा के ऐसे शिष्य हों कि उस गुरु की सारी बातों में जो सब से मोटी बात थी उसी को वह भूल गये। वह कहते हैं कि झाड़ू लगाने का काम बहुत महत्वहीन काम है जो कि शहर के लोगों को दे दिया, मैं यह नहीं मान सकता। जब कभी भी म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ, और जिस म्युनिसिपैलिटी में मैं गया तो मैंने जो कुछ माननीय स्वशासन मंत्री ने यहां कहा, वही वहां कहा। मैंने यह कहा कि हम आखिर एक पार्टी की शकल में हैं। पार्टी की शक्ल में हम आप से वोट मांगने आये हैं। लेकिन हम आप से असेम्बली या पार्लियामेंट के लिये वोट नहीं मांग रहे हैं बल्कि पहले झाड़ू लगाने के काम के लिये मांग रहे हैं। अगर हम इस छोटे से काम को, झाड़ू लगाने के काम को न कर सकेंगे तो हमको निकाल देना। पहले झाड़ू तो हमसे लगवा लो। यही कहा था। मैं तो उस झाड़ू लगाने के काम को बहुत महत्व देता हूं। लेकिन मैं उनसे जरूर कहूंगा कि अगर उस झाड़ू लगाने वाले काम में कोई गड़बड़ी होती है तो जनता को अपनी ग़लती को रियलाइज करने का मौका दें कि चुनाव में इस बात को दृष्टि में न रखने की केवल वजह से कि अपना स्वार्थ उसके सामने है, इसलिये सारा मामला उसका गड़बड़ हो जाता है। म्युनिसिपैलिटी के शासन में गड़बड़ी हो जाती है। इससे उसको इस बात का अवसर मिलेगा कि वह अपनी गलती को महसूस करे। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे देश में प्रजातंत्र शैशव काल में है। तो उसको खड़े होने का, गिरने का, चोट खाने का अधिकार तो है। कौन चोट खायेगा? प्रजातंत्र की असली शक्ति निर्वाचक में है। निर्वाचकों के चोट खाने का अधिकार माननीय मंत्री जी को दे दिया जाय और वही चोट खाना मंजूर कर लें तो फिर उन पर इतनी चोट पड़ेगी कि महीने दो महीने में उनको काम करना मुश्किल हो जायगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि अकेले वह चोट न खायें। अगर जनता को चोट लगेगी तो इससे उसके हाथ टूटेंगे नहीं। इसलिये जो ८५ लाख लोग शहरों में बसते हैं उनको मौका दें कि वह अध्यक्ष चुनें। और अगर वह अध्यक्ष बेईमान हैं, निकम्मा निकल जाय तो फिर स्वशासन मंत्री जी की कोई शिकायत नहीं करेगा कि आप ने ऐसा काम कर दिया।

मैं मानता हूं कि प्रशासकीय कठिनाई है। उसको दूर करने के लिये उन्होंने यह तरीका बनाया है। उन्होंने यह नहीं कहा कि जो कुछ कानून उन्होंने पहले पेश किया था

[श्री गेंदासिंह]

वह खराब था। वह कहते हैं कि तरीक़ा तो अच्छा था लेकिन उस तरीके को अपनाने में एक प्रशासकीय कठिनाई आ गयी। लेकिन कुछ म्युनिसिपैलिटियों में यह प्रशासकीय कठिनाई नहीं है। मैं उनसे इतना ही कहूंगा, मैं नाम नहीं रखूंगा, उससे बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है कि जहां पर एक ही दल का बहुमत है, और उस दल के दर्मियान आपस के बहुत से झगड़े हैं अध्यक्ष महोदय, और ऐसे झगड़े हैं कि आपस में एक दूसरे से रिकंसाइल करने के लिये तैयार नहीं हैं। अगर उसकी पूरी तौर से जानकारी हासिल की जाय तो यह मालूम होगा कि अगर सरकार इस बात के लिये कटिबद्ध हो जाय, लोग यह समझ जायं, लोगों के दिमाग में न रहे कि अगर झगड़े करेंगे तो ऐसा कानून बन जायगा जिसके मुताबिक ये सारे चुनाव गड़बड़ी में पड़ जायंगे, नो कांफिडेंस मोशन आसानी से आ जायगा। और सब लोग निकाल बाहर किये जायंगे, नये चुनाव होंगे और दूसरा अध्यक्ष आ जायगा, इस तरह का अगर उनको आश्वासन न रहता और इस तरह का वैधानिक परिवर्तन होने जा रहा है जिसमें चेयरमैनों को बाहर निकाल दिया जायगा। अगर ऐसा न होता तो लोग आपस में रिंकसाइल कर जाते, इतनी गड़बड़ी न होती। लेकिन उनके दिमाग में मालूम नहीं कब से यह बात थी और उसी के भरोसे ये गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं। अगर ऐसा होता कि हमें यह काम करना पड़ेगा जैसे कि परस्पर विरोधी कैम्प्स में बहुत से लोगों को काम करना होता है, तो म्युनिसिपैलिटीज में भी उनको करना पड़ता।

ऐजाज रसूल साहब के संशोधन से हमदर्दी जाहिर की गयी जबकि ऐजाज रसूल साहब हमेशा यह कहते हैं कि हम लोग वक्त ख़राब करते हैं। अब एक घंटा ऐजाज रसूल साहब ख़र्च करेंगे तो कै हजार रुपया हुआ? अगर हमारे बस की बात होती तो हम उनसे वसूल करते लेकिन वह हमारे बस की बात नहीं है। अकेले वह कुछ हजार रुपया खर्च करा रहे हैं। पुराने जमाने में जहां राजकुमार लोग होते थे, तो वे जो हथियार उठा लेते थे तो उसे उठाने के बाद हथियार जमीन पर नहीं गिर सकता था। लोगों को यह सोचना पड़ता था कि अगर गर्दन पर गिरेगा तो गर्दन कट जायगी इसलिये कानी ऊंगली पर गिरा दो तो ऊंगली ही कटेगी। इसी तरह का ऐजाज रसूल साहब का संशोधन है जिससे हमदर्दी जाहिर की गई। अगर ऐसा करने से जो कुछ भी आपने म्युनिसिपैलिटीज संशोधन विधेयक में अच्छी चीजें लाने की कोशिश की थी उन सबको यह संशोधन चौपट करेगा। लिहाजा मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अब भी वह इस पर विचार करें और अपना संशोधन वापस ले लें तो अच्छा हो और ऐजाज रसूल साहब से कहूंगा कि अब भी वक्त बचायें।

श्री ऐजाज़ रसूल—मैं क्लोजर एप्लाई करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहनलाल गौतम—इस विषय पर पहले ही सदन में इतना वाद-विवाद हो चुका है कि कोई खास बात तो बाक़ी रही नहीं। मैं तो इस उम्मीद में था कि माननीय सदस्य बतलायेंगे कि अगर यह न हो तो जो दिक्कतें आ रही हैं उनका क्या इलाज है? लेकिन उनका इलाज अभीतक किसी माननीय सदस्य ने सुझाया नहीं सिवा इसके कि अपने आप ठीक हो जायंगी, जनता पर छोड़ो। यह दो नुस्खे ऐसे थे जिन पर काफी जोर दिया गया। अब यह सदन यह कह दे कि जो कठिनाइयां हैं वे तो सामने हैं लेकिन उन्हें वैसे छोड़ दो, समय अपने आप ठीक कर देगा तो मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है। दूसरे यह कि जनता पर विश्सास किया जाय और शुतुर्मुर्ग की तरह आंख बन्द करके व्यवहार किया जाय। चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई बहस खड़ी करने वाली बात नहीं कहना चाहता इसलिए पोलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरह से इसका इलाज हो। जब तक यह समझ में न आवे तब तक

इसका विरोध करना कोई माने नहीं रखता है। अब विरोध करने का अर्थ यह है कि जो कठिनाइयां हैं वह ज्यों की त्यों बनी रहें। मेरे ख्याल में यह विरोध मुनासिब नहीं है। विरोध के लिये विरोध करना गेंदासिंह जी कभी पसन्द नहीं करते हैं। आज वह क्यों विरोध कर रहे हैं यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं ? राजा साहब ने कहा कि हमको यह आश्वासन दिलाया जाय कि दो साल के बाद फिर इस तरह से कर दिया जायगा, मैं इसमें क्या कर सकता हूं ? एक तजुर्बा है । पहले तजुर्बा हुआ और इससे तजुर्बा होगा, और उसमें जो ख़राबी निकलेगी वह सदन के सामने फिर रखी जायगी और उसके लिये संशोधन फिर सदन के सामने आयेगा। उस समय सदन को अधिकार होगा कि वह उस ख़राबी को देखते हुये उसका इलाज करे। इसलिये भविष्य के लिये मेरा कोई आश्वासन देना मुनासिब नहीं है और न राजा साहब के लिये ही इस तरह के आश्वासन मांगना उचित है ।

एक बात गेंदासिंह जी ने कह कर मेरी चिन्ता को दूर कर डाला। वह मेरी चिन्ता का इलाज करना चाहते हैं। इस हमदर्दी के लिये उनको धन्यवाद है। लेकिन अगर समझ-बूझ कर इसका इलाज किया जाय तो ज्यादा उचित होगा। इससे तो मेरी चिन्ता और बढ़ गयी। अगर वह मेरी चिन्ता बढ़ाना चाहते हैं तो वह हमदर्द डाक्टर की शक्ल में न आते बल्कि अपने हाथ में तलवार ले कर आते। आप कहते हैं कि कौंसिल के लिये ही यह मैनिपुलेशन हो रहा है और कौंसिल के एलेक्शन के लिये यह किया जा रहा है। यह बात कसौटी पर उतरने वाली नहीं है। इसलिये कि जो कौंसिल बोर्ड ने चुनी है वह तो बोर्ड की राय है । बोर्ड जनता द्वारा चुना जायगा जो कि वोटर है। इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं। जो जनता है वह वोटर है। सिर्फ प्रेसीडेंट का सवाल है। प्रेसीडेंट एक २५, ३०, ४० वें हिस्से का होगा। और उस में भी ऐसे प्रेसीडेंट का सवाल नहीं है सिर्फ माइनारिटी का सवाल है और उनमें भी बहुत सी जगह पर कांग्रेसी प्रेसीडेंट हटाकर नान-कांग्रेसमैन आ जायेंगे। मैंने शुरू में बताया था कि ८ में माइनारिटी है । १३ में कांग्रेस प्रेसिडेंट है । इनकी संख्या २१ है और उनमें मजारिटी ११ में है। इस संख्या में से यानी २१ में से कांग्रेस वालों को निकाल दिया जाय तो जिनकी मेजारिटी है वह सिर्फ ११ प्रेसीडेंट है, और १० का भी काफी बड़ा गुट होता है। यह गलत है कि उनको निकालने का विचार किया जा रहा है। मैं इस दलील को समझा नहीं हूं। समझने की बात यह है कि अगर कोई निकाला जायगा तो वह जनता द्वारा चुना जायगा या बोर्ड द्वारा चुनाव हो। इसमें यह नहीं है कि उसको निकाल दिया जाय । इस तरह से अक्ल को खींच कर यह मतलब निकालना और इस तरह से इस बात को कहना कि मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है। इसलिये इसमें बतलावें कि किस तरह की चीज आप चाहते हैं ? कोई साहब साबित करें कि इस तरह के संशोधन के बाद एक भी वोटिंग इस तरह से हो जायगा जो कि कांग्रेस वाले को मिल जायगा । और फिर १, २ वोट के लिये एक संशोधन यहां पर लाना कि अपर हाउस में कुछ सीट्स मिल जायं यह इतनी दूर की बात है जो मामूली अक्ल वाला समझ नहीं सकता। अगर गेंदासिंह जी इतने समझदार हो गये हैं यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिये जो बात चिन्ता को दूर करने की कही गयी उसमें कोई तथ्य नहीं है।

एक बात गेंदासिंह जी और झारखंडे राय जी ने कही कि इन सब बातों का फैसला जनता पर छोड़ देना चाहिये। जनता दूसरी चीज है और यह दूसरी चीज है। इसमें कंट्राडिक्शन है । लेकिन मैं उससे इत्तिफ़ाक करता हूं कि जनता को भी कुछ मालूम हो कि उन्होंने गलत चुनाव किया था। प्रेसीडेंट एक तरफ का चुन दिया और मेम्बर दूसरी तरफ के चुन दिये। इसलिये मुझे तो अन्दाजा यह हुआ कि दोनों साहबान ने , इनडाइरेक्टली या डाइरेक्टली, ऐजाज रसूल साहब के अमेंडमेंट की बहुत कुछ ताईद की कि भाई, जनता को भी एक मौक़ा दो कि बोर्ड और प्रेसीडेंट दोनों जनता के पास चले जावें। ऐजाज रसूल साहब के अमेंडमेंट में यही है कि अगर जरूरत हो तो प्रेसीडेंट को भी हटा दो, और मेम्बरों से भी कहो कि तुम भी जाओ

[श्री मोहनलाल गौतम]

जनता के पास । तमाम दिक्क़त ऐजाज़ रसूल साहब के आगे आने वाले संशोधन से दूर हो जायगी। मेम्बरों को हटाने का अधिकार तभी रख सकती है जब कि बोर्ड डिजाल्व हो जाय।

बड़ी ग़लतफ़हमी है माननीय गेंदा सिंह जी को कि बिल का पता लग गया था, इसलिये जोड़-तोड़ शुरू हो गया। जब मैंने अपर हाउस में यह बिल पेश किया था तो उस वक्त मैंने अपनी दिक्क़तें बतलायी थीं । उस समय के आंकड़े यही ज़ाहिर करते हैं कि काफ़ी खराबियां उस समय बोर्डों में थीं और उस वक्त भी १८ बोर्डों के बजट पास नहीं हुये थे। बहुत से बोर्डों में कमेटियां नहीं बनी थीं और इन्हीं दिक्क़तों को देख कर यह अमेंडमेंट लाया गया था। यह बात नहीं है कि दिक्क़तें इस अमेंडमेंट से पैदा हो गईं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि २३ बोर्डों में उस समय तक कमेटियां नहीं बनी थीं जब कि यह अमेंडमेंट लाया गया था और ५ में वाइस प्रेसीडेंट नहीं बने थे। इसलिये मैं निवेदन करूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इस विधेयक में मुझे कोई सार दिखाई नहीं पड़ा, और जो एक बात कही है उसका प्रावीज़न आगे ऐजाज़ रसूल साहब के संशोधन में कर दिया गया है, और मैं आशा करता हूं कि यह विरोध ख़त्म हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ --

(पक्ष में-- १२२
विपक्ष में-- २०।)

* खंड ११ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--खंड १० हो चुका है। खंड ११ में माननीय वीरेन्द्रपति यादव ने अपना संशोधन पेश कर दिया था और माननीय स्वशासन मंत्री ने उस पर अपना मत भी दे दिया था। अब उसके बारे में क्या कहना है?

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिये मुझे वह अस्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ११ में प्रस्तावित धारा 43-B की उपधारा (२) के भाग (*b*) व (*c*) निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२

य०पी०ऐक्ट २, १९१६ में नई धारा ४३-सी का रखा जाना।

१२--मूल अधिनियम की धारा ४३-बी के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ४३-सी के रूप में रख दिया जाय--

'43-C. The State Government may, by Order, make provision with respect to the following matters concerning the conduct of and settlement of dispute regarding election of Presidents, that is to say—

(*a*) the appointment, powers and duties of Returning Officers ;

* १५ दिसम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

(*b*) appointment of dates for nomination, scrutiny, withdrawal and polling ;

(*c*) the manner of presentation and the form of nomination paper , the requirements for a valid nomination, scrutiny of nominations and withdrawal of candidature ;

(*d*) procedure at elections, including death of candidate before poll and procedure of contested and uncontested elections ;

(*e*) hours of polling and adjournment of poll ;

(*f*) manner of voting at elections ;

(*g*) scrutiny and counting of votes including recounting of votes and procedure to be followed in case of equality of votes ;

(*h*) declaration and notification of results ;

(*i*) return and forfeiture of scurity deposits ;

(*j*) form of the election petition and the court fee payable thereon and parties thereto;

(*k*) manner of presentation of the election petition and the time within which the petition shall be presented ;

(*l*) deposit of scurity with the election petition and return and forfeiture thereof ;

(*m*) relief that my be claimed by the petitioner ;

(*n*) procedure to be followed in the hearing of election petition and the place of hearing ;

(*o*) powers of the election tribunal ;

(*p*) orders of the tribunal including declaration of a candidate other than the returned candidate to have been elected and grounds therfor ;

(*q*) disqualification of candidates on the ground of committing corrupt practices ; and

(*r*) generally on all matters relating to conduct of and disputes regarding election of Presidents ."

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १३

१३--मूल अधिनियम की धारा ४४-ए के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४४-ए का संशोधन ।

"44-A. If a casual vacancy occurs in the office of President owing to death, resignatin or removal, or due to the avoidance of his election, the members of the board shall elect a President in the manner , as far as may be, provided in section 43 and under section 43-C for the election of President at a general election."

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*खंड १५ (क्रमागत)

श्री रामेश्वर लाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, कल यह संशोधन माननीय ऐजाज रसूल साहब द्वारा इस सदन में उपस्थित हो चुका है और मैं उसके ऊपर अपने कुछ विचार कल भी इस सदन में उपस्थित कर चुका हूं । मैंने बड़े गौर से इस संशोधन विधेयक को भी, जो माननीय मंत्री जी ने उपस्थित किया था, पढ़ा और मूल अधिनियम की धारा जो ४७-ए है उसको भी पढ़ा । और जो माननीय ऐजाज रसूल जी द्वारा यह संशोधन उपस्थित किया गया है उसको भी पढ़ा । पढ़ने के पश्चात् मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि माननीय ऐजाजरसूल जी का जो संशोधन है वह मूल अधिनियम से कुछ अधिक अप्रजातांत्रिक बन्धनों से युक्त है क्योंकि मूल अधिनियम की धारा ४७-ए में, शुरू में जहां बोर्ड के प्रेसीडेंट को पदच्युत करने की बात कही गयी है, वहां पुनः चुनाव की चर्चा है । लेकिन श्री ऐजाज रसूल जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है, उसमें उन सब बन्धनों को रखते हुये पुनः चुनाव की चर्चा छोड़ दी गयी है । माननीय मंत्री जी ने अपने संशोधन विधेयक में उसकी चर्चा नहीं की है तो फिर मैं यह समझता हूं कि यह संशोधन, जो माननीय ऐजाज रसूल ने उपस्थित किया है वह माननीय मंत्री जी के सहयोग से या हो सकता है कि उनकी राय से विचार विमर्श करने के बाद ही इसे उपस्थित किया हो । ऐसा मान कर फिर जब मैं इसका विरोध करने के लिये प्रस्तुत हुआ हूं तो अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन को सदन में स्वीकारार्थ उपस्थित करने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इसके पीछे एक राज है । और वह राज यह है कि माननीय प्रस्तुतकर्ता यह चाहते हैं कि बोर्ड के सभापति पर यदि अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित हो जाय तो सभापति बोर्ड को डिजाल्व करने के बारे में स्टेट गवर्नमेंट को लिखे और स्टेट गवर्नमेंट यदि उचित समझे तो बोर्ड को डिजाल्व कर दे । माननीय मंत्री जी द्वारा ऐसे संशोधन उपस्थित करने का मतलब सिर्फ यह है कि सूबेकी वे ८ म्युनिसिपैलिटीज जहां सरकारी पार्टी का बहुमत नहीं है, उनको डिजाल्व कर दिया जाय । मैं समझता हूं कि यदि माननीय ऐजाजरसूल द्वारा उपस्थित किया गया यह संशोधन मान लिया गया तो सूबे की वे आठ म्युनिसिपैलिटियां जहां दूसरी पार्टी के हाथ में वहां का बहुमत है, डिजाल्व कर दी जायंगी, ऐसा खतरा उनके सामने उपस्थित है । फिर हर एक ईमानदार आदमी का कर्त्तव्य है जो डेमोक्रेसी में विश्वास करता है कि इस खतरे से सदन को अवगत करावे और यह उचित होगा कि ऐसे खतरे का मुकाबला करे । माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय मंत्री जीनचाहते हैं कि माइनारिटी वाले ८ बोर्ड जो सूबे के अन्दर हैं उनको डिजाल्व कर दिया जाय, उसको पदच्युत कर दिया जाय तो कम से कम संशोधन विधेयक में जो उन्होंने प्रस्तुत किया है उसमें इसका जिक्र करते । लेकिन मैं समझता हूं कि गर्मी के दिनों में नैनीताल से लेकर लखनऊ तक कई बैठकों में भाग लेकर माननीय मंत्री जी और उनके कर्मचारियों ने अपनी बुद्धि से काम लेकर इस संशोधन को उपस्थित किया है इसमें कोई शक नहीं है । इसलिये मैं समझता हूं किमाननीय मंत्री जी का जो संशोधन है वह स्वीकार करने के योग्य है और जहां तक माननीय ऐजाजरसूल जी के संशोधन का सम्बन्ध है वह तो एक प्रतिक्रियावादी संशोधन है और मैं उसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सदन उसका विरोध करेगा और मंत्री जी भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे ।

राजा वीरेंद्रशाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय ऐजाजरसूल साहब ने भवन के सामने पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं । हमारी तरफ से जो कहा गया था कि ऐसी चीजें लाने से सरकार का कुछ मकसद है तो वह बात इससे करीब-करीब साफ

---

*१५ दिसम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है

नोट--खंड १४, १५ दिसम्बर, १९५४ को स्वीकृत हुआ ।

हो जाती है । अभी अभी माननीय सदस्य ने बतलाया कि ८ ऐसे प्रेसीडेंट हैं जो कांग्रेस के प्रेसीडेंट हैं लेकिन वहां बहुमत दूसरी पार्टी के लोगों का है । यह जो संशोधन नवाब साहब ने रखा है वह इसलिए कि इस संशोधन के बाद प्रेसीडेंट को निकालना पड़ेगा और साथ में उनके पूरा बोर्ड भी चला जाय, और फिर एलेक्शन हो और फिर मौका लगे तो कांग्रेस पार्टी का वहां बोलबाला हो । मैं समझता हूं कि जरा सोचना चाहिए और किसी सिद्धांत के साथ संशोधन लाना चाहिये न कि किसी पार्टीबंदी या गुटबंदी की वजह से जैसा कि नवाब साहब करते हैं और उनका तो यही काम रहा है . . . .

श्री अध्यक्ष--आप व्यक्तिगत हमला न करें।

राजा वीरेंद्रशाह--मैं इसको वापस लेता हूं लेकिन नवाब साहब पहले मुस्लिम लीग में थे और अब किसी तरह मानमनू कर कांग्रेस में पहुंच गये . . . .

श्री अध्यक्ष--मैं व्यक्तिगत हमले को रोकना चाहता हूं और आप उसी पर और आगे बढ़ रहे हैं ।

राजा वीरेन्द्र शाह--मैं श्रीमन्, कहना चाहता हूं कि मेरे लिये क्या मैं तो इनडिपेंडेंट हूं, मैं उधर भी जा सकता था लेकिन वह आज तो बड़ी धारा में बहने लगे लेकिन इसके मानी यह नहीं हैं कि वह अपनी असलियत को भूल जायं । मैं कहूंगा कि अगर ऐसा संशोधन इस भवन में पेश किया जाय तो जरा उसकी अहमयित को भी समझा जाय । और अगर वह छोटी-छोटी और जरा-जरा सी बातों पर ध्यान देने लगेंगे और इस तरह सोचने लगेंगे कि ८ कांग्रेस के सभापति हो जायेंगे, तो कांग्रेस तो इतनी बड़ी संस्था है, उसको ऐसी छोटी चीजों पर गौर नहीं करना चाहिये और जनता पर ही छोड़ना चाहिये । आपको ८ आदमी खटकने लगे कि ८ जगह हमारा प्रभाव नहीं रहेगा ।

मंत्री जी ने भी जो कहा कि जनता को देख लिया जायगा, इसका हमें दुख है । अगर जनता को ही देखना है तो सरकार संशोधन वापस ले ले और जहां आपका नुकसान हो रहा है वहां जनता का प्रभाव देखना चाहते हैं तो देख लें कि वहां क्या होता है ? मैं कहूंगा कि इतनी छोटी-छोटी बातों में ऐसे संशोधन को पास करा के लड़ाई का अखाड़ा बनाना उचित नहीं है । मैं आपके द्वारा फिर माननीय नवाब साहब से कहूंगा कि अब तो वह बड़ी पार्टी में आ गये हैं, बड़ी बातें सोचें और अपने संशोधन को वापस ले लें ।

श्री ऐजाज रसूल--जनाब वाला, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि तिवारी जी जैसे जीफहम आदमी ने मेरी तरतीम की मुखालफत की और फर्माया कि बगैर वक्त पर नोटिस दिये हुये यह संशोधन लाया गया है । मैं उनकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं श्री नवलकिशोर जी के अमेंडमेंट पर, अगर आप कल के एजेंडे पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि मेरा संशोधन भी करीब करीब वही है, सिवा एक दो जगह के उसमें कोई फर्क नहीं है । लिहाजा यह गलत है कि एक दम से पेश कर दिया गया है । मुझे ताज्जुब हुआ कि इतने समझदार आदमी होते हुये भी ऐसे गलत तरीके से उन्होंने यह एतराज किया । अभी उन्होंने यह भी फरमाया कि "इनकेपेसिटेड" भी गलत चीज है, लेकिन मैं उनको बता दूं कि यह एक लीगल टर्म है और अगर आप दफा ५५ पर गौर करें कि अगर चेयरमैन इस काबिल न रहे कि काम कर सके तो उसकी जगह पर वाइसचेयरमैन काम करेगा । लिहाजा यह लीगल इनकैपेसिटी हो गयी । जब उसके ऊपर वोट आफ नो कांफीडेंस पास हो गया तो अब वह तीन रोज के बाद काम नहीं कर सकता जैसा अमेंडमेंट है । तो अब उसकी जगह पर क्या होना चाहिए इसलिये ये अल्फाज रखे गये हैं । जो मूल ऐक्ट है उसमें है कि वाइस चेयरमैन काम करे । लिहाजा मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों एतराज किया गया? महज एतराज करने के खातिर यह सब बातें कही गयीं और यह समझने की कोशिश नहीं की गयी । अगर समझने की कोशिश की होती तो वे समझ लेते लेकिन समझना नहीं चाहते ।

[श्री ऐजाजरसूल]

इसके बाद और कुछ बातें कही गयीं उनका जवाब मैं नहीं देना चाहता। यह मैं यहां जरूर कह दूं कि दफा १५ के मातहत अगर उसके खिलाफ वोट आफ नो कांफीडेंस पास कर दिया जाय तो उसको फौरन इस्तीफा देना पड़ेगा और वह दोबारा गवर्नमेंट को रिप्रेजेन्ट नहीं कर सकता। आज चेयरमैन से चन्द मेम्बर नाराज हो गये और वोट आफ नो कांफीडेंस ले आये और वह पास भी हो जायगा, इस तरह पर इम्कान इस बात का है कि एक टर्म में कई चेयरमैन हटाये जायं। इसी को रोकने के लिये मेरी तरमीम है कि अगर बिला वजह चेयरमैन निकाला जाय और उसके ऊपर और कोई इल्जामात नहीं है, महज इसलिये कि वह पार्टीबन्दी में शरीक नहीं हुये लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक किया, मेम्बरों की रोशनी, लालटेनों और दूसरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया, तो वह अपने मामले को गवर्नमेंट को भेज सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं और गवर्नमेंट इस बात पर गौर करेगी कि वह वोट आफ नो कांफीडेंस बिला वजह तो नहीं है? इससे आप देखेंगे कि कितनी आसानी हो जायगी और बिला वजह के बोर्ड की रोजाना की वर्किंग में कोई खराबी नहीं पैदा होगी।

श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि इस संशोधन से दुधारी तलवार की तरह काम किया जा है और वह दुधारी तलवार एक राजकुमार लाये हैं। और अगर मैं राजकुमार हूं तो उनकी तरफ से भी राजा साहब बोले और खूब बोले और बहुत कुछ कहा। जो कुछ उन्होंने कहा उसकी बाबत तो मैं कुछ अर्ज नहीं करना चाहता सिर्फ उनकी खिदमत में एक शेर अर्ज करना चाहता हूं :—

"इतनी न बढ़ा पाक दामन की हिकायत,
दामन को जरा देख, जरा बन्दे कबा देख ।।"

हुजूरवाला, अपनी हालत को तो आप देखें। दूसरों पर हमला करने के पहले खुद को देखें कि जनाब कहां थे और आज कहां हैं? लेकिन डिमोक्रेसी में तो हर मुल्क में यह होता चला आया है कि कोई आज एक पार्टी में है और दूसरा दूसरी पार्टी में चला गया। मिस्टर चर्चिल एक लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने चेंजेज किये। तो यह सब बातें होती जाती हैं। लेकिन राजा साहब ने इस मामले में बहुत छींटाकशी की कि यह किया, और वह किया लेकिन मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैंने काफी बातें भवन के सामने कह दी हैं। मुझे उम्मीद है कि भवन मेरी इस तरमीम को मंजूर कर लेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा 47-A जैसा कि खंड १५ में प्रस्तावित किया गया है के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"47-A (1) If a motion of non-confidence in the President has been passed by the board and communicated to the President in a accordancc with the provisions of section 87-A the President shall—

(*a*) Within three days of the sending of such communication, either resign his office or represent to the State Government to dissolve the board, stating his reasons therefor; and

(*b*) on the expiry of three days after the date of sending of such communication, stop acting as President and shall be deemed to be incapacitated from functioning as President within the meaning of section 55.

(2) In the event of failure of the President to act in accordance with clause (*a*) of sub-section (1) within the time allowed under that sub-section, the State Government shall remove him with effect from a date to be specified in the order and any person so removed shall notwithstading anything in section 43 -AA be not eligible for re-election to fill any casual vacancy occurring before the general election next following .

(3) If a representation has been made in accordance with sub-section(1), the State Government may, after considering the same either ask the President to resign or dissolve the board including the President.

(4) If the State Government asks the President to resign under sub-section (3) he shall within three days of the receipt of the order resign the office of President.

(5) In the event of failure to resign within the time allowed in sub-section (4) the President shall be removed by the State Government and shall not be eligible for re-election at the next election of the President or to fill up any casual vacancy occurring before the next general election of the Board.

(6) If the State Government dissolves the board under sub-section (3) the consequences mentioned in section 31-A shall follow as if there had been a dissolution under section 30."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१००

विपक्ष में—१८ ।)

श्री अध्यक्ष —प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १६

१६—मूल अधिनियम की धारा ४८ की उपधारा (२) के खंड (*b*) के उपखंड (i) में संख्या और अक्षर (13-D) के स्थान पर संख्या और अक्षर (43-AA) रख दिये जायं । यू०पी० ऐक्ट २,१९१६ की धारा ४८ का संशोधन ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १७

१७—मूल अधिनियम की धारा ४९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— यू० पी० ऐक्ट २,१९१६ की धारा ४९ का संशोधन ।

"49. The President of a board, if he is not already a member of the board, shall be *ex-officio* member of the board".

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १८

१८—मूल अधिनियम की धारा ५४ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ५४– ए के रूप में बढ़ा दिया जाय —

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ में नई धारा ५४ –ए का बढ़ाया जाना।

"54-A. (1) Where a person on being elected President fails or refuses to function or is otherwise not able to function, and a vice-president has not been elected in accordance with this Act, the powers and funtions of the President shall, until a vice-president has been elected , be exercised and performed, if the District Magistate so directs and subject to such conditions as he may specify, by the Executive Officer and in the case of a Board where there is no Executive Officer, by the Secretary , and the following procedure shall be followed for the election of a vice-president.

(2) The meeting for the election of the vice-president shall be held at the office of the Board and on the date and time appointed by the District Magistrate. The notice of the meeting and the date and time appointed therefor, shall be sent to every member of the Board at his place of residence 7 clear days before the date fixed for the meeting. A copy of such notice shall also be published in such manner as the District Magistrate may direct and thereupon every member shall be deemed to have recieved the notice.

(3) The District Magistrate shall arrange with the District Judge for a stipendiary Civil Judicial Officer to preside at the meeting convened under this section and no other person shall preside over it. If within half an hour of the time appointed for the meeting, the Judicial Officer is not present to preside at the meeting, the meeting shall stand adjourned to the date and the time to be appointed and notified later to the members by that Officer under sub-section (4).

(4) If the Judicial Officer is unable to preside at the meeting , he may after recording his reasons adjourn the meeting to such other date and time as he may appoint but not later than 7 days from the date appointed for the meeting under sub-section (2). He shall without delay communicate in writing to the District Magistrate the adjournment of the meeting. It shall not be necessary to send notice of the date and the time of the adjourned meeting to members individually but the District Magistrate shall give notice of the date and the time of the adjourned meeting by publication in the manner provided in sub-section (2).

(5) Save as provided under sub-sections (3), (4) the meeting convened under this section shall not be adjourned for any reason.

(6) As soon as the meeting convened under this sectior has commenced the Board shall proceed to elect the vice-president.

(7) The Judicial Officer shall not be entitled to vote at the election.

(8) In case of equality of votes, the Judicial Officer shall decide by lot which of the candidates having equal votes is to be declared elected.

(9) The Judicial Officer shall declare the result of the election at the meeting and shall forward a copy of the minutes of the meeting to the President and the District Magistrate"

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि "खंड १८ में प्रस्तावित धारा 54-A की उपधारा (1) की पंक्ति ५ में शब्द "President" तथा "shall" के बीच में शब्द " except presiding at a meeting of the Board" रख दिये जायं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रस्ताव जो खंड १८ में है वह यह है कि प्रेसीडेंट के न रहने पर और वाइस प्रेसीडेंट के भी न होने पर जिलाधीश को यह अधिकार होगा कि वह एक्जीक्यूटिव आफिसर या सेक्रेटरी को वह समस्त अधिकार दे दे जो कि प्रेसीडेंट को थे। तो जहां तक उन अधिकारों का सवाल है जिनका कि सम्बन्ध केवल कार्यालय या बोर्ड के कार्य संचालन से है,वह तो ठीक है। परन्तु प्रेसीडेंट को यह अधिकार है कि वह बोर्ड की बैठकों का सभापतित्व करे और वहां सब सदस्य उसके अनुशासन तथा नियन्त्रण में रहने के लिये बाध्य हैं। इसलिये मीटिंग का सभापतित्व करने का अधिकार देना, जिसमें कि उसका सम्बन्ध बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों से पड़ता है, ठीक नहीं है क्योंकि यह किसी भी प्रजातान्त्रिक प्रणाली में निरस्त है। निर्वाचित सदस्यों का किसी वैधानिक अधिकारी या कर्मचारी के अधीन कार्य करने के लिये बाध्य किया जाय, अतः किसी भी ऐसी संस्था में यह उचित नहीं मालूम होता कि निर्वाचित सदस्य उसी संस्था के किसी वैतनिक अधिकारी के नियन्त्रण में कार्य करें। इसी कारण मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है। इसका केवल यह अभिप्राय है कि बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों को वैतनिक अधिकारियों के नियंत्रण में कार्य करने के लिये बाध्य न होना पड़े। यह एक छोटा सा संशोधन है और मैं आशा करता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे यह संशोधन स्वीकार है। कोई विचार यह नहीं था कि यह जो अधिकार दिया जायगा उसमें मीटिंगों को प्रिसाइड करने का भी अधिकार हो। सिर्फ मीटिंगों को बुलाने तक की बात तो सोची जा सकती है लेकिन मीटिंगों को प्रीसाइड करने की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा 54-A की उपधारा (1) की पंक्ति ५ में शब्द "President" तथा "shall के बीच में शब्द "except presiding at a meeting of the Board" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा 54-A की उपधारा (1) की पंक्ति ८, ९ व १० से "by the Executive Officer and in the case of a Board where there is no Executive Officer, by the Secretary." शब्द निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "by a Sub-Divisional Officer to be nominated by the District Magistrate" रख दिये जायं।

[श्री लक्ष्मणराव कदम]

इस सम्बन्ध में मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अभी जगदीशप्रसाद जी कह चुके हैं और इसी कारण से मैंने यह संशोधन रखा है कि बोर्ड के कर्मचारियों को सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में काम करने का मौका देना उचित नहीं मालूम होता है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मंजूर कर लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कार्य है यह बहुत थोड़े समय के लिये होगा। अधिक समय के लिये किसी सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट या किसी एग्जीक्यूटिव आफिसर से यह काम कराने की कोई ख्वाहिश नहीं है। दिक्कत यह पड़ी कि प्रेसीडेंट तो हट गये, मान लीजिये वाइस प्रेसीडेंट भी नहीं हैं। तो अब मीटिंग कौन बुलाये? क्योंकि प्रेसीडेंट को मीटिंग बुलाने का अधिकार था। अगर बोर्ड की मीटिंग बुलाली जाय और वाइस प्रेसीडेंट चुन जाय तो काम चलने लगे। ऐसी दिक्कत आयी देखने में, तब यह रखा गया और उन दिनों थोड़ा जो काम होगा वह ऐसा होगा जो दफ्तर के काम करने वाले ही ज्यादा समझ सकते हैं। और मान लीजिये कि कोई बिल पास करना है या और कोई काम है तो उसमें एक्जीक्यूटिव आफिसर या सेक्रेटरी को यह अधिकार दिया जायगा और अगर वह ग़लती करेंगे तो बोर्ड के काबू में रहेंगे और बाद में भी बोर्ड जांच कर सकता है और पूंछ सकता है कि तुमने ग़लती क्यों की.....

श्री अध्यक्ष--आप क्या अभी भाषण जारी रखेंगे?

श्री मोहनलाल गौतम--मुझे यही कहना है कि वहां एस० डी० ओ० के रखने की जरूरत ही नहीं है। वह तो थोड़े समय तक के लिये था जब कि वाइस-प्रेसीडेंट का चुनाव होता था, लेकिन अब तो प्रेसीडेंट भी चुना जायगा। इसलिये उनको वहां रखने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष--(श्री लक्ष्मण राव क़दम से) क्या आप अपना संशोधन वापस लेते हैं?

श्री लक्ष्मणराव कदम--जी हां, मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--चूंकि अभी काफी संशोधन रह गये हैं और तीसरी रीडिंग भी होगी तो इसके बाद सवा दो बजे से, जो संशोधन बाक़ी है, उनके ऊपर अब राय ली जायगी, वाद-प्रतिवाद नहीं होगा। जिनके संशोधन मौजूद हैं, वह सज्जन अगर अपने स्थान पर खड़े होंगे तो उनके संशोधनों पर राय ली जायेगी, अगर नहीं खड़े होंगे तो नहीं ली जायेगी। यह भी भावना थी कि तीसरी रीडिंग में भी लोग बोल सकें तो बहुत से सिद्धान्तों के सवाल पर बोलने का एक दफा मौक़ा मिल जायगा, अगर तीसरी रीडिंग नहीं होगी तो मौका नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि १५-२० मिनट में पढ़ने का काम ख़त्म हो जायगा और उसके बाद तीसरी रीडिंग का मौका मिल जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--संशोधन ज्यादा नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, एक पेज है। तो ढाई बजे तक चल जायगा। इसके बाद जो बाक़ी रह जायंगे उनके ऊपर राय ले ली जायगी।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं —

'खंड १८ में प्रस्तावित धारा "54--A" की उपधारा (2) की पंक्ति ५ में शब्द "Sent" के स्थान पर शब्द "Serve" रख दिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई विशेष भाषण देने की जरूरत नहीं है। शब्द 'सेंट और सर्व' में क्या अन्तर है इसको माननीय मंत्री जी भलीभांति जानते हैं। इसको समझाते हुये मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इसको स्वीकार कर लें।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नोटिस भेजने का कोई एक समय है। वह अफसर आयेगा और नोटिस भेज देगा। 'सर्व' से बड़ी मुश्किल हो जायगी। हम उनको इनाम देंगे कि जो प्रेसीडेंट के वोट आफ नो कांफीडेंस के बाद नोटिस को सर्व न होने दें। इसलिये इसमें बड़ा झंझट है और चालाक और बेईमान आदमी को इनाम देने की बात है। इसलिये मुझे अफसोस है कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री रामसुभग वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि—

'खंड १८ में प्रस्तावित धारा "54--A" की उपधारा (4) की पंक्ति ४ में अंक व शब्द "7 days" के स्थान पर अंक व शब्द "14 days" रख दिया जाय।'

इस सिलसिले में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह दफा ५४–ए की उपधारा (२) और (३) में दिया हुआ है कि वाइस प्रेसीडेंट का चुनाव किस किस तरह से होगा। उपधारा (२) में दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक नोटिस सात दिन का हर मेम्बर को देगा और उसको किसी अख़बार में भी शाया करेगा और वाइस प्रेसीडेंट के चुनाव के लिये एक जुडिशियल आफिसर को भेजेगा जो मीटिंग प्रेसाइड करेगा, मगर उपधारा (४) में आप देखेंगे कि अगर किसी कारण से जुडीशियल आफिसर मीटिंग में न पहुंच सके तो वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखेगा और कोई दूसरी तारीख़ मुकर्रर करेगा। जिसमें लिखा हुआ है कि वह ७ दिन से ज्यादा न हो। तो मेरा निवेदन यह है कि अगर हेडक्वार्टर से म्युनिसिपैलिटी दूर हुई और मुन्सिफ़ी या सिविल जजी भी दूर हुई, ४०–५० मील के फ़ासले पर, तो वह मुन्सिफ या सिविल जज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखेगा और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसको किसी अख़बार में शाया करेगा और तब उसकी इत्तला मेम्बरों को होगी। उपधारा (४) में यह साफ़ लिखा हुआ है कि मेम्बरों को वह मुन्सिफ़ या सिविल जज इत्तला नहीं देगा, खाली अख़बारों में वह छप जायगा और उससे हर एक मेम्बर को इत्तला इस बात की हो जायगी कि अमुक तारीख़ पर वाइस-प्रेसीडेंट का चुनाव होने वाला है। तो मेरा निवेदन यह है कि ७ दिन इस काम के लिये बहुत कम हैं, इसके वास्ते १४दिन का समय रख दिया जाय जिसमें यह काम अच्छी तरह से हो सके क्योंकि सिविल जज या मुन्सिफ़ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखेंगे फिर वह किसी अख़बार में जायगा छपने के लिये, उसका रुपया जमा होगा, तब वह शाया होगा और फिर मेम्बरों को मालूम होगा। इसमें समय अधिक लग जायगा। इस वास्ते मैंने रखा है कि बजाय ७ दिन के अगर १४ दिन रख दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको कबूल करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के झंझट जब पैदा हों तो जितनी जल्दी उनका फ़ैसला हो जाय उतना ही अच्छा होगा, वहां के लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये। उसको लम्बा बढ़ाना कुछ वहां के लिये फायदे की बात नहीं होगी, नुक्सान की बात होगी। जहां तक इस प्रोसीजर का ताल्लुक़ है कि मुन्सिफ़ या सिविल जज पहले डी० एम० को ख़बर करेगा तब छपेगा, उसके साथ साथ यह भी है कि जब वह मीटिंग होगी उसी वक्त यह कह देगा कि अगली मीटिंग ३, ४ या ७ दिन के बाद होगी। वह एलान तो उसी वक्त हो जायगा और वे मेम्बर खुद दूसरों को बता देंगे। इसलिये मेम्बरों को इत्तला न मिले जो शहर में ही हों यह ज़रा नामुमकिन है। अगर कोई बाहर गया हो, जहां से आ न सके, तो उसके लिये १४ दिन भी कम हो सकते हैं। इसलिये मेरा ख्याल है कि ख़ामख्वाह इसको लम्बा करने में वहां का लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन परेशान होगा।

श्री बेचनराम गुप्त---उपाध्यक्ष महोदय, आप उपधारा (४) को देखेंगे तो उसमें लिखा है :

"It shall not be necessary to send notice of the date and the time of the adjourned meeting to members individually but the District Magistrate shall give notice of the date and the time of the adjourned meeting by publication in the manner provided in sub-secion (2)."

तो इस वास्ते मैंने निवेदन किया कि वह इत्तला इन्डिविजुअली तो किसी को नहीं देंगे। अगर वह पब्लिकेशन के ज़रिये मेम्बर को इत्तला होगी, तो और मेरा ख्याल है कि ७ दिन में पब्लिकेशन का काम और मेम्बरों को इसकी जानकारी नहीं हो सकेगी इस वास्ते मैंने मंत्री जी से अनुरोध किया कि अगर वह इसको मंजूर कर लें तो अच्छा हो। १४ दिन के बाद नहीं होगा, १४ दिन के भीतर ८ दिन में हो जाय, ९ दिन में हो जाय। ऐक्ट में ऐसी भाषा रखी जाती है जिसमें गुंजायश रहे। माननीय मंत्री जी कबूल नहीं करते तो मैं इसको वापस ले लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस किया गया।)

श्री उपाध्यक्ष---चूंकि अब समय समाप्त हो गया है मैं इन संशोधनों को उपस्थित कर देता हूं।

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ५६ का संशोधन।

१९---मूल अधिनियम की धारा ५६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"56. Every election and nomination of a member or President of a Board, the due constitution of the board, and every vacancy in the office of member or President, shall be notified in the official *Gazette*."

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २०

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ८७-ए का संशोधन।

२०---मूल अधिनियम की धारा ८७-ए में---

(१) उपधारा (११) के अन्त में शब्द "for submission to the State Government" निकाल दिये जायं।

(२) उपधारा (११) के पश्चात निम्नलिखित को नई उपधारा (11-A) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(11-A) As soon as may be after three days of the receipt of the copies mentioned in sub-section (11), the District Magistrate shall forward the same to the State Government , together, in the event of the motion of non-confidence having been carried, with a report whether or not the President has forwarded his resignation in accordance with the provisions of section 47 and 47-A."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २१—२९

२१—मूल अधिनियम की धारा ११५ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ११५ का संशोधन।

"(1) The Municipal fund shall be kept in the Government Treasury or sub-treasury or in the bank to which to Government treasury business has been made over or, where the State Government so directs, in a scheduled bank specified by it in this behalf."

२२—मूल अधिनियम की धारा १३०-ए की— यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा १३०-ए का संशोधन।

(१) उपधारा (२) में शब्द "modify" के स्थान पर जहां कहीं भी यह आया हो शब्द "increase, modify or vary" रख दिये जायं।

(२) उपधारा (३) में शब्द "imposing or modifying" के स्थान पर शब्द "imposing, increasing, modifying or varying" रख दिये जायं।

२३—मूल अधिनियम की धारा १४७ की उपधारा (१) के खंड (g) में शब्द "clerical or arithmetical error" के स्थान पर शब्द "clerical, arithmetical or other apparent error" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा १४७ का संशोधन।

२४—मूल अधिनियम की धारा १८१ की— यू०पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा १८१ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) में शब्द "the previous section" के स्थान पर शब्द और संख्या "section 180" रख दिये जायं, तथा

(२) उपधारा (२) में शब्द "foregoing" के स्थान पर शब्द "same" रख दिया जाय।

२५—मूल अधिनियम की धारा २९६ की उपधारा (१) में संख्या और शब्द "29, 43-A, 44-A, 95, 127, 153, 235 and 248" के स्थान पर संख्या और शब्द "95, 127, 153 and 235" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा २९६ का संशोधन।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३२६-ए का संशोधन।

२६--मूल अधिनियम की धारा ३२६-ए के खंड (a) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(*a*) restraining any person from exercising the powers or performing the functions or duties of a president or Vice-president of a board, or by chairman of a committtee or sub-committee of a board or of a member, officer or servant of a board or of a committee or sub-committee of a board on the ground that such person has not been duly elected, nominated or appointed as such president, vice-president, chairman, member, officer or servant ; or"

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३३२ में संशोधन।

२७--मूल अधिनियम की धारा ३३२ में शब्द "Chairman" के स्थान पर शब्द "President" रख दिया जाय।

अपवाद। (Saving)

२८--यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के उपबन्धों की निरसन (repeal) के प्रभाव के सम्बन्ध में सामान्य प्रवृत्ति को बाधित न करते हुये इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम का संशोधन किसी ऐसी निर्वाचन याचिका (election petition) की सुनवाई पर प्रभाव न डालेगा, जिसमें १९५३ ई० में हुये सामान्य निर्वाचन में किसी व्यक्ति के प्रेसीडेंट चुने जाने पर आपत्ति की गयी हो, और प्रत्येक उक्त निर्वाचन याचिका की सुनवाई और निर्णय उसी प्रकार होगा मानो मूल अधिनियम और तद्न्तर्गत निर्मित नियम इस अधिनियम द्वारा संशोधित न हुये हों।

कठिनताओं का निवारण। (Removal of difficulties)

२९--(१) राज्य सरकार किसी भी कठिनता के निवारण के लिये और विशेषकर मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में कठिनता के निवारण के लिये आज्ञा देकर आदेश दे सकती है कि उक्त प्रकार संशोधित मूल अधिनियम इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से ठीक बाद के बारह मासों के भीतर ऐसे अनुकूलनों के अधीन जो परिष्कार, परिवर्धन अथवा निष्कासन (modification, addition or omission) के रूप में किये जायं जिन्हें वह आवश्यक और उचित समझे, प्रभावशील होगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा यथाशीघ्र विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २१ से २९ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा,

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक व प्रस्तावना

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ में कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने का। यू० पी० ऐक्ट २, १९१६।

विधेयक

यहां पर आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ को संशोधित करना आवश्यक है; यू० पी० ऐक्ट २, १९१६।

अतएव भारतीय गणतंत्र के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना के अन्तिम परिच्छेद की प्रथम पंक्ति के शब्द "अतएव" तथा "निम्नलिखित" के बीच का शब्द समूह "भारतीय गणतंत्र के पांचवें वर्ष में" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४, जैसा कि विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे अत्यन्त दुख है कि इस तृतीय वाचन के अवसर पर भी मैं माननीय मन्त्री जी को उनके इस विधेयक के लिए बधाई नहीं दे सकता। जिस स्वरूप में डेढ़ दिनों के वाद-विवाद के बाद यह विधेयक निकला है, उससे तो इस विधेयक का चित्र और विकृत हो गया है। एक बात और भी स्पष्ट हुई है कि माननीय मन्त्री जी को स्वयं अपने विधेयक की मुख्य धाराओं में उतना विश्वास नहीं है जितना कि होना चाहिए था। आपने देखा होगा श्रीमन्, कि यहां पर एक संशोधन माननीय रामनरेश शुक्ल जी का आया जिसमें "इन दि मैनर प्रेस्क्राइब्ड" की बात माननीय मन्त्री जी ने प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार की है। इसके बाद माननीय व्रजविहारी मिश्र का संशोधन आया, जिसमें सीक्रेट बैलट के स्थान पर शो आफ हैन्ड्स की बात कही गयी। माननीय मन्त्री उसे स्वीकार करने को तैयार से थे, लेकिन आज फिर एक दम पांसा पलटा और शो आफ हैन्ड्स के बजाय सीक्रेट बैलट को माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार कर लिया। इससे क्या बात साबित होती है कि माननीय मन्त्री जी और सरकार स्वयं ही किसी निश्चय पर नहीं थे कि कौन सी प्रणाली बरती जानी चाहिए। अगर आप उद्देश्य और कारण देखेंगे, तो उसमें कहा गया है कि कांग्रेस ने इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत विचार किया। दरअसल सत्य यह है कि उसने इस पर बहुत जल्दी में विचार किया और यही नहीं, अगर यह गलत बात नहीं है, तो बिलकुल भी सिद्धान्त के रूप में विचार नहीं किया। क्योंकि आप देखेंगे कि एक तरफ तो रक्खा गया है कि प्रेसिडेंट का चुनाव बालिग मताधिकार के बेसिस पर होना चाहिए। श्रीमन्, आप देखेंगे कि सिद्धान्त का विषय है कि डायरेक्ट इलेक्शन के जरिये चुने गये चेयरमैन को जितने अधिकार होंगे, उतने इन्डाइरेक्ट तरीके से चुने गये चेयरमैन को नहीं हो सकते। यह सर्वसम्मति सिद्धान्त सभी जगह माना जाता है लेकिन माननीय मन्त्री जी ने उस सिद्धान्त को ठुकरा दिया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

एक संशोधन माननीय ऐजाज रसूल साहब का स्वीकार किया गया जिसमें कि हमने प्रेसिडेंट को केवल तीन दिन के अन्दर इसका मौका दिया कि वह इस्तीफा दे नहीं तो डिजाल्वेशन आफ बोर्ड के लिए मूव करे। अगर कोई प्रार्थना करता है कि बोर्ड का डिजाल्व कर दिया जाय, तो यह भी लाजिमी कर दिया गया है, प्रेसिडेंट के लिए चाहे वह जितना योग्य हो, वह इन्कैपिसेटेट हो जायगा, उसे कहा जायगा कि तुम नाकाबिल हो, काम करने के। माननीय मन्त्री जरा सोचें कि बिल में फिर इस बात का क्या प्रावीजन है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए नो कान्फिडेंस मोशन हो गया—दोनों एक ही पार्टी के हैं, और धारा ५५ के अनुसार मेजारिटी मेम्बर्स ने दोनों के खिलाफ नोकान्फिडेंस मोशन पास कर दिया, तो बोर्ड किस तरह फंक्शन करेगा ? प्रेसिडेंट भी इन्केपिसिटेट कर दिया गया और वाइस प्रेसिडेंट पर भी नो-कान्फिडेंस मोशन है। तो कौन बोर्ड की प्रेसीडेंटशिप करेगा और ऐसा भी कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि एक मीटिंग के लिए एक चेयरमैन चुन लिया जाय। तो दरअसल माननीय ऐजाजरसूल साहब का संशोधन स्वीकार करके मन्त्री जी ने एक गड़बड़ी डाल दी और कोई इलाज इस बिल में नहीं रक्खा। और साथ ही साथ इसमें एक बात सोचने लायक यह भी है कि जब बोर्ड का बहुमत प्रेसिडेंट पर अविश्वास का प्रस्ताव पास कर लेता है, और वाइस प्रेसिडेंट को इस बात का अख्तियार देता है कि वह बोर्ड का कार्य चलाये, धारा ५५ के अनुसार, तब भी डेडलाक हल नहीं होता, न किसी प्रकार से जिच का कोई समाधान होता है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा, वह प्रेसिडेंट के इनकेपेसिटेट होने की स्थिति में काम करेगा, लेकिन बोर्ड की मेजारिटी भी वाइस प्रेसिडेंट के साथ नहीं हो सकती। यह कहना कि वाइस प्रेसिडेंट के साथ बोर्ड की मेजारिटी होगी, यह एक असम्भव सी कल्पना है, क्योंकि यह कैसे मान लिया जाय कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों एक पार्टी के नहीं होंगे। इसलिए दरअसल में इन सभी सम्भावनाओं के लिए मन्त्री जी ने विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की, जिसका करना आवश्यक था।

एक बात और कहूंगा। कम से कम इस विवाद से एक बात स्पष्ट हो गयी है कि इस विधेयक का सेलेक्ट कमेटी में जाना अत्यन्त आवश्यक था, क्योंकि आप देखेंगे कि यह विधेयक कौंसिल से हमारे पास आया और कौंसिल से पास हुए विधेयक पर जब इस प्रकार का विवाद हुआ और स्वयं मन्त्री जी को शंका हुई, तो मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि भविष्य में जब कभी इस प्रकार का विधेयक आये, तो अवश्य वह ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी में या सिलेक्ट कमेटी में जाय।

अन्त में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि माननीय मन्त्री जी ने जो वायदे किये थे, उनको वह स्मरण करें। उन्होंने कहा था कि हम म्युनिसिपल बोर्ड के संगठन के सिद्धान्त को अब नहीं बदल रहे हैं। उसको तब बदला जायगा, जब कि कारपोरेशन बिल आयेगा। हमको यह नहीं मालूम कि वह कारपोरेशन बिल कब आयेगा ? हमें दुख है कि सरकार अपने वायदों पर कायम नहीं रहती है। कारपोरेशन बिल आने वाला था, लेकिन अब उसको डेढ़ साल बीत गया। हम यह समझते थे कि वह विभाग तैयार है, और वह यहां पर बहस के लिए आयेगा, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सिद्धान्त तय किये जायेंगे, लेकिन वह अब तक नहीं आया ! पहले वह बजट सेशन में आने वाला था और पिछले दिनों भी वह नहीं आया। पता नहीं कि अब वह कब यहां पर आने वाला है और कब यहां पर लोकल संस्थाओं के मसले तय करेंगे ? लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि हमको उनसे ऐसी आशा नहीं थी कि वह इस तरीके से हमको उन सिद्धान्तों पर विचार करने से वंचित करेंगे। मैं माननीय मन्त्री जी से बिलकुल सहमत नहीं हूं जब कि वह यह कहते हैं कि यह विधेयक पार्टी के हित को देखते हुए नहीं लाया गया है, बल्कि जिस प्रकार के वायदे हुए हैं, उनसे यह स्पष्ट हो गया है कि यह विधेयक और इसकी बहुसंख्यक धारायें केवल इसीलिए लायी गयी हैं कि सरकार म्युनिसिपल बोर्डस् पर हावी रहे और सरकार म्युनिसिपल बोर्ड के शासन पर हावी रहे और जो बोर्ड सरकार के कहने के अनुसार काम न करे, तो उसको डिजाल्व कर दे और उसके प्रेसिडेंट को निकालने के लिए या अविश्वास के प्रस्ताव को पास कराने के लिए काम हो सके। सरकार के इशारे पर कोई भी काम हो सकता है, यह विधेयक इस बात को साफ कर देता है।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल पर, इस स्टेज पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन नारायणदत्त जी तिवारी की तकरीर को सुनकर मेरा दिल भी चाहा कि इसके मुताल्लिक २, ४ शब्द कहूं। आपने फरमाया कि इस बिल के आने के बाद और खास करके ऐजाज रसूल साहब के अमेंडमेंट के देखने के बाद उनको ऐसा मालूम होता है कि यह सरकार म्युनिसिपल बोर्ड के ऊपर अपना कन्ट्रोल रखने के लिए ऐसा कर रही है। मैं समझता हूं कि यह चीज बिलकुल गलतफहमी पर बनी है। आपने अपनी तकरीर में कहा कि अगर नो कान्फिडेंस का प्रस्ताव प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट दोनों के खिलाफ आ जाय, तो फिर क्या सूरत पैदा होगी ? मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप के इस ऐक्ट में वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ नो कान्फिडेंस का कोई प्राविजन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर यह बात फर्ज कर लेते हैं कि नो कान्फिडेंस आ सकता है, तब तो यह कयास किया जा सकता है कि हर मेम्बर के खिलाफ आ सकता है, और म्युनिसिपल कर्मचारियों के खिलाफ भी आ सकता है। कोई भी आदमी इसके लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन सवाल तो यह नहीं है। हर एक बोर्ड में दो पार्टी हुआ करती है। एक प्रेसिडेंट की पार्टी होती है और एक विरोधी पार्टी होती है। अगर मेजारिटी अपोजीशन पार्टी की हो जाती है, तो प्रेसिडेंट की पार्टी माइनारिटी में रह जाती है, और उस वक्त उसके खिलाफ नो कान्फिडेंस का प्रस्ताव आता है। अगर नो कान्फिडेंस का प्रस्ताव पास हो जाता है, तो फिर प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है। अगर ऐसी चीज पैदा होती है कि बोर्ड उसके साथ रहता है, तो फिर उसको भी डिजाल्व किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि इसमें कौन सी दुश्वारी है। यह बिल एक बात तय करने के लिये आया है कि और उसके बाद जितने अमेंडमेंट आये हैं, वह सब कान्सिक्वेन्शयल हैं। वह यह है कि प्रेसिडेंट का इन्तखाब डाइरेक्ट हो या, इन्डाइरेक्ट हो। तो अब हाउस ने यह तय कर दिया है कि बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव अब आइन्दा से इन्डाइरेक्ट होगा। इस सिलसिले में यहां पर काफी बहस हो चुकी है और वह सब बातें बतलायी जा चुकी हैं, और सब ने अपने ख्याल यहां पर रखे हैं कि डाइरेक्ट एलेक्शन के होने से कितनी दिक्कत यहां पर बढ़ गयी थी। उन सब दिक्कतों को देखते हुए यह जरूरत पेश आयी कि बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव इन्डाइरेक्ट हो। इसमें काफी इम्प्रूवमेंट किया गया है। डाइरेक्ट एलेक्शन का जो प्राविजन था उसमें काफी तरमीम कर दी गयी है। और उसे काफी बढ़ा दिया गया है, और अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन से वह आयेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा, यह एक आखरी लफ्ज नहीं है। इसे हम साल भर ट्राई करें और अगर जरूरत हो तो फिर तरमीम हो सकती है। इस मौके पर मैं इतना और अर्ज करूंगा कि अब वक्त आ गया है कि पीसमील लेजिस्लेशन से काम नहीं चलेगा। अब एक काम्प्रिहेंसिव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिल आ जाना चाहिए जिसमें प्राविन्शलाइजेशन आफ सर्विसेज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड के कन्स्ट्रक्शन की बात भी हो। मुझे उम्मीद है कि यह चीज अनकरीब सामने आवेगी जब कि हम उस पर गौर कर सकेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी अभी राष्ट्रभाषा बन रही है और अभी १५ साल में कुछ कसर बाकी है। १५ साल पूरे होने पर . . .

एक सदस्य—राजभाषा बन गयी है।

श्री मोहन लाल गौतम—राजभाषा बन गयी है, उस पर मैं अभी आता हूं। लेकिन फिर भी यह जरूरी नहीं है कि हर सदस्य इस सदन में जो लफ्ज इस्तेमाल करे उसका वह पूरा अर्थ समझ ही ले। "वादाखिलाफी" एक उर्दू का लफ्ज है, और शायद परशियन से आया होगा, इसलिए अगर उसके मानी गलत समझते हुए नारायणदत्त जी ने इस्तेमाल किया हो, तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। सिर्फ इतना मैं कह सकता हूं कि मुझे याद नहीं कि मैंने कोई वादा किया हो और उसके खिलाफ कोई काम किया हो

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—यह तो आपके और उनके दोनों के बीच की बात है।

श्री मोहन लाल गौतम—लेकिन चूंकि सदन में गलतफहमी न पैदा हो जाय, इस लिए मैंने कहा बिल को पाइलेट करने का एक ढंग होता है। एक यह है कि जो मैंने कहा वही सब ठीक है, मैं किसी की बात नहीं मानता और जो मैं चाहता हूं उसे मेजारिटी के बूते पर कराऊंगा। तो कहते हैं कि उनको अपने ऊपर विश्वास है, अपने प्रोपोजल्स पर विश्वास है। अगर मैं इस तरह से कहूं कि अगर आप ओपेन बैलट चाहते हैं तो ये दिक्कतें हैं, सीक्रेट में यह दिक्कतें हैं, तो क्या हर्ज है? मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने आपको कभी जाहिर किया कि मैं सीक्रेट बैलट को ओपेन बैलट से ज्यादा पसन्द करता हूं। मैंने कहा था कि बृजबिहारी मिश्र के अमेंडमेंट को अगर सदन ने माना तो उसमें ये दिक्कतें हैं और यह मैंने इसलिए किया कि अगर वह स्कीम आप को मंजूर हो, सदन को मंजूर हो, तो अधूरी या इन्कम्प्लीट न रह जावे। ओपेन और सीक्रेट बैलट के बारे में मैंने अपनी राय जाहिर की, लेकिन मैंने सदन के सामने यह नहीं कहा कि मेरी राय ही अन्तिम चीज है, और मैं एक लफ्ज भी बदलने के लिए तैयार नहीं हूं। यदि यही हो कि जितनी चीजें मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से यहां लाऊं, तो फिर यह सदन किसलिए है? हाउस को अधिकार है कि वह अमेंडमेंट कर सके। अगर उनको गलत फहमी है तो मुझे उनसे पूरी हमदर्दी है, कि मुझे अपनी बातों पर विश्वास नहीं रहा।

प्रेसीडेंट के बारे में एक गलतफहमी नारायणदत्त जी की है कि अब सभी चूंकि इन्डाइरेक्ट एलेक्शन से होंगे, इसलिए उनके अधिकार बदल देने चाहियें। हुजूर वाला, नहीं होंगे सब। डाइरेक्टली एलेक्टेड प्रेसिडेंट इस वक्त हैं। उनमें से जो अविश्वास की वजह से निकल जावेंगे उनकी जगह जो आवेंगे, सिर्फ वही इनडाइरेक्टली एलेक्टेड होंगे, बाकी डाइरेक्टली एलेक्टेड होंगे। यह ट्रांजिटरी पीरियड है, इसलिए यह कहना कि इनडाइरेक्टली एलेक्डेड प्रेसिडेंट का प्रावीजन हो गया, और अधिकार छीन लिये जायें, यह दूसरा सवाल है। जो इनडाइरेक्टली एलेक्टेड हैं और डाइरेक्टली इलेक्टेड के अधिकार क्या हों यह एक मजमून ऐसा है, जिस पर बाद को विचार हो सकता है। अभी उसमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। माननीय तिवारी जी ने खामख्वाह कोशिश की कि वाइस प्रेसिडेंट न हो, तब क्या होगा? अभी सदन ने मंजूर किया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक्स सेक्रेटरी को अधिकार दे देंगे उसको भी सोच समझ कर प्रावीजन कर दिया गया है। इसलिए डेड-लाक हो जाने की आशंका नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जब तक वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन न हो तब तक के लिए क्या होगा?

श्री मोहनलाल गौतम—यह प्रावीजन उसी समय के लिए रक्खा गया है जब कि प्रेसिडेंट भी न हो, और वाइस प्रेसिडेंट का भी एलेक्शन न हुआ हो। जितनी भी कान्टिन्जेंसीज सोची जा सकती थीं, उनका इसमें इलाज कर दिया गया है। अगर कोई और छूट गयी हो तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। अगर जल्दी में बिल लाया जाता है, तो हम कसूरवार ठहराये जाते हैं और अगर देर हो जाती है तो कहा जाता है कि इतनी देर क्यों हो गयी? तब भी कसूरवार ठहराये जाते हैं। जब तक हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, तब तक कसूरवार ही रहेंगे। यह सदन के मेम्बरों को कहने का अधिकार भी है कि हम कुसूरवार हैं। इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि यह अमेंडमेंट न तो किसी पार्टी के ख्याल से आया है और न पार्टी के दबाव से ही आया है और न इससे पार्टी का कोई फायदा ही है और न अब तक म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ही किसी पार्टी के ख्याल से रहा है और न किसी ने हमें अब तक बताया ही कि हमने पार्टीबाजी के ख्याल से यह काम किया है। मुझे इस बात के कहने वाले तो दिखायी दिये कि हमने बगैर पार्टी बाजी के काम किया और यह कि सब लोगों के साथ मिल कर साढ़े ६ करोड़ जनता के लाभ के लिए, उसके हित में ही यह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चलाया जा रहा है, इसके कहने वाले तो हमें गैर कांग्रेसी मिले। किन्तु कभी ऐसे गैर कांग्रेसी नहीं मिले जिन्होंने यह कहा हो कि हमने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए उनके साथ ऐसा अन्याय किया है। गवर्नमेंट साढ़े ६ करोड़ जनता की जिम्मेदार है, वह

किसी एक पार्टी की नहीं है, और उस पार्टी का हित और जनता का हित अलग अलग नहीं हैं। मैं सारी जनता के हित में और पार्टी के हित में कोई विरोधाभास नहीं पाता हूं। आज इस सदन में जितने भी लोगों ने हमारा विरोध किया, उनमें से किसी ने भी हमारे सामने कोई सुझाव नहीं रक्खा। अगर वे ऐसा करते तो हमारी दिक्कतें भी दूर हो जातीं। कहा गया कि जैसा पहले था वैसा ही क्यों नहीं रहने दिया जाय। कोई जवाब नहीं है ४७८ शिकायतों का। ११३ में ७८ बोर्डस् में झंझट है, १८ बोर्डस् में बजट पास नहीं हुआ है, ५ में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो सका है, कमेटियां नहीं बनी हैं। इन सब का क्या इलाज है ? कहा जाता है कि ऐसा ही रहने दिया जाता। यह कहना विरोधियों के लिए लाजिमी है, ताकि वे यह कह सकें कि म्युनिसिपैलिटीज का इन्तजाम सरकार के बूते का नहीं है। यह मौका हमने नहीं आने दिया इसलिए हम कुसूरवार हैं। जिस तरह की दिक्कतें हैं, उनके लिए यदि कोई दूसरा रास्ता सुझाया जाय तो उस पर मैं गौर करने के लिए तैयार हूं। इसके लिए मैं तमाम सदन के माननीय सदस्यों को दावत देता हूं कि अगर उनके सामने कोई बेहतर तजवीज हो तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं और उसके लिए अगर जरूरत होगी, तो अमेंडिंग बिल भी लाने को तैयार होंगे। लेकिन अभी तक इस में और कोई मुनासिब सुझाव नहीं दिया गया और साढ़े तीन दिन का समय इस सदन का चला गया। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि सदन की हर मिनट के माने ११ रु० कुछ आने होते हैं, लेकिन एक भी आल्टरनेटिव सजेशन नहीं आया जिसके द्वारा वे कह सकते कि जो कुछ कहा गया है, उसके बजाय यह अगर रक्खा जाता तो अधिक बेहतर होता ! इसलिए जो कुछ हमने रक्खा, उसका कोई आल्टरनेटिव सजेशन नहीं आया और सदन ने उसको खुशी के साथ स्वीकार किया। मैं आशा करता हूं कि इससे म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन संभलेगा और अच्छा होगा और उससे हमें सन्तोष होगा। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह सदन इसको पूरे जोश के साथ पारित करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४, जैसा कि विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५४

परिवहन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। यह फाइनेंशल बिल है, तो क्या उसके बारे में गवर्नर महोदय, से कांस्टीटयूशन के अनुसार आपके पास कुछ लिख कर आया है ? क्योंकि माननीय मन्त्री जी के प्रस्ताव से मालूम हुआ कि इसमें गवर्नर महोदय, बिलकुल चुप हैं। श्रीमन्, इसको जरा बतला दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—यहां तो कोई मंजूरी उनकी तरफ से नहीं है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यहां तो हुजूर आप की आज्ञा से पेश किया जायगा, इसके लिए माननीय गवर्नर महोदय की स्वीकृति ली जा चुकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—फाइनेंस बिल के लिए गवर्नर महोदय की स्वीकृति जरूरी है। अगर नहीं है, तो स्वीकृति ले ली जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अब मुझे बतलाया गया है कि ऐसी मंजूरी आयी हुई इस पर कोई एतराज नहीं हो सकता।

---

*१३ दिसम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यह बिल बहुत छोटा सा और सीधा बिल है। इसके जो उद्देश्य हैं, उसमें मैंने निवेदन किया है कि जो प्राइवेट कैरियर्स और पब्लिक कैरियर्स हैं, दोनों करीब करीब सड़कों को एक सा प्रयोग करते हैं, एक सा ही उपयोग करते हैं, एक ही काम करते हैं। लेकिन अब तक प्राइवेट मोटर्स वालों के टैक्स में बहुत कमी थी और पब्लिक वेहिलिकस वाले उनसे करीब करीब पौन गुना ज्यादा टैक्स देते थे। गवर्नमेंट का यह ख्याल है कि हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट का यह ख्याल है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो जरायमश हैं, जो जीविका के साधन हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों में तकसीम कर सकें। प्राइवेट कैरियर्स सिर्फ ऐसे आदमी रखते हैं जिनके पास कई दूसरे काम हैं, दूसरे रोजगार हैं। इस लिए उन्हीं के हाथ में सारा कारोबार कन्सेन्ट्रेट हो जाना बहुत ज्यादा वांछनीय नहीं है। लेकिन अगर वे रखते हैं तो कोई वजह नहीं है कि जो ज्यादा पैसा देने वाले हैं, जो धनी हैं, उनसे कम टैक्स लिया जाय और जो पब्लिक कैरियर्स चलाने वाले हैं, जो उसी से अपनी जीविका चलाते हैं, और औरों के मुकाबिले में अधिक गरीब हैं, उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाय ! इस लिए यह उचित समझा गया है कि इनके टैक्स को भी बढ़ा दिया जाय। अब तक जो टैक्स लिया जाता रहा है, उससे इनका टैक्स २५ प्रतिशत कम रहेगा। बाकी मुझे आशा है कि यह ऐसा प्रस्ताव है जो एकमत से सारे सदन को स्वीकार होगा। इसमें ज्यादा बहस की भी जरूरत नहीं होगी। दो चार बातों में बतला सकता हूं। दूसरे स्टेट्स में भी जैसे—बम्बई, मद्रास, बिहार, ईस्ट पंजाब, राजस्थान, दिल्ली तथा मध्य भारत में सब जगह एक सा ही टैक्स है। टैक्स लेने में कोई अन्तर नहीं है। सिर्फ विन्ध्य प्रदेश में ७० प्रतिशत टैक्स है, कोई ३० प्रतिशत के करीब कम। इसके अलावा आप को यह जान करके भी इस प्रश्न को समझने में आसानी होगी कि जो पब्लिक कैरियर्स हैं, उन को सारे साल पूरा काम भी नहीं मिलता है। १९५३ के आंकड़े मेरे पास हैं, जिसमें हमारे कुल पब्लिक कैरियर्स की तादाद ४२३७ है और ३–४ या ५ महीने के लिए करीब ११५४ पब्लिक कैरियर्स ने अपने ट्रक सरेन्डर किये थे। करीब १४०४ प्राइवेट कैरियर्स हमारी स्टेट में थे। इस तरह से जितने प्राइवेट कैरियर्स हैं उतने ही पब्लिक कैरियर्स सरेन्डर कर देने पड़ते हैं। इसका प्रभाव है जो कि प्राइवेट कैरियर्स हैं उनकी इतनी वास्तविक जरूरत नहीं है लेकिन अगर वह लिये भी जायं तो कोई कारण नहीं है कि उनसे बहुत ज्यादा कम किराया क्यों लिया जाय ? मेरे पास अलग अलग रीजन्स के आंकड़े हैं कि कहां कितने सरेन्डर हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है कि मैं उनको यहां इस वक्त बताऊं। मैं आशा करता हूं कि बिना ज्यादा वाद-विवाद के एकमत से सदन इसे स्वीकार करेगा। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस सदन के सामने जब कभी जनता पर टैक्स लगाने का प्रश्न आता है, तब हम उसका विरोध करते हैं और यह समझते हैं कि जनता में इस वक्त टैक्स देने की कैपेसिटी बाकी नहीं रह गयी है। लेकिन आज मुझे इस बिल का स्वागत करते हुए खुशी इस बात की होती है कि आखिर हमारी इस सरकार को बात तो सूझी और उस ने अक्ल का यह काम किया और इसीलिए इस समय जो टैक्सेशन का सवाल सदन के सामने है, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें दुख इस बात का है, और शायद इस बात को माननीय मन्त्री जी खुद ही कहते हैं कि हमारे जो प्राइवेट कैरियर्स हैं, वह बहुत कम टैक्स दे रहे हैं बमुकाबिले पब्लिक कैरियर्स के और वह प्राइवेट काम ही नहीं करते बल्कि पब्लिक का भी काम करते हैं। अगर और उनको अपना प्राइवेट काम करने के लिए इजाजत दे दी जाती है और हमारे डिपार्टमेंट से उसकी देखरेख अच्छी होती तो मुझे पक्का विश्वास है कि हमारी सड़कें इतनी खराब न होतीं कि जिस वजह से हम आज यह टैक्स बढ़ा रहे हैं। नहीं मालूम क्या बात है, या तो देख-रेख ठीक से नहीं होती या मुमकिन है कि कुछ खास मुसीबत उन पर मुकदमे चलाने में हो। पता नहीं चलता कि वह अपना सामान ले जा रहे हैं या किराये का सामान भी ले जाते हैं ? बहुत से लोग प्राइवेट कैरियर्स का परमिट लेते हैं और उसको लेकर, बहुत कम टैक्स देकर पब्लिक का सामान ले जाया करते हैं जिसकी वजह से

पब्लिक कैरियर वालों को कोई फायदा नहीं होता है। मन्त्री जी ने खुद कहा कि ४२३७ पब्लिक कैरियर्स में से ११५४ पब्लिक कैरियर वालों ने सरेन्डर कर दिया और इससे हमारा टैक्स कम हुआ। जब यह टैक्स लगाया गया था, उस समय भी मैंने कहा था कि वे इतना टैक्स न दे सकेंगे और उनके लिए नामुमकिन हो जायगा कि वह साल भर चला कर यह टैक्स दे सकें। नतीजा यह होगा कि वे सरेन्डर करेंगे और उससे सरकार को बड़ा भारी नुकसान होगा। वैसे तो इस समय ज्यादा नहीं कहा जा सकता, एक टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी इस सम्बन्ध में बैठी हुई है, हाल में दस्तखत हो चुके हैं और उस के द्वारा शायद देश भर में एक युनिफार्म पालिसी मोटर टैक्सेशन के बारे में कायम हो सकेगी और युनिफार्म रेट हो जायगा, उस समय हम उस पर विचार करेंगे। इस पर कुछ ज्यादा कहने की बात भी नहीं है। माननीय मन्त्री जी ने काफी कह दिया है, लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा कि अब हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को भी कुछ चैतन्य अवश्य होना चाहिए या तो वह प्राइवेट कैरियर्स को परमिट देना बन्द कर दें और अगर ऐसा नहीं करते, तो उनकी देख रेख अवश्य होनी चाहिए कि आया ये लोग अपना ही काम करते हैं या पब्लिक का काम भी करके पैसा पैदा करते हैं। यह बात बिलकुल सही है कि जब ये पब्लिक कैरियर्स के लोग सरेन्डर करते हैं, तब तो प्राइवेट कैरियर्स के लोगों को काफी मौका मिल जाता है और वे पैसा पैदा कर लेते हैं। इसी लिए मैं यह समझता हूं कि यह काम गवर्नमेंट ने होशियारी का किया है, क्योंकि इससे जो प्राइवेट कैरियर वाले हैं, उन को परमिट लेते वक्त दो बातों का डर रहेगा। एक तो टैक्स ज्यादा रहेगा और दूसरे ट्रांस्पोर्ट विभाग के अफसरों का भी डर रहेगा कि कहीं ये मिल गये तो पकड़ लेंगे और जुर्माना ज्यादा पड़ जायेगा या उनकी गाड़ियों के परमिट्स कैन्सिल हो जायेंगे। इससे चोरी के बन्द हो जाने की आशा की जाती है। इसके बाद मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि अगर कभी हो सके तो माननीय मन्त्री जी सारे टैक्सों में कमी करें, क्योंकि यह तो सही है ही कि पब्लिक कैरियर्स पर बहुत ज्यादा टैक्स पड़ता है। यह जो सरेन्डर ज्यादा हुए हैं, वह इस बात का सबूत है कि उनसे टैक्स ज्यादा लिया जाता है और जितने ज्यादा सरेन्डर्स होंगे, उतने ही अधिक टैक्स का बोझा उनके ऊपर है। मेरे पास सारे प्रदेश के आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन जितना टैक्स पब्लिक कैरियर्स से पहले मिल जाता जब इतना ज्यादा टैक्स नहीं था, उतना अब इतनी अधिक गाड़ियों के होने के बाद भी नहीं मिलता है। तो इसको देखते हुए यह बात साफ मालूम होती है कि लोग टैक्सेज के अधिक होने की वजह से सरेन्डर कर देते हैं। इसके साथ ही पब्लिक कैरियर्स वालों की डिमाण्ड बहुत दिनों से थी कि प्राइवेट कैरियर वाले पब्लिक का काम करके बहुत सा उनका धन, बहुत से उनके पैसेंजर्स ले लेते हैं और फिर भी टैक्स कम देते हैं और ले सब जाते हैं। इसलिए यह बिल बहुत अच्छा आया है और इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि जल्दी से इसको पास करा लें, जिससे जल्दी से अधिक पैसा मिलने लगे। अभी कौंसिल से भी इसको पास कराना होगा, इसलिए जल्दी से यह बिल पास हो जाय, यह हम चाहते हैं। इसका समर्थन तो हम इसलिए कर रहे हैं, यद्यपि टैक्स बढ़ाया जा रहा है कि यह जायज आमदनी है, जो नाजायज आमदनी है उसको तो हम बढ़ाना नहीं चाहते। इसलिए कुछ ज्यादा न कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन इन शब्दों के साथ करता हूं।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत बिल का समर्थन करता हूं, परन्तु इसके साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जिस सेक्शन आफ पीपुल पर आप टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं, उसके साथ-साथ यह भी एक जायज मांग है कि उन लोगों को हर तरीके से, जहां तक सरकार फैसिलिटीज दे सकती है, सुविधायें देनी चाहिये। मैं अपने जिले के रहने वालों की बात इस सदन में प्रस्तुत करता हूं कि हमारे यहां जितने भी मोटरवालों का चालान होता है उन पर सुनवाई डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में होती है और वह लोग इसकी वजह से बहुत परेशान हैं। गढ़वाल जिले से मुरादाबाद आने जाने का किराया देना पड़ता है और जितने रोज तक वह गढ़वाल में नहीं रहते उतने दिनों की उनकी आमदनी मारी जाती है और जब अदालत में मुकदमें चलते हैं तो आप समझते हैं कि उनको जमानत देने में भी मुश्किल उठानी पड़ती है और उनको बाज वक्त हथकड़ी तक लगने की नौबत

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

आ जाती है क्योंकि उनकी जो जमीन आदि है या जो जानपहचान है, वह सब गढ़वाल में है, उसका वेरीफिकेशन मुरादाबाद में क्या हो सकता है ? और अगर गढ़वाल भेजा जाता है, तो वेरीफिकेशन में लैण्डरिकर्ड्स आफिस में एक दो महीने लग जाते हैं, तब वहां से से वह वेरीफाई होकर आते हैं। इसलिये उनको तबालत से बचाना गवर्नमेंट का कर्त्तव्य है। मैंने माननीय मंत्री महोदय के पास जाकर इसकी रिपोर्ट की। मुझ से मोरवाले कोटद्वारे में मिलने आये और उन्होंने अपनी मुसीबतों का जिक्र किया। तो मैंने उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया। लेकिन मुझे बहुत खेद है कि एक जायज मांग के लिये आज तक उनकी कोई सुनवाई सरकार के पास नहीं हुयी है। मैं नहीं समझता कि क्या कारण है कि गढ़वाल जिले के अन्दर उनके मुकदमों की सुनवाई नहीं होती है। मैं हाल ही में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से इसके मुताल्लिक मिला था। मुझे बतलाया गया कि मैजिस्ट्रेटों के पास इतना ज्यादा काम है कि वह ओवर क्वंड हैं, और इसलिये मुरादाबाद में उनके मुकदमों की सुनवाई की व्यवस्था की गयी है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि गढ़वाल जिले के अन्दर जितने भी मैजिस्ट्रेट हैं उनके पास मुकदमों का काम बिल्कुल कम रहा गया है। जितने भी एस० डी० एम० हैं उनके पास बहुत ही कम क्रिमिनल वर्क रह गया है और जितने भी तहसीलदार है उनके पास कोई काम ही नहीं रह गया है। दिन भर सिवा चक्कर काटने के और कोई काम उनके पास नहीं है। इसके अलावा हमारी सरकार ने जुडीशियल अफसरों को एप्वाइंट किया है। मैं बताना चाहता हूं कि जुडीशियल अफसरों का जो आउट टर्न है उसका नक्शा सरकार के पास है, सरकार अच्छी तरह से जान सकती है कि उन जिलों में कितना काम है और मैजिस्ट्रेटों की तो भरमार है। आजकल हमारे यहां एक एक मैजिस्ट्रेट की जगह सात सात और आठ आठ मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं और उनके पास कोई भी मुकदमें ट्रायल के लिये, फैसला करने के लिये नहीं है और जो सब-रजिस्ट्रार थे उनको भी मैजिस्ट्रेट की पावर दी गयी है, नायब तहसीलदार को थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट की पावर दी गयी है, तहसीलदार को सेकिंड क्लास मैजिस्ट्रेट की पावर दी गयी है, लेकिन वर्क किसी के पास नहीं है। जब गढ़वाल के अन्दर इतने मैजिस्ट्रेट अवैल्युएबिल हो सकते हैं तो क्या कारण है कि उनके ऊपर टैक्स तो लगाया जा रहा है लेकिन उनके मुकदमों की सुनवाई की व्यवस्था मुरादाबाद में ही रखी गयी है। जब उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है तो उनके मुकदमों की सुनवाई की व्यवस्था भी गढ़वाल में ही होनी चाहिये। ऐसा न करके उनको जबरदस्ती दबाया जाता है और परेशान किया जाता है। उनके लैण्ड का वेरीफिकेशन और प्रापर्टी का वेरीफिकेशन किस तरह से हो सकता है, यह तो अदालत के लोग जानते हैं और जो अदालत की तबालत से परिचित है वह उनकी को समझ सकते हैं, जिन्होंने अभी तक अदालत का मुंह नहीं देखा वह उनकी मुसीबत को नहीं समझ सकते।

इसके अलावा में यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस पालिसी को एडाप्ट किया है कि लोगों को अपनी आजीविका के लिये कुछ न कुछ धंधा मिल जाय और जो लोग जिस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, जो जिसमें स्पेशिलिस्ट है उसको वही काम मिले, उसको उसी डिपार्टमेंट में रखा जाय। यह पालिसी उन व्यक्तियों के लिये बहुत उचित होगी। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जिले गढ़वाल में वह मोटर ड्राइवर हैं जिन्होंने वर्षों टेक्निक होकर मोटर का काम सीखा है और वे बीस-बीस, तीस-तीस साल तक बंबई, पंजाब, कलकत्ता और मद्रास वगैरह में मोटर का व्यवसाय करते रहे हैं और वहां उन्होंने मोटर ड्राइवरी की है। उन लोगों ने जब मोटर के परमिट के लिये दरख्वास्त दी तो उनको परमिट नहीं दिया गया, और जब उन लोगों ने जो मोटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, परमिट के लिये दरख्वास्त दी तो उनको मोटर का परमिट फौरन ही मिल गया। यह सरकार की बिल्कुल अनुचित बात है। क्या आप नहीं चाहते कि गरीबों के साथ सरकार हमदर्दी के साथ बर्ताव करे और क्या....

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह बिल पर बोल रहे हैं।

श्री चन्द्र सिंह रावत—मैं बिल्कुल बिल पर ही बोल रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सरकार को टैक्स लगाने का कोई अधिकार तब तक नहीं है जब तक सरकार कोई उचित व्यवस्था उन लोगों के लिये न करे। अगर सरकार उनके लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं करती है तो उसे टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। आपके टैक्स का जस्टीफिकेशन तभी इस सदन में में हो सकता है जब आप जनता के दुखों और तकलीफों को रफा करने के लिये उसे लगाते हैं, वरना आपके कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है। मैं कानून बनाना चाहता हूं। मैंने कानून की जड़ों को देखा है, मैंने अदालतों की खाक छानी है। कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि जिसमें टैक्स लगाया जा सके जब तक कि उनके दुख और तकलीफों को दूर करने की व्यवस्था न की जाय। मैं सरकार से फिर कहूंगा कि उसे इस ओर ध्यान देना चाहिये। मैं कोई नाजायज बात इस सदन के सामने रखने के लिये तैयार नहीं हूं और अगर सरकार के या सदन के नोटिस में ऐसी कोई बात आती है कि मैं यह नाजायज कर या कह रहा हूं तो जो कानूनी कार्यवाही इस सदन से हो सकती है वह मेरे खिलाफ करे। मैं समझता हूं कि कि यह हमारी ड्यूटी है, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, मेरे लोगों को तकलीफ है, मेरे लोगों के साथ वह बर्ताव नहीं हो रहा है जो कि कहना चाहिये। मोटर ड्राइवर परमिट के लिये दर्ख्वास्त दें तो क्यों नहीं उनको परमिट दिया जाता है, क्यों गैरों को दिया जाता है जिन्होंने मोटर के दर्शन तक नहीं किये? क्यों उनको काम नहीं दिया जाता? इसलिये मैं दर्ख्वास्त करूंगा, मैंने कई बार मंत्री महोदय से तथा इस डिपार्टमेंट के अफसरों से इसके मुताल्लिक बातचीत की है। मैं बताना चाहता हूं कि यह उनका प्रथम कर्तव्य है। उनको जनता तनख्वाह देती है, फोकट में काम नहीं लेती है। इसलिये सोचना है और इस मुल्क के अन्दर इन्साफ करने के लिये अगर यह हुकूमत नहीं बैठी है तो किसलिये बैठी है? आपको सोचना होगा, करना होगा। मैं समर्थन करता हूं कि आप टैक्स लगाइये, लेकिन आप उनको साथ ही साथ व्यवसाय भी दिलाइये, उनके व्यवसाय की सेक्योरिटी को मजबूत करिये और उनके फैसिलिटीज प्रोवाइड करिये। इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि सरकार ऐसी व्यवस्था बहुत जल्द करे और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं करती है तो सरकार अपने कर्त्तव्य से दूर भागती है। भागना नहीं चाहिये। यह बड़ी भारी जिम्मेदारी इस सरकार की है। इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक भवन के सामने पेश है, उसके सम्बन्ध में सिर्फ मेरा इतना ही विरोध है कि जहां प्राइवेट कैरियर, ऐग्रीकल्चरिस्टर और अपने फार्म होल्डर्स के पास है अगर सरकार की यह मंशा है कि २५ फीसदी उन पर भी बढ़ाया जाय तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिये, क्योंकि आप देख रहे हैं और मैं मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि गल्ले का भाव गिर रहा है और उनको हर तरह की अड़चन पड़ेगी, तो मैं समझता हूं कि उनके ऊपर यह भार अधिक होगा। इसलिये जो प्राइवेट कैरियर्स फार्म होल्डर्स के हैं और ऐग्रीकल्चरिस्ट के हैं, उनको छोड़ कर औरों पर यह टैक्स बढ़ाया जाता है तो मैं इसका विरोध नहीं करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, कभी कभी सरकार की टैक्स प्रणाली में हमें भी आशा की एक किरण दिखलायी देती है। जो बहुत दिनों के बाद एक किरण इस सदन में दिखाई दी उसका स्वागत हम सब सदस्यों को करना ही पड़ेगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह दुर्भाग्य की बात है कि आपको करना पड़ रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मुझे दुख इस बात का है कि यह किरण एक ही रही और इसके साथ में मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन के सवाल पर जो अंतिम उपकरण है उनकी तरफ

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया। इसी के साथ जहां मंत्री जी ने पब्लिक कैरियर और विहिकिल्स के बीच का सम्बन्ध बताया और टैक्स में समानान्तरण करने की बात कही, वहां उन्होंने इस बात की ओर संकेत नहीं किया कि एक टैक्सेशन कमीशन भारत सरकार का बनाया हुआ है जिसकी रिपोर्ट अब मैं समझता हूं, करीब-करीब तैयार हो चुकी है और वह राज्य सरकारों के पास और केन्द्रीय सरकार के पास कार्यवाही के लिये आने वाली है। तो हम तो यह चाहते हैं कि मंत्री जी इस सदन को और प्रदेश में मोटर चलाने वालों को जो पब्लिक कैरियर्स चलाते हैं, कम से कम एक आश्वासन इस अवसर पर देंगे कि हम मोटर विहिकिल्स टैक्सेशन के सिद्धांत पर पुनः विचार करेंगे, पब्लिक कैरियर्स के टैक्सेशन के सिलसिले में या सम्पूर्ण मोटर विहिकिल्स टैक्सेशन की प्रणाली के सिलसिले में निकट भविष्य में। लेकिन मंत्री जी ने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया। हम इस बात की उनसे अपेक्षा करते थे। अब माननीय मंत्री जी कहेंगे कि मुझे इस बात को दुहराने की तो कोई आवश्यकता थी नहीं, हम तो अवश्य विचार करेंगे ही। लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल तो यह है कि जब पिछले वर्ष यहां पर मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल आया था तो उस समय मोटर मालिकों की ओर से लगातार डेपुटेशन्स माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले थे और जहां तक मुझे मालूम है उन मोटर मालिकान के डेपुटेशन में उनसे बतलाया गया था, उनसे कहा गया था कि आपकी मांगें जायज हैं, पब्लिक कैरियर्स पर जो टैक्स बढ़ाया गया है उसके सिद्धांत में शायद कुछ गलती हुयी है और उनको यह आश्वासन दिलाया गया था कि इन पब्लिक कैरियर्स का टैक्स कुछ कम किया जायगा या कुछ ऐसी व्यवस्था की जायगी जिससे पब्लिक कैरियर्स चलाने वालों को कुछ सहूलियत मिल सके।

श्रीमन्, आपने देखा होगा कि प्लानिंग कमीशन ने एक सुझाव राज्य सरकारों को भेजा है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट का जहां तक सवाल है, वह पब्लिक कैरियर्स के जरिये होना चाहिये या व्यक्तियों को इस बात की छूट होनी चाहिये कि राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप न करे बल्कि लोगों को इस बात का मौका दे वह गुड्स ट्रांसपोर्ट को इधर-उधर ले जा सकें। मैं नहीं जानता कि इस राज्य सरकार ने प्लानिंग कमीशन की उस सिफारिश को माना है या नहीं माना है लेकिन अगर यह मान लिया जाय कि उस राय को सरकार मान लेगी तब तो और भी आवश्यक हो जाता है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट की पालिसी को उसकी टैक्सेशन पालिसी के साथ निर्धारित कर दोनों को एक दृष्टिकोण से देखा जाय। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जहां वह हमसे चाहते हैं कि हम प्राइवेट कैरियर्स और पब्लिक कैरियर्स के बीच में टैक्सेशन की डिस्पैरिटी कम करें, वहां पर हम उनसे यह भी कहेंगे कि मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन प्रणाली के सम्बन्ध में जो उन्होंने आश्वासन मोटरमालिकों को दिये हैं, उन पर भी वह अपने सुझाव दें। इस सम्बन्ध में सरकार से जो आंकड़े मिले हैं वह काफी दिलचस्प हैं। उनसे एक बात स्पष्ट होती है यह चाहे राज्य सरकार की नीति के कारण हुआ हो, लाइसेंस न देने की नीति के कारण हुआ हो या टैक्स बढ़ने के कारण हुआ हो या इस प्रदेश में पब्लिक और प्राइवेट कैरियर्स की संख्या घटी है, बढ़ने के बजाय।

श्रीमन् आप देखेंगे कि सन् ५१–५२ में पब्लिक कैरियर्स की संख्या यू०पी० में ४,४७९ थी, ५२–५३ में थोड़ी बढ़ी ४,९९९ हुयी। लेकिन ५३–५४ में वह घटकर ४,५६८ रह गयी और इस वर्ष जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बतलाया, पब्लिक कैरियर्स की संख्या घटकर ४,२३७ रह गयी। यानी पिछले दो तीन सालों में पब्लिक कैरियर्स की संख्या घटी है जबकि एक ओर उत्पादन बढ़ रहा है कार्यक्षमता बढ़ रही है और बिजनेस फाइव यीयर प्लान के अनुसार बढ़ना आवश्यक है। प्राइवेट कैरियर्स की संख्या का भी यही हाल है। ५१–५२ में उनकी संख्या २०३५, ५२–५३ में १,७२८ और ५३–५४ में वह घटकर १,६७० रह गये। अब जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया वह घटकर १,४०४ रह गये हैं। तो यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है कि किस तरह कौन सी ऐसी नीति है कि जबकि हम गुड्स सेक्टर को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिये छोड़ रहे हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की कैरियर्स की संख्या घटती चली जा रही है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करें क्योंकि इस प्रकार

हमें देश के बढ़ते हुये उत्पादन की ओर ध्यान देना ही पड़ेगा। यह कुछ मैंने सिद्धांत की बातें माननीय मंत्री जी के सामने प्रस्तुत कीं। मैं चाहूंगा कि उस सम्बन्ध में वह कुछ प्रकाश डालें और मैं समझता हूं कि इस पर प्रकाश डालने से कम से कम जो यह टैक्सेशन की समस्या है, वह हमारे सामने प्रकाश में आयेगी और फिर उसी के अनुसार यह सदन सही हल भी निकाल सकेगा।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल सदन के समक्ष उपस्थित है उसका समर्थन मैं करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सीधा सादा सा बिल है, लेकिन उस पर गर्मागरम बहस भी हुयी और इल्जाम बाजी भी। गर्मागरम बहस में चन्द्र सिंह रावत जी ने कहा कि परमिट्स जो दिये जाते हैं वह उन लोगों को नहीं दिये जाते जिन्होंने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में मोटर चलाई। क्या वह चाहते हैं कि उन्हीं की मोनोपोली रहे। व्यापार बढ़े, रोजगार करने वालों की संख्या बढ़े, लेकिन उन्हीं की मोनोपोली रहे जो ट्रक चलाते हैं? यह कैसे हो सकता है?

श्री चन्द्रसिंह रावत—मैंने यह नहीं कहा है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—मतलब करीब करीब वैसा ही है। अध्यक्ष महोदय, अगर उन्होंने इस तरह की चीज कही होती कि फलां फलां सेक्शन के लोगों को जो सचमुच मोटर का काम नहीं करते उन को परमिट दिया गया, तो नाजायज होता, लेकिन एक तरफ बेकारी है, लोग रोजगार करना चाहते हैं और कुछ लोग जो इस तरह के काम में आना चाहते हैं वह चाहें कि हम मोटर के परमिट लेकर पब्लिक कैरियर चलावें तो क्या गुनाह है?

दूसरी तरफ हमारे दोस्त नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा कि ट्रकों की संख्या घट रही है। सचमुच घट रही है और घटनी चाहिये। कारण यह है कि पिछले वक्त में इतने दाम बैलों के बढ़ गये थे कि बैलगाड़ियों से माल ढोने का रिवाज ही बन्द हो गया। अब जब थोड़ा दाम गिरा है तो बैलगाड़ियों से भी ट्रांसपोर्ट का काम लिया जाने लगा है। क्या जरूरत है कि मोटर ट्रक्स खरीदने के लिये सरकार विदेशों में पैसा भेजे और बैलगाड़ियां हमारे देश में खड़ी रह जायं और हमारा किसान इस साइड बिजनेस को न कर पावे? इसमें क्या दिक्कत है?

तो सच्ची बात यह है कि हमारे प्रदेश की जो पालिसी इस मोटर ऐक्ट के सिलसिले में है वह बहुत उचित है। लेकिन एक संशोधन की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि प्राइवेट कैरियर या पब्लिक कैरियर चलाने वालों के चालान होते हैं, उन पर मुकदमे चलते हैं। माननीय चन्द्र सिंह जी ने कहा कि उनके मुकदमे मुरादाबाद में होते हैं और वहां जाना पड़ता है और उनको छोटे मोटे जुर्मों में सजायें और जुर्माने होते हैं, यह सब होता है, लेकिन उनके साथ एक ज्यादती यह होती है कि दो चार चालान और सजा होने के बाद उनका परमिट कैंसिल कर दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस तरह से परमिट कैंसिल होने की ज्यादती न होने पावे। व्यापार करने के सिलसिले में छोटी छोटी शिकायतों पर चालान होता है, सजा होती है, लेकिन परमिट कैंसिल न किया जाय। इसके लिये कोई दूसरा रास्ता निकाला जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—मैं प्रश्न उपस्थित करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव यह है कि यह प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विचित्र नारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं सब से पहले श्री चन्द्र सिंह जी ने जो उत्तेजना पूर्ण भाषण इस सदन के सामने दिया उसके सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं। वह सार्थक था लेकिन भावों से इतना परिपूर्ण था कि सारे सदन को बहा ले गया अपने साथ और बदकिस्मती से हम लोगों का दिमाग भी उसके साथ बह गया।

कुछ सदस्य—ऐसी बात नहीं है ।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—चन्द्र सिंह जी, अगर ऐसी आपत्ति उठाते उस समय जबकि इस प्रस्तावित विधेयक में एक भी शब्द या एक भी परिणाम इन मोटर वेहिकल्स चलाने वालों के बरखिलाफ होता, जिनकी वह वकालत कर रहे थे, तब तो शिकायत की बात थी, लेकिन वास्तव में यह तो ज्यादातर उन्हीं लोगों के हित में है । जैसे भाई उपाध्याय जी ने कहा कि यह सही बात है कि प्राइवेट कैरियर्स वाले सिर्फ अपने ही कामों में उनका उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि पब्लिक वेहिकिल्स की तरह से भी उनका दुरुपयोग करते हैं । पर यह सही बात है कि मेरे डिपार्टमेंट में जितने आदमी मेरे पास हैं उनसे मेरे लिये यह नामुमकिन है कि मैं इस दुरुपयोग एकदम रोक सकूं । यह असंभव है । हजारों मील सड़कें इधर से उधर फैली हुयी हैं, हजारों ट्रक्स हैं । मेरे पास थोड़े से आदमी, कोई १०–१५ ग्रुप्स चार-चार, पांच,पांच आदमियों के हैं । यह नामुमकिन है कि उनकी मदद से कतई इसको रोका जा सके ।कोशिश होती है और श्री चन्द्रसिंह रावत जी से मैं निवेदन करूंगा कि जहां पर वह इस बात की शिकायत करते हैं कि गरीब आदमियों को गढ़वाल से मुरादाबाद आना पड़ता है अगर उनके पास एक भी शिकायत ऐसी हो कि गलत चालान किया जाता हो या किसी और तरह से उनको हरेस किया जाता हो, तब तो ठीक बात है । लेकिन जो लोग वास्तव में कानून को तोड़ते हैं और हमारी मशीनरी को खत्म करते हैं, उनको अगर थोड़ी सी तकलीफ हो जाय तो इतने आंसू बहाने की क्या जरूरत है । यह शिकायत होती कि डिपार्टमेंट के आदमी उनको तकलीफ देते हैं या हरेस करते हैं तब तो उनकी बात ठीक थी । लेकिन मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है कि उनके मुकदमों का फैसला स्थानीय तरीके से हो सके । लेकिन फिर शिकायत आयेगी, क्योंकि पहले जब ऐसा होता था तो मुकदमे पड़े रहते थे और हजारों की तादाद में पहुंच जाते थे और जो मैजिस्ट्रेट अपना काम देखते हुये उनको देखते थे वह अहमियत नहीं देते थे और दस दस हजार तक मुकद्दमे वैसे ही पड़े रहते थे और इस अर्से में कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग कहीं चले जाते हैं, किन्हीं का कुछ ट्रेस नहीं मिलता और कहीं गवाही नहीं मिलती और मुकदमों को फाइल करना पड़ता है ।

यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ही हो तब तो इस विभाग की क्या आवश्यकता है । इसको बाइंड अप कर दिया जाय, क्यों ज्यादा टैक्सेशन का बोझ बढ़ाया जाय ? सब चाहते हैं कि टैक्सेशन कम हो । लेकिन यह कोई नहीं बतलाता कि रचनात्मक काम के लिये पैसा कहां से आये ? सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहे और जो लोग सरकार के खजाने में आकर रुपया जमा कर जाय उसी रुपये से जितना काम हो सके वह किया जाय और उसी से संतोष कर ले और अधिक रचनात्मक काम न करें, तब तो ठीक है । लेकिन अगर हमें विकास के कार्य करने हैं, नहरें बनानी हैं, सड़कें बनानी हैं, तो रुपये का कुछ न कुछ प्रबंध करना ही होगा । श्रमदान से जितना कार्य हो सकता है उसकी कोशिश हम करते हैं और हमें संतोष है कि सबका हमें सहयोग मिलता है और आशा है कि भविष्य में भी मिलेगा । लेकिन सारा काम श्रमदान से ही हो जायगा । ये आशा करना जरूरत से ज्यादा होगा । अगर पैसा आना है तो जैसे भी आये उसे छोड़ना नहीं चाहिये । कोई भी पैसा ऐसी जगह से नहीं लिया जा रहा है, जो जायज तरीके से न आ सकता हो ।

जैसे मेरे मित्र माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि हमने जो पहले टैक्सेशन बढ़ाये थे उसका नतीजा उल्टा हुआ । अगर वह आंकड़े देखना चाहेंगे तो उनको बतला सकूंगा । १९५१–५२ में हमारे यहां ४,४७९ गाड़ियों की संख्या थी और उनसे २७,२७,७०० रुपये के करीब हमें मिले थे । लेकिन १९५३–५४ में बावजूद सरैण्डर के हमारी आमदनी ५५,८१,८६५ हो गयी । पहले गाड़ी ४४७९ थीं और अब ४५६८ हैं यानी मुश्किल से ८०-९० गाड़ी ही बढ़ी हैं और हमारी आमदनी दूनी हो गयी है तो गाड़ियों की संख्या के बढ़ने से इतना ज्यादा टैक्सेशन नहीं बढ़ गया है । जहां तक उनकी तकलीफ का सवाल है मैं भी इस बात को मानता हूं और मैंने ट्रक वालों को आश्वासन भी दिया था कि मैं आपकी मदद करूंगा ।

मैं आपको बतला सकता हूं कि इसकी वजह से जो उनके ऊपर टैक्सेशन का बोझा बढ़ा है वह बहुत कम है और इस वजह से उनका कोई काम रुक नहीं सकता है। एक मन के ऊपर कुछ पाई पड़ती हैं जो सामान ले जाते हैं तो वह शिकायत नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर बोझा यह था कि जब वह अपनी ट्रक का किसी म्युनिसिपैलिटी को हद्द से पास करते थे तो उनको ६-८-१० रुपये तक एक एक ट्रिप में ही देने पड़ते थे और आज भी कहीं कहीं देना पड़ता है। लेकिन यह जान कर उन लोगों को खुशी होगी कि गवर्नमेंट इस निश्चय पर आ चुकी है कि एक रुपये से ज्यादा और एक्सेशनल केसेज में दो रुपये से ज्यादा किसी से भी एक ट्रिप में न लिया जाय। तो इसकी वजह से जो लोगों को राहत मिलेगी वह कहीं ज्यादा होगी। जितना टैक्सेशन से उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, उससे कहीं ज्यादा राहत इस रिआयत से उनको मिल जायगी और हमारा विभाग पूरी कोशिश इस बात की, कर रहा है कि जल्दी से जल्दी यह राहत उन लोगों को मिल जाय।

चन्द्र सिंह जी ने एक शिकायत और की थी उसका संबंध इस विधेयक से बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन फिर भी चूंकि उन्होंने की और उनके दिल में दर्द न रह जाय इसलिये उसकी सफ़ाई देना जरूरी है। जहां तक आर० टी० एज० की पालिसी का ताल्लुक़ है, उसमें हम अपने को खुद मजबूत पाते हैं। यह बहुत ज्यादा अन्दर के रहस्यों को जाहिर करना नहीं होगा, अगर मैं यह कहूं कि कितने ही मामलों में सरकार की मर्जी के खिलाफ़ परमिट दिये गये और दिये जाते हैं। लेकिन सरकार मजबूर है। मैं समझता हूं कि यह सदन हाई कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद कि आर० टी० ए० का रुतबा एक अदालत का है हम से यह आशा नहीं करेगा कि यहां से हमारी सरकार दस्तन्दाजी करे, परमिट देने के मामले में। इसलिये हम बहुत ही सावधानी के साथ इन चीजों से परहेज करते हैं। सिर्फ़ आम हिदायतें जो लोक हित में हों, जो साधारणतया ठीक समझी जायं, वही यहां से दी जाती है। जैसे कि अगर एक आदमी के पास बहुत सी परमिट हों तो उसकी अपेक्षा उस आदमी को तरजीह देनी चाहिये, जिसके पास सिर्फ एक परमिट है, या जिसके पास मोटर गाड़ी नहीं है और वह जिसके पास मोटर गाड़ी है, उन दोनों में से उसको तरजीह देनी चाहिये जिसके पास मोटर गाड़ी है या जो उस व्यापार में काम करता है और नये आदमियों को इसमें हमको नहीं बुलाना चाहिये, क्योंकि सरकार की पालिसी उत्तरोत्तर राष्ट्रीयकरण की तरफ है। जितने आदमी आज इस रोजगार में हैं उन्हें ही अगर हम कायम रख सकें तो यह हमारे लिये बहुत बड़ी सफलता की बात होगी और इसमें दूसरे आदमियों को दावत देना यह पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा। इस क़िस्म की हिदायतें हम जरूर देते हैं और देना चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष को ले कर हम कोई हिदायत नहीं दे सकते हैं और न भविष्य में देना चाहते हैं। और उसमें इस सदन के मेम्बर और म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन आदि जैसे प्रतिष्ठित लोग रहते हैं। अगर वहां पर गलत तरीक़े से काम होता है, तो मैं चाहूंगा कि उस तरह से उसे एप्रूव किया जाय और अगर कहीं ज्यादा शिकायत हो और मुझको अगर उनके नाम मालूम होंगे तो मैं फिर नामिनेशन करते समय इस बात का खयाल रख सकता हूं।

श्री नारायणदत्त जी ने एक दो शंकायें उपस्थित कीं। वह शायद इस ग़लत-फ़हमी में हैं कि सारे साधन (सामान ले जाने के), हमारे मोटर ट्रक्स की मार्फत ही हैं। उन्हें मालूम होना चाहिये कि इधर रेलवे ने बहुत सी सहूलियतें देनी शुरू कर दी हैं और रेलवे की मारफ़त सामान सस्ते में चला जाता है और जैसे जैसे रेलवे से सुविधा अधिक मिलती है उस दर्जे तक हमारी तरफ लोगों का रुझान घट जाता है। और जहां ट्रक्स की तादाद अपेक्षाकृत कुछ घटी है, जो पब्लिक स्टेज कैरेजेज हैं उनकी तादाद बढ़ भी गयी है। बहुत मुमकिन है कि जो लोग ट्रक चलाते थे, उनको शायद परमिट स्टेज कैरेज का मिल गया हो और उन्होंने दूसरी तरफ रुझान कर लिया हो। एक कारण यह हो सकता है। लेकिन मुझे कोई ऐसा कारण नहीं मालूम हुआ है कि किसी हमारी नीति विशेष से उन्हें तकलीफ़ है। जहां तक हमारे विभाग का ताल्लुक़ है हम हर क़िस्म की सुविधा उनको दे रहे हैं और आशा करते हैं कि आगे भी देते रहेंगे।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

एक शंका और की गयी और पूछा गया कि क्या खेती में जो प्राइवेट कैरियर्स रखते हैं उनके लिये भी यह टैक्स बढ़ेगा ? मुझे दुःख है कि शायद वहां भी यह बढ़ेगा ही। सिवा उस हालत में जब वह अपनी प्रेमिसेज में सामान ले जायं। उसका भी मैं कह नहीं सकता। लेकिन यह बढ़ेगा और बढ़ाना जायज है। लेकिन अगर टैक्स बढ़ रहा है और ग़ल्ले का दाम कम हो रहा है तो ग़रीब काश्तकारों के भी दाम घट रहे हैं, जिनके पास एक एकड़, डेढ़ एकड़ और इससे भी कम जमीन है उनके भी दाम घट रहे हैं। अगर वह तकलीफ बरदाश्त कर सकते हैं तो बड़े-बड़े फार्म वाले जिनके पास पांच सौ एकड़ और १०,००० एकड़ के ब्लाक्स हैं बर्दाश्त कर सकते हैं। कोई ग़रीब आदमी जिसके पास जमीन कम है, वह तो ट्रक रखेगा नहीं और बड़ा फार्म वाला अगर कुछ पैसा दे देता है, तो कुछ ज्यादा शिकायत की बात नहीं हो सकती है। अगर उसको फायदा न हो तो प्राइवेट कैरियर का परमिट न ले और औरों की तरह दूसरे साधनों से गल्ला लाये। इस तरह से मैं देखता हूं कि कोई भी ऐसी शंका नहीं है जो सचमुच इस विधेयक के खिलाफ़ हो। मुझे संतोष है और खुशी भी है कि हमारे विरोधी दल के भाइयों ने बड़ी हमदर्दी और सहानुभूति के साथ आज यह पहला उदाहरण पेश किया। मैं जानता हूं कि उन्हें थोड़ी तकलीफ़ हो रही है कि किस तरह से सरकार का साथ दें। लेकिन मैं उन्हें इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि यह अवसर बढ़ने वाले हैं। उन्हें बार-बार हमारा साथ देना होगा। मैं जानता हूं कि उनके दिल में देश की तकलीफ़ के लिये दर्द है और जो चीजें हम उस तकलीफ को दूर करने के लिये लाएंगे उनमें वह अपने को रोक नहीं सकेंगे सिवा इसके कि हमारा साथ और सहयोग दें। ये मौके बढ़ने वाले हैं। मैं दावत देता हूं कि आज से जो यह शुरूआत हुई वह कायम रहे और यह विधेयक बहुत जल्दी पास हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर वैहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

यू० पी० ऐक्ट ५, १९३५ की धारा ४ का संशोधन।

२---यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४ की उपधारा (१) के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड (proviso) के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में रख दिया जाय :---

"Provided further that the tax payable on vehicles used for the carriage of goods in connection with trade or business carried on by the owner of the vehicle but not plying for hire or reward in respect of the period—

(*a*) prior to the commencement of the U. P. Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1954, be determined in accordance with the appropriate rates then specified in the first schedule ; and

(*b*) after the commencement of the said Act, shall be determined in accordance with the rates specified in article IX of the first schedule as amended by the said Act".

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३—मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) में— यू० पी० ऐक्ट ५, १९३५ की धारा ५ का संशोधन।

(१) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड में "the" और "proviso" के बीच में शब्द "first" बढ़ा दिया जाय,

(२) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित तृतीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"Provided also that difference between the enhanced tax payable under clause (*b*) of the second proviso to sub-section (1) of section 4 and the tax paid for the said period in accordance with the rates specified in the first schedule as it stood prior to the commencement of the U. P. Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1954 shall be paid within three months form the date of commencement of the said Act".

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४—मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा (२) के खण्ड (dd) में: मूल अधिनियम की धारा २० का संशोधन।

(१) शब्द "proviso" के स्थान पर शब्द "provisos" रख दिया जाय, और

(२) शब्द "the second proviso" के स्थान पर शब्द "the second and third provisos" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५—मूल अधिनियम की प्रथम अनूसूची (Schedule) में वर्तमान अनुच्छेद ९ (Article IX) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट ५, १९३५ की प्रथम, अनुसूची का संशोधन।

"IX. Vehicles used for the carriage of goods in connection with a trade or business carried on by the owner of the vehicle but not plying for hire or reward :

(A) If fitted entirely with pneumatic tyres, and (*a*) if intended for use on an A class route—

	Rs. a. p.
(i) for the firs 15 cwt. of authorised load	210-0-0
(ii) for every additional hundred weight of load	7-4-0
(*b*) if intended for use on a B class route—	
(i) for the first 15 cwt. authorised load	189-0-0
(ii) for every additional cwt. of authorised load	5-4-0
(*c*) if intended for use on a C class route—	
(i) for the first 15 cwt. of authorised load..	169-5-0
(ii) for very additional cwt. of authorised load	4-0-0

(B) If fitted with resilient tyres—

the tax payable under his article for a vehicle of the same authorised load capacity, if fitted with pneumatic tyres, together with an addition of 331/2 per cent. thereon ; and

(C) if fitted with non-resilient tyres—

the tax payable under this article for a vehicle of the same authorised load capacity , if fitted with pneumatic tyres, together with an addition of 66 2/3 per cent. thereon."

श्री उपाध्यक्ष—खंड ५ के सम्बन्ध में मेरे पास अभी-अभी एक संशोधन की सूचना आई है । मैंने उसकी एक प्रति माननीय परिवहन मंत्री जी के पास भी भेजवा दी है। अगर उनको कोई खास आपत्ति न हो तो माननीय सदस्य को पेश करने की इजाजत दे दूं।

(परिवहन मंत्री ने कुछ नहीं कहा।)

राजा वीरेन्द्र शाह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (c) के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"provided that no tax will be raised on private carrier particularly registered for agricultural and educational purposes."

यह संशोधन रखने का मेरा यह मतलब है कि सरकार को यह समझना चाहिये कि जिस वक्त अन्न की यहां कमी थी तो प्रान्त में बड़े-बड़े फार्म होल्डर्स या जिन-जिन लोगों ने इस तरक्की में साथ दिया, फार्म बनाये, उनके लिये प्राइवेट कैरियर रखे गये। तो मैं आपके जरिये सरकार से कहना चाहता हूं कि यह एक भ्रम है कि उन्होंने नाजायज तरीके से उन प्राइवेट कैरियर्स को किराये पर चलाया है, जिसकी वजह से यह बिल, टैक्स बढ़ाने का, आया है। मैं बतलाना चाहता हूं कि उनको अपने ही काम से फुरसत नहीं मिलती तो वह कैसे दूसरा काम कर सकते हैं ? फिर धारा में मौजूद है कि जिस काम के लिये रजिस्टर्ड है उसी काम में इस्तेमाल हो सकता है। और ऐग्रीकल्चरल परपजेज में लिखा है कि सिवा ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के यानी गल्ले और भसे वगैरह के किसी दूसरे काम में नहीं ला सकते। तो मैं यह कहूंगा कि जिस आधार पर यह टैक्स बढ़ाया जा रहा है वह ग़लत है। मैं मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में ऐसी चीज पाई जाय तो वह बढ़ा सकते हैं। जब ऐग्रिकल्चर को प्रोत्साहन दिया गया और उसे इस सरकार ने हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो क्या वजह है कि वे एक्जेम्प्ट नहीं किये जाते और उस पर टैक्स लादा जा रहा है ? अन्न मंत्री जी भी यहां बैठे हुये हैं , वह सरकार को बतलायेंगे कि जमीन को हमने ऐग्रिकल्चरल के काबिल कैसे बनाई। फिर अब गल्ले का भाव घट रहा है तो आप टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं, तो नतीजा यह होगा कि प्राइवेट कैरियर के परमिट बन्द कर देंगे। पब्लिक कैरियर इस्तेमाल नहीं कर सकते इसलिये कि उससे काम में अड़चन पड़ती है। लिहाजा इस चीज को मत कीजिये जिससे खामख्वाह अन्न उत्पादन में संकट पैदा हो। जो टैक्स का भार वाहन कर सकते हैं उन पर टैक्स बढ़ाइये। इसलिये हमने सरकार को सपोर्ट किया। जो सही चीज है उसमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसके यह मानी नहीं कि जो नाजायज काम है उसमें भी सपोर्ट करें। तो फिर कोई वजह नहीं है कि यह संशोधन स्वीकार न किया जाय, इससें किसी को तकलीफ नहीं होगी और न किसी को 'ग्रज' (grudge) होगा।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—श्रीमन्, मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। माननीय सदस्य को भ्रम हो गया है चूंकि लोग दुरुपयोग करते हैं इसलिये टैक्स बढ़ाया जा रहा है। मैंने शुरू में ही अर्ज किया कि ये वही काम लेते हैं जो दूसरे प्राइवेट कैरियर वाले लेते हैं और इन की आमदनी उन पब्लिक कैरियर वालों से ज्यादा है,

तो कोई कारण नहीं है कि एडीशनल रिआयत की जाय। २५ फीसदी, पब्लिक कैरियर वालों से इनके लिये पहले ही कम है। मैं तो डर रहा था कि कहीं सदन से यह आवाज न उठे कि यह २५ फीसदी की रिआयत भी क्यों की जाती है। कहीं एक दम से उसे न ले लिया जाय, इसलिये यह २५ फीसदी की रिआयत को तो छोड़ दिया गया, लेकिन कोई कारण नहीं है कि और एडीशनल रिआयत उनके साथ की जाय। ज्यादा जमीन होने की वजह से कष्ट है तो उनसे दरख्वास्त करूंगा कि भूमि दान में जितनी चाहें जमीन दें दें, न रहेगा सर, न सरदर्द। जो रिआयत हम गरीबों के साथ नहीं करते, पब्लिक कैरियर्स चलाने वालों के साथ जो उन्हीं को चला कर अपना पेट तक नहीं भर पाते और साल भर नहीं चला पाते और २०,२५ फीसदी उनमें से सरंडर करने को तैयार हो जाते हैं, उनसे ज्यादा रिआयत इनको दी जा रही है जिनका कि एडीशनल सोर्स आफ इनकम भी है, यह जायज नहीं मालूम होता। मुझे उम्मीद है कि सदन इसके लिये प्रेस न करेगा और आशा है कि आनरेबिल मूवर उसे वापस लें लेंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह---श्रीमन्, मुझे बड़ा खेद है माननीय मंत्री जी के उत्तर को सुन कर। उनका यह कहना कि ऐग्रिकल्चर करने वालों के पास जमीन ज्यादा है तो वे भूमिदान में दे दें, तो इस वक्त भूदान का सवाल नहीं है। जिन्होंने भूदान में अब तक जमीन दी है उसका जिस तरह से प्रबन्ध हो रहा ह, जिस तरह से वह यज्ञ चल रहा है, जिस प्रकार से भूमि का वितरण हुआ है, और उससे गरीब जनता को जो आनन्द और सुख मिल रहा है वह जनता जानती है, उसका सवाल जब आयेगा तब जवाब दिया जायगा। यहां इस वक्त तो श्रीमन् को यह ख्याल करना चाहिये कि यह रिआयत सेंटर से हुई थी। यहां तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो मुझे मंत्री महोदय क्षमा करेंगे, मुझे सेंटर से ही इसके लिये प्रार्थना करनी पड़ेगी कि जब सेंटर से जापानी ढंग खेती करने का निकल रहा है और इसी तरह से ऐग्रीकल्चर के लिये और चीजें निकल रही हैं तो यह राज्य सरकार उसमें अड़चन डाल रही है। उसके लिये अब हमारे सामने और चारा नहीं रह गया है, सिवाय इसके कि हम अपनी भारत की सरकार से कहें, पार्लियामेंट से कहें कि यहां पर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, यही माननीय मन्त्री जी की मन्शा है। इस समय मैं श्रीमन्, इतना ही कह सकता हूं और इस बात के लिये प्रोटेस्ट करता हूं कि हमारे साथ जरूर यह अन्याय हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (c) के बाद निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय--

"Provided that no tax will be raised on private carriers particularly registered for agricultural and educational purposes."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर सदन का विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में - २

विपक्ष में - ७७।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विचित्र नारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन संशोधन विधेयक, १९५४ पारित किया जाय ।

इस पर जो बातें कहने की थीं, वे सदन के सामने आ चुकी हैं और ज्यादा समय लेना मुझे उचित मालूम नहीं होता और मैं आशा करता हूं कि अब यह पारित किया जायगा ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी सरकार के लिए कम से कम वर्तमान समय में टैक्सेशन की रीति को निर्धारित करते समय इस बात को देखना पड़ेगा कि टैक्स देने वालों की हैसियत ऐसी तो नहीं है कि उनसे टैक्स लेनें में कठिनाई पड़े । हम लोगों ने जो विधेयक प्रस्तुत है, उसका समर्थन किया है । इस आशा से समर्थन किया है कि जैसा राजा वीरेन्द्रशाह जी ने बताया, कृषि की उपज में या व्यापार में जो कमी आ रही है और वह बन्दी की ओर जा रहा है, उसका भी टैक्स लगाते समय सरकार ख्याल रखेगी । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सारे संसार में टैक्सों की ओर बैंक इन्टरेस्ट को कम करने की प्रवृत्ति है । सरकारों की प्रवृत्ति है कि इन्फलेशन जैसे दूर हुआ, रुपया ऐसे लोगों के पास पहुंचे जिनसे वह सरकुलेशन में आ सके । इसलिए कि कीमतें बहुत नीचे न चली जावें, तो ऐसी हालत में टैक्सेशन के सम्बन्ध में भी कुछ जरूर सोचना होगा । परिवहन मन्त्री जी ने जो विधेयक रखा है, वह इसलिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्राइवेट के नाम पर तो गाड़ी रखते हैं और काम पब्लिक कैरियर का करते हैं । मैं प्राइवेट और पब्लिक दोनों को एक साथ रखकर यह जरूर कहना चाहता हूं कि टैक्स की नीति पर जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं । सरकार इस समय प्राइवेट कैरियर के सम्बन्ध में कानन बनाने आयी है । उसे कम से कम इस बात का ध्यान होना चाहिये कि प्राइवेट कैरियर चलाने वाले वर्कर्स के लिये भी कहीं कुछ गुंजाइश कर देनी चाहिये । हो सकता है कि सरकार इस बात से थोड़ा सा संकोच करती हो । चूंकि सरकार कुछ गाड़ियां चला रही है और उनके चलाने वालों की कुछ मांग हुआ करती है । अगर सरकार प्राइवेट वालों के लिये कुछ जोर डालने का कानून बनाती है तो उसे अपने लिये भी वह कानून लागू करना होगा । मैं मंत्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि बम्बई की सरकार की रोडवेज में १६ हजार मजदूर काम करते हैं और उसने उन्हें परमानेन्ट कर रखा है और मैं नहीं कह सकता कि वे किराया कितना कम लेते हैं लेकिन अगर किराया इतना भी लेती हो तो कम से कम सरकार मुसाफिरों की एमैनिटी और सुविधा का पूरा ध्यान रखती है । तो इस मौके पर मैं अपील करना चाहता हूं कि जब इस तरह का विधेयक हम लोगों के सामने आवे तो उसमें जहां टैक्स बढ़ाने की बात हो वहां वर्कर्स को, काम करने वालों की सुविधा का भी ध्यान रखना आवश्यक है और यदि इस तरीके का विधेयक आये तो हमें कोई संकोच नहीं होगा इस तरीके के विधेयक के स्वागत करने में । हम इससे डरते नहीं हैं कि अगर हम सरकार के किसी काम को अच्छा कह दें तो जनता हमें उसका उपासक कह देगी और न हम यह चाहते हैं कि हमेशा हर टैक्स के लगाने का हम विरोध ही करते रहें । हम अगर सरकार कोई अच्छा काम करे तो उसकी मदद करने के लिये तैयार हैं । लेकिन सरकार हमें मदद करने की हैसियत में रहने भी दे । उपाध्यक्ष महोदय, हम सरकार को उस वक्त मदद करने को राजी हो सकते हैं जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, बम्बई की भांति वर्कर्स के लिये मंत्री जी कोई कानून लायें । यहां की रोडवेज के वर्कर्स बहुत असंतुष्ट हैं और अगर माननीय मंत्री जी अपने इस कार्यकाल में उनको संतुष्ट न करें तो मुझे उनसे बहुत शिकायत होगी और किसी से कम शिकायत होती लेकिन माननीय परिवहन मंत्री जी से बहुत बड़ी शिकायत होगी । इसलिये कहता हूं कि उनके जमाने में यह शिकायत दूर हो जानी चाहिये और वर्कर्स को ऐसी ही सुविधायें दी जानी चाहिये जैसी कि मध्यभारत और बाम्बे में दी जा रही हैं । उनके लिये माननीय मंत्री जी २–१ महीने में कोई विधेयक लायें या प्रशासकीय आदेशों के द्वारा उनके लिये कोई सुविधायें कर दें । इसके अतिरिक्त इन टैक्सेज पर भी वे एक बार फिर से विचार करें । अब करें या दो चार महीने में करें, लेकिन करें अवश्य जिससे गाड़ियां अधिक से अधिक चल सकें और अच्छा काम हो सके । यह प्रगति और प्रौसपेरिटी का चिन्ह है

उन्होंने कहा कि वे कम गाड़ियां देखना चाहते हैं, वे इस पर फिर से विचार कर लें। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे देश में पब्लिक कैरियर और मोटर गाड़ियां कम रहें। यह मैं जरूर कहूंगा कि परमिट देने में थोड़ी उदारता बर्ती जाय। उनका यह कहना कि अगर हम परमिट उदारता पूर्वक दे देंगे तो गाड़ियां ज्यादा चलने लगेंगी, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि दुनिया में स्केअरसिटी की एकोनामी कायम रखने वाले लोग अच्छे नहीं समझे जाते। वे दूसरे ही लोग हैं, शर्मा जी उन लोगों में से नहीं हैं। इसलिये मैं यह सोचता हूं कि स्केअरसिटी की एकोनामी न रहे और पूरी तरह से लोगों को उदारता पूर्वक परमिट मिलें और जो किराये पर चलाने वाले हैं उनको भी सुविधा प्राप्त हो और आजकल जो गाड़ियों की यहां पर कमी है। वह भी दिखायी न दे। इन बातों को कहते हुये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस सिलसिले में मैंने जो निवेदन किया है उसको माननीय मंत्री जी मानेंगे। माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने भी बड़ी मजबूती के साथ अपने विचारों को रक्खा, उन्हें उसमें एक शक था अब मैं इस आशा से इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि माननीय मंत्री जी जल्दी ही ऐसा काम करेंगे कि जिससे लोगों को शिकायत का मौका न मिले।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—श्रीमन्, श्री गेंदा सिंह जी ने जो विचार सदन के सामने रक्खे हैं, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है कि प्राइवेट वेहिकिल्स वाले अपने नौकरों के साथ क्या बरताव करें, वह इस विधेयक में नहीं आ सकता, उसके लिये यह जगह नहीं है। जहां तक उनको सहूलियत देने का सवाल है, मैं उनको विश्वास दिला सकता हूं कि मेरी हमदर्दी श्री गेंदा सिंह जी के प्रत्येक शब्द के साथ है, जो उन्होंने यहां फरमाया। मैं इसे अपने लिये फख्र की बात समझता हूं कि मेरे से उनको दूसरों से ज्यादा शिकायत होगी। यह मैं सरकार के लिये बहुत ज्यादा गौरव की बात समझता हूं कि उनको उससे कुछ आशा है और उसकी वह शिकायत करते हैं। वास्तव में जैसे-जैसे हम आध्यात्मिक और भौतिक तरक्की करते जायेंगे तो जो वर्तमान परिस्थिति है उससे हमारा असंतोष बढ़ता जायगा। यह एक ऐसी बात है कि मरीज जब बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो वह कोई शिकायत ही नहीं करता है। कभी कभी तो वह घंटों तक बेहोश पड़ा रहता है, लेकिन जैसे जैसे मर्ज कम होने लगता है, उसे सेहत नसीब होने लगती है और जब वह बिल्कुल अच्छा होने लगता है तो वह जरा-जरा सी बात पर जैसे कि मुझे समय पर खाना नहीं मिला, मुझे पथ्य नहीं दिया जाता है मुझे पूरी कचौड़ी नहीं दी जाती है, शिकायत करता है। जैसे बीमारी घटती है और सुधार होता है, तो उसकी शिकायत का बढ़ना एक ऐसा अंग है जिसको हम अलग कर नहीं सकते और यहां तक कि हमारी छोटी छोटी शिकायतें होने लगती हैं, यह तो हमारी सफलता का द्योतक है और इसके लिये हम प्रसन्न हैं। लेकिन मैं उस चीज की उपेक्षा नहीं करता हूं। मैं कभी इस बात को नहीं मानता कि जो कुछ आराम हमें उनको पहुंचाना चाहिये उतना हम कर चुके हैं। यह न समझा जाय कि हम उनके लिये महसूस नहीं करते हैं। उसमें सवाल सिर्फ इतना है कि हमें क्या करना है? हम जरूर उनको राहत देना चाहते हैं, लेकिन सरकार के लिये मुश्किल है कि वे प्राइवेट आपरेटर्स की तरह नहीं कर सकते हैं। जहां तक उनका देने का सवाल है उनके नीचे १०,५० आदमी काम करते हैं, हमारे पास भी १०० या १,००० आदमी होते तो बात दूसरी थी,लेकिन सरकार के नीचे तो हजारों और लाखों की तादाद में आदमी काम करते हैं। अगर एक के लिये हम सहूलियत दें तो इंसाफ हम दूसरों के लिये वह सहूलियत न दें, यह मुमकिन नहीं है। हमें सबके लिये वही सहूलियतें देनी पड़ेंगी। आखिर वे भी सरकारी आदमी हैं और उनको जो भी सहूलियतें दें वह आती है जनता से और वह आती है टैक्सेशन की मार्फत। अन्त में जाकर इसका बोझ पड़ता है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर, इसका बोझ पड़ता है काश्तकारों के ऊपर और जब तक इस देश की आम जनता अभाव में रहती है और उसको उतनी सहूलियतें नहीं मिलतीं जितनी कि हम देना चाहते हैं, तब तक टैक्सेशन का बोझ बढ़ाना इस सरकार के लिये उचित नहीं होगा और उसी सहृदयता के नाते हम नहीं मुनासिब समझते कि यह बोझ जनता के ऊपर पड़े। इसलिये यह सवाल वास्तव में बड़ा टेढ़ा है। मैं चाहता हूं कि विरोधी दल के माननीय सदस्य अगर इस पर कुछ प्रकाश डाल सकें तो मैं बहुत कृतज्ञतापूर्वक उसे स्वीकार करूंगा। लेकिन अभी जैसा एक

[श्री विचित्र नारायणशर्मा]

दो भाइयों ने बतलाया कि टैक्सेशन कमेटी बैठी है और वह सब मिलाजुला सवाल है। उस सिलसिले में वह सवाल सामने आयेगा और हम इसका ध्यान रखेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा उनके साथ न्याय कर सकें। इसके अलावा और कोई बात ऐसी नहीं, जिसके जवाब देने की जरूरत हो। मुझे आशा है कि इस बिल को स्वीकार किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५४, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ विषयक याचिका

श्री उपाध्यक्ष--मुझे अभी सूचना मिली है कि याचिका समिति के लिये कोई याचिका सचिव के पास आयी है। उसकी सूचना सहायक सचिव, विधान सभा सदन को देंगे।

सहायक सचिव--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आदरणीय सदन को यह सूचना देनी है कि आज ३ बज कर १२ मिनट पर, सर्वश्री विजय कुमार मिश्र, नरेश सक्सेना तथा रामसागर मिश्र ने एक याचिका नियम २०८ के अनुसार लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ के सम्बन्ध में दी है।

श्री उपाध्यक्ष--यह सूचना, जो सदन को मिली है उसके लिये मैं नियम के अनुसार आज्ञा देता हूं कि यह याचिका समिति के समक्ष भेज दी जाय और वह उसके ऊपर विचार करके अपनी राय देवे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, अभी जो आपने सूचना दी है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पर एक पेटिशन आया है, तो मेरा सुझाव है और मेरी प्रार्थना आपसे यह होगी कि चूंकि यह लखनऊ यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल के सम्बन्ध में पिटिशन है, जैसा कि मुझे अभी माननीय सचिव से व्यक्तिगत रूप में मालूम हुआ है और पेटिशन कमेटी की मीटिंग भी आज ही शाम को ५ बजे बुलायी गयी है, इसलिये अच्छा हो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल पर आज विचार स्थगित किया जाय और कल याचिका समिति की रिपोर्ट आने पर बिल के साथ सरकुलेट होने का जो नियम है उस का भी पालन हो जायगा। सदन के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आया है कि पेटिशन कमेटी इस प्रश्न पर विचार करे। ३ साल के बाद सदन इस पेटिशन के महत्व को समझेगा और जनता के इस अधिकार को देखते हुये यह उचित होगा कि इस समय हम सदन की बैठक स्थगित कर दें और कल पेटिशन को देखते हुये सदन इस पर विचार करे और उस समय हमारे सामने याचिका समिति की रिपोर्ट भी हो।

श्री उपाध्यक्ष--मैं इस सदय सदन का ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम २१३ की ओर खींचना चाहता हूं। अधिक से अधिक याचिका समिति, जो काम कर सकती है वह यह कर सकती है कि वह नामंजूर कर दे और अगर मंजूर करे तो सदस्यों के पास बिलके साथ सरकुलेशन करा सकती है, सिवा इन दो बातों के और कोई तीसरा रास्ता उस के लिये नहीं है। ऐसी हालत में जो आने वाला बिल है उस पर विचार करने का प्रस्ताव ही आज के एजेंडे पर है और उस पर एक संशोधन प्रवर समिति में भेजने का भी है और इस तरह से उस पर विचार होने में काफी समय लगेगा और याचिका समिति भी मैं समझता हूं कि बहुत जल्द अपना निर्णय दे सकती है। इसलिये सदन का कीमती समय बरबाद करना तो उचित न होगा और इस पर विचार अब जारी किया जाय तो ठीक होग और शीघ्रातिशीघ्र कल तक याचिका समिति का प्रस्ताव भी आ जायगा और शायद उसके अनुसार कल तक कार्यवाही हो जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल को इस समय स्थगित करना मुनासिब न होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, अपनी रूलिंग से पहले मेरी एक बात सुनलें।

बहुत से सदस्य—रूलिंग तो हो चुकी।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (जिला हरदोई)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह यह है कि मैं सदन का ध्यान नियमावली के रूल २०८ की ओर दिलाना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि—

"208. Any petition may be presented by a member, or be forwarded to the Secretary in which latter case the fact shall be reported by him to the House and no debate shall be permitted on the making of such report."

तो इस तरह से इस में साफ है कि उस पर कोई डिबेट हाउस में नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष—वह ठीक है, रिपोर्ट के बारे में डिबेट नहीं हो सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यहां नियम में लिखा हुआ है कि "इट बिल बी सरकुलेटेड टु दि मेम्बर्स एज ए पेपर" यानी उस रिपोर्ट को एक पत्र की तरह इसके साथ नत्थी करना पड़ेगा अगर हमने अभी विचार जारी कर लिया तो किस प्रकार वैधानिक रूप से उसको सरकुलेटेड माना जा सकेगा, यह बात देखना है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कोई कठिनता न होगी।

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ *

†अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से इस धृष्टता के लिये क्षमा चाहता हूं कि मैं सदन के सम्मुख एक ऐसा विधेयक विचारार्थ उपस्थित कर रहा हूं, जिसका उस संस्था से सम्बन्ध है, जिससे मेरा ३४ वर्ष से घनिष्ट सम्पर्क रहा है, विद्यार्थी के नाते और उसकी विभिन्न कमेटियों के सदस्य के नाते। मैं जानता हूं कि उस व्यक्ति को, जिसका ऐसी संस्था से इतना गहरा सम्बन्ध हो, सदन में इस विधेयक को पेश करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिये। यह सदन उस संस्था में विभिन्न प्रकार की बातें और विभिन्न प्रकार के विचार उपस्थित करेगा, किन्तु मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, जो कि कदाचित् उसकी बुराइयों को नजरन्दाज करता रहा हूं और उसकी आलोचनाओं के प्रति ध्यान नहीं देता रहा हूं, इसलिये कदाचित् न्यायपूर्वक इस विधेयक को सदन में उपस्थित नहीं कर सकता। लेकिन मेरे सहयोगी मंत्री अभी कौंसिल में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक के सम्बन्ध में कदाचित् बोल रहे हैं और उन्होंने तथा मेरे साथी सीता राम जी ने मुझ से कहा कि मैं इस विधेयक को इस सदन के सामने उपस्थित कर दूं, मैं इसलिये उनके आदेशानुसार इस विधेयक को इस सदन के सामने उपस्थित कर रहा हूं। आशा है इसके लिये सदन मुझे क्षमा प्रदान करेगा।

लखनऊ यूनिवर्सिटी अधिनियम सन् १९२० में पारित हुआ था। वह समय था जबकि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के कैनिंग कालेज का विद्यार्थी था। वह समय था, जब श्री महाराज सिंह ने, जो बाद में सर महाराज सिंह हुये, लखनऊ विश्वविद्यालय के विधेयक को एजूकेशन सेक्रेटरी के नाते उस समय की कौंसिल के सामने उपस्थित किया था। सन् १९२० और १९५४ में कितना अन्तर हो गया है, उस पर तो मुझे प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं। सन् १९२० से १९३८ तक विश्वविद्यालय ऐक्ट के अन्तर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय और अपने प्रदेश के विश्वविद्यालयों का संचालन होता रहा। सन् १९३८ में पहली बार असेम्बली के सामने एक प्रस्ताव आया, जिस को मैंने ही स्वयं सदन के सामने उपस्थित किया था और जिसमें सरकार से इस बात का आग्रह किया था कि वह विश्वविद्यालयों के संचालन प्रशासन के विषय में और उनकी जरूरतों

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

की जानकारी के लिये एक कमेटी नियुक्त करे, जो सारी बातों पर विचार करके सरकार को सुझाव दे कि अब विश्वविद्यालयों के विधानों में उनकी जरूरतों के पूरा करने के लिये किन परिवर्तनों की आवश्यकता है। सरकार ने सन् १९३८ में उस प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुये एक कमेटी उस समय के शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में बनायी। कमेटी ने अपने को दो टुकड़ों में विभाजित किया। एक कमेटी श्री नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में लखनऊ और इलाहाबाद के विश्व वेद्यालयों के विधान और उनकी जरूरतों पर विचार करने के लिये नियुक्त की गयी और दूसरी कमेटी उस बड़ी कमेटी के तत्वावधान में आचार्य युगलकिशोर के नेतृत्व में आगरा यूनिवर्सिटी के विधान पर विचार करने के लिये नियुक्त हुयी। सन् १९४० तक वह कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकी। कदाचित् सन् १९४१ में उस कमेटी की रिपोर्ट शाया हुयी। उस समय तक राजनीतिक विधान में परिवर्तन हो गया था। असेम्बलियाँ तथा कौंसिलें तोड़ दी गयी थीं और गवर्नर का राज्य अपने प्रदेश में चल रहा था। इस कारण कमेटी की सिफारिशों पर उस समय विचार न हो सका। सन् १९४५ तक किसी ने भी उस कमेटी की सिफारिशों पर विचार करने के लिये प्रयत्न नहीं किया। सन् १९४६ में जब फिर से कांग्रेस की सरकार आयी और वही पुराने शिक्षा मंत्री फिर शिक्षा मंत्री नियुक्त हुये तब उन्होंने एक कमेटी सरकार की ओर से उस कमेटी की सिफारिशों पर विचार करने के लिये नियुक्त की। जिसने वाइस-चांसलर इत्यादि से परामर्श करके सरकार के सामने अपनी सिफारिशें पेश कीं।

इसके थोड़े ही समय बाद केन्द्रीय सरकार ने एक विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में विचार करने के लिये कमीशन नियुक्त किया, जिसके अध्यक्ष सर राधा कृष्णन् थे। उस कमीशन ने दो साल तक सारी बातों पर विचार करके एक लम्बी-चौड़ी रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रदेश की सरकार ने भी गौर किया। इसी दरम्यान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में सरकार को एक कमेटी नियुक्त करना पड़ी, जिसका नाम मूथम कमेटी था। उस कमेटी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बन्धित आलोचनाओं और सुझावों पर विचार करके एक रिपोर्ट दी, जो सरकार के सामने विचारार्थ उपस्थित हुई। इन तमाम कमेटियों की रिपोर्टों पर विचार करके सरकार ने निर्णय किया कि विश्वविद्यालयों के विधानों में परिवर्तन किया जाय। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय के विधेयक उन्हीं कमेटियों की तमाम बातों के ऊपर विचार करके और निर्णय करके सदन के सामने उपस्थित किये जा रहे हैं।

यह लखनऊ विश्वविद्यालय का विधेयक भी उन्हीं निर्णयों के बाद आज सदन में उपस्थित किया जा रहा है। १९३८ की श्री नरेन्द्रदेव की कमेटी ने जो सिफारिशें की थीं और राधा कृष्णन् कमीशन ने जो सिफारिशें की थीं और मूथम कमेटी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सिलसिले में जो सिफारिशें की थीं, उन सब पर सरकार ने विचार किया और फिर कुछ निर्णय किये और वह आधारित विधेयक जब सदन के सामने आया तो वह प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया। आज वह प्रवर समिति की सिफारिशों के और उसके द्वारा की गई तब्दीलियों के बाद सदन में विचारार्थ उपस्थित किया जा रहा है।

जहां तक लखनऊ विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, मैं सदन के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक में जो तब्दीलियां प्रवर समिति ने की हैं, वे ऐसी नहीं हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय के विधान के फंडामेंटल्स को बहुत एफेक्ट करती हों। लखनऊ विश्वविद्यालय १९२० में निर्मित हुआ था। जिस विधान की तहत में बना था, उसमें ऐसी कई धारायें थीं जिनसे चांसलर महोदय को बहुत अधिकार प्राप्त थे, फिर भी इन ३४ वर्षों में चांसलर महोदय ने उनको स्वयं कभी बरता नहीं है। कदाचित वाइस-चांसलर की और ट्रेजरर की नियुक्त आदि के लिये जिस प्रकार से

एक्जीक्यूटिव कौंसिल वगैरह ने सिफारिश कीं, चांसलर महोदय ने सदैव उसे स्वीकार किया और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, यद्यपि जो विधान लखनऊ विश्वविद्यालय का उस समय का था और आज है उसकी तहत में उन्हें सब अधिकार प्राप्त थे। जो मौजूदा विधेयक सदन के विचारार्थ प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद उपस्थित किया जा रहा है, उसमें बहुत वह बातें, जो आज वस्तुतः हमारी आंखों के सामने विश्वविद्यालयों में गुजर रही हैं, उन्हें ठीक करने के लिये कुछ आवश्यक परिवर्तन इस विधेयक में रख दिये गए हैं। जहां तक लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस-चासलरों की नियुक्त का सम्बन्ध है, उन दोनों में सदा अन्तर रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वाइस-चांसलर कोर्ट की सिफारिशों द्वारा एलेक्शन से नियुक्त किया जाता रहा है, परन्तु लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर की नियुक्ति के सम्बन्ध में एक्जीक्यूटिव कौंसिल सिफारिश करती है, जिसके आधार पर चांसलर महोदय अपाइण्टमेंट करते हैं।

यह सत्य है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जैसा मैंने अभी कहा, जो सिफारिश ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल ने की उसे चांसलर ने बिना अपने हस्तक्षेप के सदैव स्वीकार किया। मुझे इस बात का गौरव है और इस बात की खुशी है कि लखनऊ विश्व-विद्यालय के वाइसचांसलर की नियुक्ति के सम्बन्ध में कभी हमने न वह झगड़ा देखा और न वह उलझन देखी, जिसका नमूना कभी-कभी हमें उत्तर प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में देखने को मिला है। इसके लिये लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, उसके कार्यकारिणी तथा अन्य सभी बधाई के पात्र हैं। हमें इस बात का गर्व है। यद्यपि विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में इस जमाने में बहुत सी बातें कही गईं, बहुत सी शिकायतें की गईं, जिनमें से कुछ तथ्य के नजदीक भी हैं, लेकिन कोई व्यक्ति लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यह शिकायत नहीं कर सकता है। साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी ने या उसके अध्यापकगणों ने जो कार्य-कारिणी में बैठते हैं और निर्णय करते हैं कि उनका वाइस-चांसलर कौन हो, कभी संकुचित विचारधारा का परिचय नहीं दिया। हमने तरह-तरह की शिकायतें अन्य विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में सुनी, तरह-तरह की आलोचनायें उनके सम्बन्ध में सुनी, लेकिन ऐसी शिकायत लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कभी नहीं उठी। इसके लिये, जैसा मैंने कहा, कम से कम लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। क्या डा० कैमरन, डा० चक्रवर्ती, डा० प्रानजपे, जगत नारायण, हबीबुल्ला साहब और क्या आचार्य नरेन्द्र देव सभी की दो-दो, तीन-तीन बार नियुक्तियां इस बात की परिचायक हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर की नियुक्त हमेशा सुचारुरूप से और एक परम्परा को मानते हुए होती रही है। इसलिये लखनऊ विश्वविद्यालय की समस्यायें और अन्य विश्वविद्यालयों की समस्यायें भिन्न रही हैं। आज इस विधेयक में जो तब्दी-लियां रखी गई हैं, जो सुझाव के रूप में परिवर्तन आये हैं, वे कुछ अनुभवों की बुनियाद पर और कुछ उन छोटे-छोटे दोषों को लेकर हैं जिनका निराकरण होना आवश्यक है।

विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में तरह-तरह की आलोचनायें इस सदन में की गईं, बाहर भी की गईं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इनमें से कुछ आलोचनाओं के सम्बन्ध में काफी अत्युक्ति बर्ती गई है। विश्वविद्यालयों में कुछ दोष हैं और वे दोष दूर होने चाहिये, उनका निराकरण करना आवश्यक है; लेकिन इन समस्याओं के सम्बन्ध में इस प्रकार का वातावरण प्रदेश में उत्पन्न कर देना कि विश्वविद्यालय के अन्दर जो शासन चलता है वह बिल्कुल दोषों से भरा हुआ है, उस परम्परा के विरुद्ध है, जो ऐसी संस्थाओं के सम्बन्ध में हमें अपने बीच में स्थापित करनी हैं और करनी चाहिये। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो विश्वविद्यालय की स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहते हैं और जो विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं करना चाहते। जब

[श्री चन्भानु गुप्त]

जब कोई हस्तक्षेप का मौका आया, मैंने सदा चाहे मैं गवर्नमेंट का सदस्य रहा हूं, चाहे बाहर रहा हूं और चाहे विश्वविद्यालय का सदस्य रहा हूं, उन बातों का विरोध किया है। पर मैं बहुत अदब के साथ सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि ऐसे मौके तो कभी बिरले ही विश्वविद्यालय के इतिहास में उठे हैं, यद्यपि आज इस तरह के हस्तक्षेपों की बात बहुत कही जाती है, तरह-तरह के आरोप सरकार पर लगाये जाते हैं, बड़े-बड़े प्रस्ताव विश्वविद्यालय की अटोनौमी के सम्बन्ध में रखे जाते हैं। मैं उन व्यक्तियों से जो अटोनौमी का जिक्र करते हैं, जो कहते हैं कि आज विश्वविद्यालय की अटोनोमी का अपहरण किया जा रहा है, कहना चाहता हूं कि वह मिथ्या भाव का प्रसार कर रहे हैं.....

(इस समय ४ बजकर ३० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुये।)

कोई भी सरकार जो जीवित रहना चाहती है, जो अपने देश में स्वतन्त्र नागरिक उत्पन्न करना चाहती है, क्या कभी यह सोच सकती है कि वह उन संस्थाओं के चलाने में कोई ऐसा हस्तक्षेप करे, जो कि हमारे बीच में स्वतन्त्र नागरिकों को उत्पन्न न कर सके, जो हमारे बीच में स्वतन्त्र विचारों के पैदा होने में रुकावट डाले। ऐसा सम्भव नहीं है और किसी प्रजातन्त्रीय शासन के लिए इस प्रकार का आरोप लगा देना हमारे लिए दुःख की बात है, यह हमारे लिए शर्म की बात है। परन्तु आज हमारे बीच में परम्पराओं को स्थगित करने की चेष्टा कोई नहीं करता।

आखिर लखनऊ विश्वविद्यालय में जो चुनाव वाइस चांसलर का हुआ, वह एकमत से हुआ। यदि कानून की तहत से चाहते तो तीन नाम भी भेज सकते थे, चार नाम भी भेज सकते थे, क्योंकि चांसलर महोदय को नियुक्ति का अधिकार था, परन्तु क्या लखनऊ विश्वविद्यालय ने कभी तीन या चार नाम सिफारिश के रूप में चांसलर महोदय के पास भेजे। एक नाम भेजा गया और वह एक परम्परा के अन्तर्गत भेजा गया। तो विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में क्या सरकार को, क्या विश्वविद्यालय को और क्या उसकी तमाम कमेटियों को, सबको एक परम्परा स्थापित करनी है और उन परम्पराओं की तहत में विश्वविद्यालयों का संचालन करना है। इसलिये आज भी नियम में या कानून में कोई ऐसी चीज यदि हमें दिखाई दे कि जो ऐसा शक पैदा करती हो कि सरकार कोई प्रतिबन्ध लगाना चाहती है तो मैं बहुत अदब के साथ सदन से कहना चाहता हूं कि आज यदि हम परम्पराओं बनाने की चेष्टा करें तो कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति, उन परम्पराओं के चलाने में उनके सिद्धान्त में रुकावट नहीं डाल सकती। इसलिए जो आटोनोमी के ऊपर हमला करने की बात करते हैं वह मिथ्या प्रचार करते हैं। उन्होंने इस विश्वविद्यालय के ऐक्ट और इस विधेयक का अध्ययन नहीं किया है। अगर हम उनके अन्दर जाने की चेष्टा करें तो हमें पता चलेगा कि ऐक्ट में क्या क्या बातें हैं और जो मौजूदा विधेयक है, उसमें क्या-क्या बातें दी हुई हैं। ऐक्ट में तो बहुत से अधिकार चांसलर को मिले हुए थे, मगर क्या वह अधिकार कभी बरते गये? और यदि हमने इस मौजूदा विधेयक में यह स्पष्ट कर दिया कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति कार्यकारिणी की सिफारिश पर हो, यदि वह एक मत से हो, तो हमने कौन सी बात रख दी है, जिसके लिए यह आरोप लगाया जा सकता है और यह आलोचना की जा सकती है। आखिर जब अधिकार चांसलर महोदय का था, तब एक परम्परा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय ने कार्य दिया और चांसलर ने भी उसी परम्परा के अन्तर्गत कार्य किया। लेकिन आज यदि विधेयक में यह लिख दिया गया है, जो एक वास्तविक बात है, कि वाइस चांसलर की नियुक्ति अगर एग्जीक्यूटिव कौंसिल एकमत से करे, तो चांसलर महोदय उसी की नियुक्ति करेंगे। तब इसमें, कहां

दोष है, कहां दिक्कत पैदा होने वाली बात है, कौन सी अटोनोमी ले लेने वाली बात है, यह मैं समझ नहीं पाता हूं।

हां, इस विधेयक की तहत में कुछ ऐसी बातों के ऊपर प्रतिबन्ध अवश्य लगा दिया गया है, जिनसे दिक्कतें पैदा होती हैं, जिनसे विश्वविद्यालय में जो वातावरण बनना चाहिए वह बन नहीं पाता। आज हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है, जो यह नहीं चाहता कि विश्वविद्यालय हमारे देश के वह केन्द्र न बनें, जहां से प्रत्येक क्षेत्र में प्रकाश मिल सके, जहां शिक्षा के बीच क्षेत्र में ऐसे अनुसन्धान और अन्वेषण हों,जो हमारे देश के नाम को दुनिया के और देशों में ऊंचा स्थान प्रदान करायें? पर यह तो तभी हो सकता है, जब विश्वविद्यालय में एकेडेमिक ऐटमास्फियर बने, शिक्षा के प्रति, अध्ययन के प्रति और अन्वेषण के प्रति लोगों की लालसा बढ़े, क्या वह चुनाव के द्वारा बढ़ सकती है, क्या वह सारा वक्त वोट मांगने में बिताने से बढ़ सकती है? कभी नहीं, वह इस प्रकार कभी नहीं बढ़ सकती। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो यह अभिलाषा रखते हैं कि हमारे ये विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज और आक्सफोर्ड का मुकाबिला करें, दुनिया के और बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों का मुकाबिला करें। यदि यह करना है तो उनको अपने बीच में से उन पद्धतियों को उन गलत बातों को हटाना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा कमीशन या कोई ऐसी कमेटी है, जिसने कि इस बात का विरोध किया हो कि विश्वविद्यालयों में चुनाव की पद्धति कम से कम रहनी चाहिए? क्या आचार्य नरेन्द्रदेव की कमेटी, क्या सर राधाकृष्णन कमीशन और क्या मूथम कमेटी, इन सभी ने अपनी सिफारिशों में इस बात पर जोर नहीं दिया है कि विश्वविद्यालयों में जहां तक मुमकिन है चुनाव कम से कम कर दिये जायं और विश्वविद्यालयों का वातावरण शुद्ध बनाया जाय, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में अन्वेषण और अनुसंधान के प्रति लोगों की आस्था बढ़े और उन व्यक्तियों और अध्यापकों के प्रति आदर बढ़े जो अपना समय पढ़ने लिखने में और विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में लगाते हैं?

अतः आज कोई शिकायत नहीं कर सकता है यदि इस विधेयक द्वारा उन कमियों और कमजोरियों को दूर किया जा रहा है। हां, हो सकता है, इस विधेयक में कमियां और कमजोरियां रह गयी हों, लेकिन इन पर सरकार विचार करने के लिए सदा उद्यत रहती है।

अब भी इस विधेयक के सम्बन्ध में बहुत से संशोधन आये हैं। सरकार उन पर सहानुभूति पूर्ण विचार करने के लिए उद्यत है। आखिर यह सरकार जड़वादी तो नहीं है कि एक बात हमने मान ली और समझ ली, फिर उसके परे कोई विश्वास, धारणा और सुझाव हो ही नहीं सकता। चाहे कोई कितनी आलोचना क्यों न करे पर सदा हमारी यह नीति रही है और आज भी है कि हमारे प्रदेश के विश्वविद्यालय ऐसे उच्च विश्वविद्यालय बनें, जिनके शिक्षक संसार में, विज्ञान के संसार में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करें और इस देश के अन्दर ऐसी चीजें बनायें जिनके फलस्वरूप हमारे प्रदेश के रहने वाले विद्यार्थी न तो आक्सफोर्ड का मुंह देखे, न कैम्ब्रिज का मुंह देखें, न और विदेशों के बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों की तरफ जाने की चेष्टा करें। साथ ही हम विदेशों से ऐसे विद्यार्थियों के आने में मदद दें, जो कि हमारे विश्वविद्यालयों में आकर शिक्षा प्राप्त करते रहें। हमारे सामने नालन्दा का आदर्श है, उन बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का आदर्श है, जो इतिहास के पन्नों में हमारे देश का गौरव माने जाते हैं और सरकार यह भी चाहती है कि हमारे विश्वविद्याललय के अध्यापकगण उस आदर को फिर से प्राप्त करें, वैसी ख्याति फिर से प्राप्त करें, जो उनके अपने देश के इतिहास में किसी समय में रही है, संसार में रही है और जो कि इस समय के युग में उन्हें मिलनी चाहिये। अगर कोई यह समझता है कि यह सरकार अध्यापकों के प्रति दुर्व्यवहार करना चाहती है, उनका आदर नहीं करना चाहती उनके रोजमर्रा के जीवन में हस्तक्षेप करना चाहती है, उनके

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

विचारों में हस्तक्षेप करना चाहती है, तो मैं बहुत अदब के साथ उन आलोचकों से कहना चाहता हूं कि यह मिथ्या बात है, गलत बात है।

हो सकता है कि इस विधेयक में त्रुटियां रह गयी हों। मैं यह तो नहीं कहता हूं कि सारी बातें जो हम करना चाहते हैं, उनका सबका समावेश इसमें किया गया है। लेकिन अपनी तरफ से इस बात की कोशिश की गयी है कि उन तमाम दिक्कतों को देखते हुए, उन तमाम अनुभवों से पूरा-पूरा फायदा उठाते हुए हम इस प्रकार का विधेयक इस सदन के विचारार्थ उपस्थित करें, जिससे इन विश्वविद्यालयों में अच्छा वातावरण पैदा हो जाय और जो दोष समय-समय पर इनमें पैदा हो जाते हैं, वह न रहने पावें।

मैं अपने लखनऊ विश्वविद्यालय के उन गुरुजनों का बहुत ऋणी हूं जिनके पैरों में बैठकर मैंने शिक्षा प्राप्त की। जो कुछ थोड़ा बहुत अनुभव जीवन में प्राप्त किया है वह उन्हीं की कृपा से प्राप्त किया है। मैं उनका आदर करता हूं। सत्कार करता हूं, इज्जत करता हूं और चाहता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, उनका आदर करे, उनका सत्कार करे और उनको वह मान प्रदान करने की चेष्टा करे जो कि उनका होना है और होना चाहिये। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों और उन अध्यापकों से सहमत नहीं हूं जो आज आटोनोमी के नाम पर तरह-तरह की बातें विश्वविद्यालयों में करना चाहते हैं और एक काकस बना कर विश्वविद्यालय के हित की बात को तिलांजलि देकर उनमें एक दूषित वातावरण पैदा करना चाहते हैं, जो विश्वविद्यालयों के हित में नहीं है, विद्यार्थियों के चरित्र के निर्माण के हित में नहीं है।

मुझे दुःख है कि छोटी छोटी-दूषित बातें इस विश्वविद्यालय में पैदा होने लगी हैं और उनके कारण चन्द लोग एक ऐसा नक्शा विश्वविद्यालय का बना कर पेश करने लगे हैं कि यह भी दोषों से भरा हुआ है। इसमें ऐसी बातें उभरने लगी हैं जो विश्वविद्यालय के ऊपर उठने में सहायक नहीं हो सकती हैं। यदि यह वातावरण पैदा किया गया है या कोई उसके पैदा करने की चेष्टा कर रहा है तो मैं सदन के सामने सूचित कर देना चाहता हूं कि यह छोटी बातें हैं। हो सकता है कि चन्द अध्यापक और विद्यार्थी इस तरह की बातें करें, लेकिन विश्वविद्यालय का विस्तृत वातावरण दूषित नहीं हुआ है। इसमें ऐसे अध्यापक हैं जो विश्वविद्यालय के हित की बात सोचते हैं, विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण की बात सोचते हैं, जो अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान करने की बात को ही सोचते रहते हैं और जिनका अधिकतर समय अध्ययन और अन्वेषण में ही व्ययतीत होता है। इन्हीं से हमारे विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा होता है।

हमारे इस विश्वविद्यालय ने बहुत से पंडित और विद्वान् पैदा किये हैं जिन्होंने संसार में हमारे देश के नाम को ऊंचा किया है। ऐसे अध्यापकों के संसर्ग से हम सुशोभित होने का गौरव अनुभव करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने डाक्टर साहनी, डाक्टर राधाकमल मुकर्जी, डाक्टर राधा कुमुद मुकर्जी और बहल जैसे विद्वान पदा किये हैं, जिनका नाम विश्व भर में प्रख्यात है, जिन्हों ने अपने क्षेत्र में काफी तरक्की की है और विज्ञान की दुनिया को अपने-अपन क्षेत्र में बहुत कुछ प्रदान किया है। जिस विश्वविद्यालय में ऐसे व्यक्ति पढ़े हों, उसमें यदि कोई चीज पैदा हो जाय, कोई खराबी आ जाय तो उसे हमें दूर करने की चेष्टा करनी चाहिये। आज इस तरह की छोटी-छोटी खराबियां जो देखने में आती हैं, उनको दूर करने के लिये हमने इस विधेयक के तहत प्रयत्न किया है। हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ बातें रह गई हों, या कुछ सुझाव इस विधेयक में आने से रह गये हों और जिनको सदन उपस्थित

करना चाहता है तो उन पर सरकार पुनः विचार करने के लिये उद्यत है और सदैव रहेगी।

अब मैं दो चार मोटी-मोटी बातों की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो इस विधेयक में दिखाई पड़ती हैं। मैं आपको बतला दूं कि जहां तक वाइस चांसलर की नियुक्ति का सम्बन्ध है अब तक जो हमारा अधिनियम है, उसके तहत में उसे चांसलर ही नियुक्ति करता था। अब इस विधेयक में हमने यह सिफारिश की है कि इस विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी जो एक मत से सिफारिश करे, चांसलर उसको मंजूर कर ले। यदि पहली दफा कार्यकारिणी एकमत न हो सके तो फिर से उसकी एक मीटिंग दस दिन के बाद की जाय और फिर एक मत से नाम भेजने का प्रयत्न किया जाय। यदि एकमत होने में कार्यकारिणी असमर्थ हो तो तीन नाम चांसलर के पास भेज दिये जायं और वह उनमें से किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति कर दे। हम नहीं चाहते कि ऐसा मौका आये कि एकमत से चांसलर के पास कार्यकारिणी नाम न भेज सके। इस विश्वविद्यालय की बहुत पुरानी यह परम्परा रही है कि यह एक ही नाम वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिये चांसलर के पास भेजती है, ऐसे समय में जब कि चांसलर को नियुक्ति का पूरा अधिकार था तो फिर क्या वजह है कि जनतंत्र के शासन में कार्यकारिणी एकमत से राय भेजने में अपनी समर्थता प्रकट करेगी?

जो संशोधन हमने वाइस चांसलर के लिये रखा है, उसके सम्बन्ध में भी मैं कहना चाहता हूं और यह एक ऐसे व्यक्ति का मत है जिसने इसकी परम्परा को देखा है, कि जब-जब ये वाइस चांसलर की नियुक्ति का समय आयगा तो यह कार्यकारिणी एक ही नाम भेजने की चेष्टा करेगी और ३४ वर्ष पुरानी अपनी परम्परा को वह भूलेगी नहीं। ट्रेजरर की नियुक्ति के विषय में जो संशोधन उपस्थित किया जा रहा है, उसके लिये भी मैं इस बात की आशा करता हूं और अभिलाषा रखता हूं कि इसकी भी नियुक्ति एकमत से हो।

मुझे एक बात उन दोस्तों से कहनी है जो आटोनोमी के बड़े मानने वाले हैं और समय समय पर इस सदन में और बाहर भी उसका गुण-गान किया करते हैं। यदि विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति की किसी जगह के लिये एक मत से सिफारिश करता है और चांसलर उसकी नियुक्ति करता है, तो सदन के कुछ सदस्य यह कहने के लिये उद्यत हो जाते हैं और कानून में एक संशोधन रखने के लिये आगे आते हैं कि अमुक प्रकार का व्यक्ति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी में न हो, अमुक प्रकार का व्यक्ति फलां स्थान पर न हो। क्या यह आटोनोमी का अपहरण नहीं है? विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव कौंसिल को आप अधिकार देते हैं कि वह जिसको चाहे, उसके नाम की सिफारिश कर दें। यदि वह किसी नाम की एकमत से सिफारिश करती है, बारम्बार करती है, तो आप बीच में आते हैं और कहते हैं कि नहीं, विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी को यह नहीं करना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे व्यक्तियों से, जो आटोनोमी का बड़ा जिक्र करते हैं, कि कहां है आपकी वह आटोनोमी। यदि विश्वविद्यालय के संचालकगण एक मत से कोई सिफारिश करते हैं तो आपको क्या अधिकार है कि आप उसके बीच में आयें? आप सरकार को कहते हैं कि वह आटोनोमी में हस्तक्षेप करना चाहती है। मैं कहता हूं कि आप हस्तक्षेप करना चाहते हैं उन लोगों के शासन में, जिनको आपने कानून के द्वारा यह अधिकार दिया है कि वे जिस व्यक्ति को चाहें चुनें, अतः वे लोग जो आज आटोनोमी की चर्चा इस प्रकार से करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय के विधेयक को एक ईमानदारी से और उन तमाम बातों को सामने रखते हुये देखने की चेष्टा कीजिये जो कि विश्वविद्यालय के जीवन में रोजमर्रा गुजरती हैं।

हमने चुनाव में कमी की है। हम चाहते हैं कि चुनाव घट जायं और इस संबंध में विभिन्न स्थानों पर इस विधेयक की तह में हमने चुनाव की पद्धति को तोड़ा है और जहां

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

चुनाव की पद्धति को रखा है वहां हमने सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट और प्रोपोर्शनल रेप्रेजेंटेशन की पद्धति को जारी किया है । मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो प्रोपोर्शनल रेप्रेजेन्शन के बहुत मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमनें प्रोपोर्शनल रेप्रेजेन्टेशन को अपमे बीच में कार्य करते हुये देखा है। कांग्रेस में प्रोपोशनल रेप्रेजेन्टेशन आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के चुनाव के सम्बन्ध में बढ़ता जाता है, मैं जानता हूं कि इसकी वजह से उसमें कभी ऐसे व्यक्ति भी चुन जाते हैं जिनका नाम कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति ६–७ वोट इकट्ठा कर ले वही आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य हो जाता है, यद्यपि पहले जब प्रोपोर्शनल रेप्रेजेंटेशन की पद्धति नहीं थी तब भी वे व्यक्ति आल इंडिया कांग्रेस कमटी में जा सकते थे। प्रोपोर्शनल की पद्धति को एक आध जगह पर हमने इस विधेयक में माना है और इस संबंध में हमने कुछ परिवर्तन भी किये हैं। इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यापकगण प्रोपोर्शनल रेप्रेंजेटेशन की मांग करते हैं। प्रोपोर्शनल रेप्रेजेंटेशन का जैसा मैंने तजुबा आपको बताया और जिसका हमारे साथियों को भी पता होगा कोई व्यक्ति चाहे उसे कोई जानता न हो, चाहे वह कुछ पढ़ा लिखा न हो, यदि उसे ६, ७, ८ वोट मिल गये तो वह आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य हो जायगा। इसी तरह से विश्वविद्यालय में जिसे किसी व्यक्ति को १२ वोट मिल गये एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेम्बर हो जायगा, यह सब होते हुये भी सरकार ने इस विधेयक में प्रोपोर्शनल रेप्रेजेंटेशन को स्वीकार किया है। जहां तक चुनाव का संबंध है, अब इस सदन को विचार करना है कि आया प्रोपोर्शनल रेप्रेन्जेटेशन की पद्धति ठीक है या नहीं। मैंने तजुर्बे की बात रखी जिस पर सदन को विचार करना है। लेकिन चूंकि इसकी सिफारिश विभिन्न कमीशनों ने की है इसलिये विधेयक में जिन जगहों पर चुनाव की पद्धिति को स्वीकार किया है, वहां प्रोपोर्शनल रेप्रेजेंटेशन माना है।

इस विधेयक में कुछ अधिकारियों की, कुछ कमेटियों की और कुछ ऐसी संस्थाओं की जो कि विश्वविद्यालय की तहत में कार्य करती है, अधिकार भी बढ़ाये गये हैं। ट्रेजरर के भी अधिकार बढाये गये ह। जहां तक खर्च का विषय है, जहां तक विश्वविद्यालय की आमदनी और खर्च का विषय है, वह काफी परेशानी का विषय रहा है। विश्वविद्यालय की आवश्यकतायें बहुत हैं, वह पूरी होनी चाहिये। मैं उन आवश्यकताओं के पूरा होने का समर्थक हूं और सदा से प्रयत्नशील हूं कि अधिक से अधिक रुपया विश्वविद्यालयों को खर्च के लिये मिलना चाहिये। गत वर्षों में इन खर्चों के लिये रुपया दिलवाने के लिये भी प्रयत्नशील रहा हूं। परन्तु प्रदेश की सरकार का कोष सीमित है, इसलिये उतना धन विश्वविद्यालय को नहीं मिल पाया है जितना उनको मिलना चाहिये। ऐसी सूरत में जब कि विश्वविद्यालयों के पास पैसा न हो और वह खर्च करते जायं, तो सरकार और विश्वलिद्यालय को स्वतः इस बात पर विचार करना पड़ता है कि हम किस प्रकार विश्वविद्यालयों को चलायें। हम आशा करते हैं कि जो कमेटी आफ रेफरेंस इस विधेयक के तहत में नियुक्त की जा रही है और जिसके कुछ अधिकार बढ़ाये जा रहे हैं उसे बजट सुधारने में बहुत अधिक कार्य नहीं करना पड़ेगा यदि विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्रांट्स दे दी जायं। मैं ब्लाक ग्रांट्स का समर्थक हूं और मुझे विश्वास है कि वह समय आ जायगा जब कि विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्रांट दी जायगी। अगर हम अब तक नहीं दे पाये हैं तो उन दिक्कतों के कारण जो रुपये की कमी से हमारे सामने रही है।

जो ट्रेजरर के अधिकार थोड़े बढ़ रहे हैं वह व्यावहारिक अधिकार हैं। कोई भी ट्रेजरर जिसको विश्वविद्यालय की सारी पार्टी और सारे कोष का कस्टोडियन बनना पड़ता है जो कि पुराने अधिनियम में भी उसकी जिम्मेदारी है तो उसको यह अधिकार देना ही चाहिये कि जो खर्च एग्जक्यूटिव कौंसिल ने मंजूर नहीं किया है, स्टेट्युट्स और आर्डिनेसेज ने मंजूर नहीं किया है वह कोई भी गलत ढंग से न करने पाये। कानून की तहत में जो अधिकार उसको मिला है, अगर वह उसको बरतना चाहता है तो उसको बरतने के लिये और कुछ व्यावहारिक अधिकार मिलने चाहिये। उसे यह अधिकार दिया जाय कि जो खर्च नाजायज है, जो कानून की तहत में

मंजूर नहीं किया जा सकता, इसको मंजूरी वह प्रदान न करें, इसमें किसको ऐतराज हो सकता है। कम से कम मैं यह कह सकता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापकों को, उसकी कार्यकारिणी को उसमें कोई ऐतराज नहीं है। उसने इस विधेयक की बहुत सी बातों पर विचार किया और उसके संबंध में एक मत से कुछ सुझाव दिये, जिनमें से ७० प्रतिशत प्रवर समिति में मान लिये गये। जो एक दो सुझाव बाकी रहे हैं उन पर हम सदन में विचार करने के लिये तैयार हैं।

अतः मैं यह नहीं मानता कि एकेडेमिक ओपीनियन इन विधेयकों के विरुद्ध है यदि डा० आर० यू० सिंह, प्रोफेसर अय्यर, प्रोफेसर चटर्जी जो कि विश्वविद्यालय के प्रमुख डीन्स रहे हैं और आज भी हैं एक चीज की मंजूरी देते हैं, सारी बातों को देखते हुये तो फिर एतराज किसको है, एतराज उसको है जिसने कल विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया है। ऐतराज उस विद्यार्थी को है कि जिसने दो दिन हुये इस विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया है। मैं बहुत अदब से कहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों का एतराज कोई मानी नहीं रखता। जो अध्यापक पचीस-पचीस तीस-तीस साल से विश्वविद्यालय की सेवा कर रहे हैं यदि निष्पक्ष भाव से तमाम बातों को देखकर मंजूरी देते हैं और उनके सुझावों में अधिकांश को प्रवर समिति मान लेती है और जो शेष हैं उन पर हम वहां विचार करने के लिये तैयार हैं, तो आज इस प्रकार का मत देना कि एकेडेमिक दुनिया इसको नहीं मानती, ऐसी बात का प्रसार करना है जो कि तथ्य के बिलकुल परे हैं। बहुत बड़े-बड़े अध्यापक जो विश्वविद्यालय में जमाने से शिक्षा दे रहे हैं, जिन्होंने बहुतेरे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में पढ़ाया है, अगर सारी बातों को सोच समझ कर गम्भीरता के साथ कोई निर्णय देते हैं तो उन पर हमको सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिये। जो प्रवर समिति ने स्वीकार किया है, वह किस बात का परिचायक है?

यह तो इस बात का परिचायक है कि यह सदन और दूसरे सदस्यगण सारी बातों को समझने की चेष्टा करते हैं और जिन बातों को विश्वविद्यालय, विद्यार्थियों और अध्यापकगण के हित में समझते हैं उनको स्वीकार करने के लिये तैयार रहते हैं। फिर शिकायत किस बात की है यह कोई नहीं कह सकता कि विश्वविद्यालय की कार्णकारिणी और उन अध्यापकों से जो इन विषयों की सबसे ऊंची कमेटी में बैठते हैं इस विधेयक के संबंध में सलाह नहीं ली गई। विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी ने सलाह दी है। जो प्रवर समिति नैनीताल में बैठी थी उसने नैनीताल में उपस्थित विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय के हित में कही गई बातों पर भी ध्यान दिया था। आज भी यह प्रयत्न जारी है, जो सुझाव विश्वविद्यालय के हित में हैं, उन पर सरकार विचार करने के लिये तैयार है, जो एजेंडा बटा है उसमें बहुत से संशोधन हैं। सरकार इन पर विचार करने के लिये आज भी उद्यत है बावजूद इसके कि प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट एक रूप में दी है।

मैं बहुत डिटेल्स में जाना नहीं चाहता, क्योंकि डिटेल्स बहुत लम्बे चौड़े हैं और बहुत मामूली हैं, कोई सिद्धांतिक डिटेल्स नहीं है, जो कि विश्वविद्यालय की आटोनोमी को या संचालन को एफेक्ट करते हों। हां, एक बात है, जो कि टीचर्स के संबंध में डिस्पिलिन के संबंध में, डिस्पिप्लिनिमरी इंक्वायरी कमेटी के संबंध में कही गई और इस संबंध में एतराज उठाया गया। मैं चाहता हूं कि जहां तक डिस्पिलिन के मैटर्स हैं, वे वाइस चांसलर के तहत में रहने चाहिये और इस विधेयक में डिसिप्लिन के सारे मैटर्स वाइस चांसलर के तहत रक्खे गये हैं। कभी-कभी ऐसे भी मौके आते हैं जब उनको डिसिप्लिन के मैटर्स में कोई निर्णय देने में दिक्कत होती है। लखनऊ विश्वविद्यालय में तो कोई ऐसा अवसर पैदा हुआ नहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसे अवसर आये या नहीं मैं नहीं कह सकता, जिनमें वाइस चांसलर खुद निर्णय न कर सके। डिसिप्लिन के मैटर्स को वोट के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। मेरा चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा बहुत संबंध रहा है, मैं कह सकता हूं कि डिसिप्लिन मैटर्स वोटों द्वारा तय नहीं किये जा सकते। अगर एक आदमी के हाथ में शक्ति दी जाती है तो वह तय कर सकता है। अगर वाइस चांसलर को दिक्कत हो तो वह ऐसे आदमियों से, जो हाई कोर्ट के जज हों, उनसे सलाह ले सकता है पर वह डिसिप्लिन के मैटर्स पर स्वयं ही निर्णय दे। हां, उनकी सलाह के बाद

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

जो फैसला हो, एक्जिक्यूटिव कौंसिल उस पर विचार कर सकती है लेकिन उस कमेटी के संबंध में ऐसा वातावरण पैदा करने की चेष्टा करना कि यह सरकार सारे अध्यापक वर्ग को अपने कानून के शिकंजे में ले लेना चाहती है और उन पर अपना रोब डाल कर उनकी वैयक्तिक स्वतंत्रता का अपहरण करना चाहती है, यह निहायत खेदजनक बात होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह संशोधन विधेयक रक्खा गया है उसके पीछे कोई ऐसी भावना नहीं है। प्रवर समिति ने इस मसले पर विचार किया। इसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक के संबंध में, जो कि यहां उपस्थित किया गया था, बाद में भी जो सुझाव आये उनको इस सदन ने मंजूर किया है। तो फिर शिकायत किस बात की है, मैं यह समझ नहीं पाता हूं। हां, यदि विश्वविद्यालय की तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से या अध्यापकों की तरफ से विश्वविद्यालय के हित में कोई ऐसी बात आती है कि जिससे विश्वविद्यालय की ख्याति बढ़े और उनके साधन बढ़े तो हमारा कर्त्तव्य है कि ऐसे सुझावों पर सदा सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और अमल करने की चेष्टा करें। उसके लिये सरकार का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, परन्तु आज सरकार हड़तालों की बुनियाद पर छोटे-छोटे विद्यार्थियों की सलाह पर कोई विचार करने लिये तैयार नहीं है।

अधिष्ठाता—अब तो समय समाप्त हो गया है।

श्री रामनरेश शुक्ल—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय जब तक माननीय गुप्त जी का भाषण समाप्त न हो जाय बढ़ा दिया जाय।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि सदन का समय जब तक माननीय गुप्त जी का भाषण समाप्त न हो जाय बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं अब अपोजीशन के भाइयों से भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं ऐसी बहुत शिकायतें यहां पर पेश की गयीं हैं कि इस विधेयक में इस प्रकार की धारायें हैं, जिनका सरकार या विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी नाजायज इस्तेमाल करेगी। मैंने एक दिक्कत जो कभी-कभी उठा करती है उसका जिक्र आपके सामने कर दिया है। उसके पीछे और कोई किसी का फायदा नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि कोई किसी का मंशा किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करने का नहीं है यह भावना किसी के दिमाग में कैसे पैदा हो सकती है? मने अभी कहा कि आज जो कहीं-कहीं विश्वविद्यालयों में झगड़े की प्रवृत्ति है, वह दूषित प्रवृत्ति है। वह समय की गति को नहीं समझते हैं और दूरदर्शिता से कार्य नहीं कर चाहते हैं। हमारे ये विश्वविद्यालय तो, जैसा कि मैंने पहले कहा था चरित्र निर्माण के क्षेत्र हैं। यदि उनके बीच में निम्नभाव उत्पन्न करने की चेष्टा की जायगी तो आगे वह जिन्दा नहीं रह सकते हैं। वहां पर तो इस प्रकार का कार्य किया जाय, जिससे वह जिन्दा रह सकें और उन पर अमल करके विश्वविद्यालय को आगे बढ़ा सकें। वहां पर व्यावहारिक कार्य के संचालन की जरूरत है। इस कारण हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसी लक्ष्य की तरफ देखने की चेष्टा करें और उसके बुरे माने लगाने की कृपा न करें, क्योंकि जब हम तरह-तरह के माने लगाने की बात करते हैं तो उससे दिक्कत पैदा होती है।

एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि आज विश्वविद्यालयों के संचालन में राजनीतिक विचारों का संघर्ष देश में चल रहा है। राजनीतिक दल भिन्न प्रकार की भावनायें उत्पन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय ठीक तरह से अपने कार्य का संचालन करें और सचमुच वह परिस्थिति के अनुसार काम करें तो आज राजनीतिक दलों के नेताओं को और कार्यकर्त्ताओं को इस बात की तरफ ध्यान देना होगा कि वे अपनी राजनीतिक पेंच उनके कार्य-क्षेत्र में न चलावें और विश्वविद्यालयों में ऐसे व्यक्ति अपने को न लगावें। मैं भी राजनीति में हिस्सा लेता हूं। मेरे विचार और मेरी धारणा

कभी भी उन लोगों के विरुद्ध नहीं रखी जो कि विश्वविद्यालय के हित की बात सोचते रहे हैं। मैंने व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के लिये नियुक्त करवाया है, जिनके विचार मेरे विचारों से भिन्न रहे हैं। मैंने हमेशा ऐसे लोगों को विश्वविद्यालय में लाने की चेष्टा की है। सर महाराज सिंह, श्री परांजपे, डा० जगत नारायण इस प्रकार के व्यक्ति थे जो हमेशा काग्रेस के विरोधी रहे हैं। जो प्रगतिशील नहीं थे, लेकिन विश्वविद्यालय के हित में मैंने उनको वाइस-चांसलर के पद पर नियुक्त कराया।

विश्वविद्यालय के संचालन में राजनीति का समावेश नहीं होना चाहिये। राजनैतिक विचाराधाराओं को सामने रखकर किसी एक व्यक्ति को या किन्हीं चन्द व्यक्तियों पर आवाजें नहीं उठानी चाहिये। आचार्य नरेन्द्रदेव सन् १९३८ में वाइसचांसलर बने। विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी में तब कांग्रेस जन तो नहीं थे और फिर सन् १९४७ में वे समाजवादी पार्टी ने नेता हो गये, परन्तु विश्वविद्यालय ने उन्हें एकमत से वाइसचांसलर नियुक्त किया। किसकी सिफारिश पर, किसके कहने पर? मैं इस बात को सदन के सामने यह कहना चाहता हूं और सबसे इस बात को स्वीकार करने की आशा प्रकट करता हूं कि कृपा करके विश्वविद्यालय के कार्य के संचालन में राजनीतिक विचारों को लाने की चेष्टा न कीजिये। विश्वविद्यालय को प्रकाश का केंन्द्र बनने दीजिये। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के चेष्टा कीजिये, उसे अधिक से अधिक रुपया दिलाइये, अधिक से अधिक अच्छे पढ़ाने वाले दिलाइये और नयी भावनायें पैदा करने की चेष्टा कीजिये, जो विश्वविद्यालय के इतिहास में एक चमत्कार ला सकती हैं। वही दिन हमारे लिये कल्याणकारी होगा। इस विधेयक के सिलसिले में यह और कहते हुये मैं अपनी जगह पर बैठता हूं कि जब आप कोई आलोचना करें और इस विधेयक की धाराओं के संबंध में कुछ कहें तो राजनीति को दूर रखने की कृपा करें। यह सरकार अवश्य उन पर सहानुभूति से विचार करेगी और यह चेष्टा करेगी कि जो लाभदायक बातें हम विश्वविद्यालय के फायदे की रख सकते हैं, उन्हें अपनायें और इस तरह से इस विश्वविद्यालय की कीर्ति और नाम को बढ़ाने का प्रयत्न करें।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१६ दिसम्बर, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ२३४ पर)

फूलपुर (इलाहाबाद), सामुदायिक विकास योजना में किये गये विशेष कार्यों की सूची

	विवरण		वास्तविक कार्य के आंकड़े ३१ अक्तूबर, १९५४ तक
सिंचाई	१—सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र ..	..	६,२४८
कृषि	२—वितरण किये गये उन्नतिशील बीज का परिमाण (मनों में) ..	..	४,०३६
	३—बीज जो खरीदा और उगाहा गया (मनों में)	..	१,४२७
	४—प्रदर्शनों की संख्या ..	..	१,१८०
	५—खाद जो वितरित की गई (मनों में)	..	६९०
उद्यान अथवा बागबानी	६—नये उद्यानों का बढ़ा हुआ क्षेत्र (एकड़ में)	..	१७
	७—बोये गये फलों के वृक्षों की संख्या	..	४,५४४
	८—बोये गये ईंधन के वृक्षों की संख्या	..	३,५०१
	९—आरम्भ की गई फल व तरकारी की पौधशालाओं की संख्या	..	१
	१०—वितरित किये गये तरकारी के बीज की मात्रा (पौंड) ..	..	११
	११—अतिरिक्त क्षेत्र जिसमें तरकारी बोई गई (एकड़) ..	..	१८५
भूमि को कृषि योग्य बनाना।	१२—कृषि योग्य बनाई गई भूमि का क्षेत्र (एकड़)	..	१४१
पशु पालन	१३—वितरित उन्नतिशील पशुओं की संख्या—	..	
	सांड़ ..	..	१३
	अन्य ..	..	२०
	१४—चिकित्सित पशुओं की संख्या	..	६,३५२
	१५—टीका लगाये गये पशुओं की संख्या	..	९,५९१
शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्य	१६—प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चालू	..	४२
	१७—शिक्षा पाते हुये प्रौढ़	..	६८७
	१८—चालू किये गये पुस्तकालयों की संख्या	..	१३
	१९—चालू किये गये सामुहिक केंद्रों की संख्या	..	३९
सामहिक कार्य	२०—निर्मित भवनों की संख्या	..	२५
	२१—सड़कों का निर्माण (मील फर्लांग)—		
	कच्ची ..	..	४—७
	पक्की ..	..	२—४
	२२—सड़कों की मरम्मत (मील फर्लांग)—	..	
	कच्ची ..	..	५१—५
	पक्की ..	..	१—४

फूलपुर (इलाहाबाद), सामुदायिक विकास योजना में किये गये विशेष कार्यों की सूची

	विवरण	वास्तविक कार्य के आंकड़े	३१ अक्तूबर, १९५४ तक
जन-स्वास्थ्य	२३—निर्मित शुद्ध जल कूप हैंड पम्प सहित	..	३०
	२४—टीके ..	..	५,८१४
	२५—सोख्तों की संख्या (मलेरिया निरोधक)	..	२७१
गृह उद्योग	२६—ईंटों के भट्टों की संख्या	..	१
	२७—ईंटें जो पकाई गई (संख्या लाखों में)	..	६
सार्वजनिक दान	२८—श्रम का मूल्य रुपयों में	..	२०,०००

संसद पुस्तकालय सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३५ पर)

विकास सेवा क्षेत्र लोनी में ३० सितम्बर तक हुये कार्यों की सूची:—

१—नई सड़कें जो बनी :—	
क—(पक्की) ..	२ फरलांग
ख—(कच्ची) ..	४ मील, ४ फर्लांग, १०० गज
२—सड़क जिनकी मरम्मत हुई:—	
कच्ची ..	२७ मील, ५ फर्लांग, १०० गज
३—पुलियों की मरम्मत हुई ..	.. १३
४—सहकारी नलकूप लगे ..	.. ३
५—सिंचाई के कुयें बने ..	.. ३४
६—सिंचाई के कुयें जिनमें बोरिंग हुई	.. ३९
७—रहट लगे ..	.. १७
८—पुराने कुयें जिनकी मरम्मत हुई	६१
९—गूलें जो खोदी गईं ..	..
(क) नल कूप के लिये ..	.. ७०० गज
(ख) नहर के लिये ..	.. १५ गज
१०—सिंचित भूमि की बढ़ती ..	.. ६०० एकड़
११—फलों के पेड़ जो लगाये गये ..	.. ७,८७१
१२—ईधंन और इमारती लकड़ी के पेड़ जो लगाये गये	.. ६,५००
१३—नये बाग जो लगे ..	.. १०० एकड़ में
१४—नई पौधशालायें जो तैयार हुईं	.. ३
१५—किसानों के खेतों में किये गये प्रदर्शन	.. ६२४
१६—कृषि विषयक भ्रमण ..	.. १
इसमें भाग लेने वालों की संख्या	.. ५०
१७—हरी खाद जितनी भूमि में डाली गई	.. ८८ एकड़
१८—रसायनिक खाद जो बेची गई	.. ३५ मन २० सेर
१९—खाद के गढ़े जो खोदे गये ..	.. २७८
२०—बैल जो बधिया किये गये ..	.. ९२
२१—पशुओं के टीके लगे ..	.. १५०
२२—पशु जिनकी चिकित्सा हुई ..	.. २८०
२३—अच्छी नस्ल के सांड़ जो दिये गये	.. ५
२४—जनता द्वारा नये मकान बनाये गये	१००
२५—जनता द्वारा पुराने मकानों में सुधार	.. १५०
२६—पानी पीने के नये कुयें बनाये गये	.. १३
२७—पानी पीने के पुराने कुंओं की मरम्मत	.. १३
२८—पक्की नालियां बनाई गईं ..	.. ८०० गज
२९—गलियारें पक्के किये गये ..	.. २० गज
३०—सोख्ते खोदे गये ..	.. ७४
३१—टीके लगाये गये—	
(क) चेचक ..	.. ३,२९०
(ख) हैजा ..	.. १,००
३२—औषधि पेटिकायें जो दी गईं ..	.. १२

विधान सभा

३३—प्राथमिक चिकित्सा पेटिकायें दी गई	..	१२
३४—पुस्तकालय व वाचनालय खोले गये	..	२३
३५—रेडियो लगये गये ..	..	७
३६—नये स्कूल जो खोले गये:—		
(क) जूनियर स्कूल ..	..	२
(ख) प्राइमरी स्कूल ..	..	६
३७—स्कूल जिनके लिये जनता द्वारा जमीन दी गई	..	४
३८—पंचायतघर बने ..	..	२
३९—गांधी चबूतरे बने ..	..	६
४०—बच्चों के पार्क बने ..	..	२
४१—अखाड़े बने ..	..	१०
४२—मनोरंजन केंद्र ..	..	८
४३—सहकारी समितियां बनाई गई	..	५७
४४—नये सहकारी बीज घर खुले ..	..	३

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी ए० पी० २७९ एल० ए०—१९५५—८००।